राजभाषा भारती

वर्ष : 37, अंक : 140 (जुलाई–सितम्बर 2014)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

जन जन की भाषा है हिंदी

हिंदी दिवस समारोह

14 सितंबर 2014

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का स्वागत करते हुए गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

सभा को सम्बोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी

सभा को सम्बोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

माननीया सचिव (राजभाषा) सुश्री नीता चौधरी

वर्ष : 37 अंक : 140
जुलाई–सितम्बर, 2014

राजभाषा भारती

संरक्षक
नीता चौधरी, आई.ए.एस.
सचिव, राजभाषा विभाग

परामर्शदाता
पूनम जुनेजा
संयुक्त सचिव (रा. भा.)

संपादक
हरिन्द्र कुमार
निदेशक (कार्यान्वयन/पत्रिका)

सहायक संपादक
राकेश शर्मा 'निशीथ'
दूरभाष 011–23438137

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अपना लेख एवं सुझाव भेजें
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एन डी सी सी–2 भवन, चौथा तल,
बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली–110 001
ई–मेल– patrika-ol@nic.in
rakesh.sharma60@nic.in
पोर्टल – www.rajbhasha.gov.in

विषय–सूची

माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण	3
माननीय गृह मंत्री का संदेश	4
माननीय गृह राज्य मंत्री का संदेश	5
राजभाषा विभागः सफलता की कहानी ❖ *पूनम जुनेजा* ❖	6
हिंदी जगत के अनमोल रत्न ❖ *हीरा वल्लभ शर्मा* ❖	7
हिंदी भाषा की विकास गाथा ❖ *ओम प्रकाश वर्मा* ❖	12
विकासमान हिंदीः सामर्थ्यवान हिंदी ❖ *संजय चौधरी* ❖	15
महात्मा गांधी के भाषा चिंतन एवं भाषा नीति की प्रासंगिकता ❖ *डॉ. उषा सिन्हा* ❖	18
प्रशासन के क्षेत्र और हिंदी का प्रयोग ❖ *डॉ. एम. शैषण* ❖	21
हिंदी एक मत से नहीं, एकमत से बनी थी राजभाषा ❖ *श्रीलाल प्रसाद* ❖	25
भाषा बहता नीर – राजभाषा हिंदी के संदर्भ में ❖ *ओम मल्होत्रा* ❖	28
मालवीय जी और हिंदी ❖ *विश्वनाथ त्रिपाठी* ❖	31
देवनागरी लिपि : गुण, दोष एवं वैज्ञानिकता ❖ *डॉ. राजवीर सिंह* ❖	34
हिंदी अनुवाद में उर्दू शब्दावली का प्रयोग ❖ *डॉ. शेख़ अब्दुल ग़नी* ❖	40
राष्ट्र के आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका ❖ *चंद्र प्रकाश* ❖	44
हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों का व्यतिरेकी विश्लेषण ❖ *डॉ. रश्मि मिश्रा* ❖	59
तमिलनाडु के केन्द्र सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की समस्याएं एवं संभावनाएं ❖ *डॉ चिट्टी. अन्नपूर्णा* ❖	64
शोर के विरुद्ध शोर, मगर शोर न हो ❖ *प्रो. योगेशचन्द्र शर्मा* ❖	67
विविध राजभाषा गतिविधियां	70
राष्ट्र की रीढ़ की मज़बूती का प्रतिमान – 'सेल'	86
पाठकों के पत्र	88

निःशुल्क वितरण के लिए

सौजन्यः
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

संपादकीय

सांस्कृतिक, प्राकृतिक और भाषाई दृष्टि से समृद्ध भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। जिस देश में अलग–अलग हिस्से में अलग–अलग भाषाएं हों, और एक बोली के भी अलग–अलग गांव में अलग–अलग रूप हों, वहां हिंदी भाषा की संपर्क भाषा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिकों इत्यादि ने हिंदी की इस भूमिका का बेजोड़ प्रयोग किया और साथ ही इसे स्थापित करने में सहयोग दिया है। बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों की खोज में देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या का अंतर्राज्यीय प्रवास और संचलन भाषाई सीमाओं को लांघ रहा है।

भाषा संस्कृति का कोष और वाहन है। भाषा केवल विचारों के आदान–प्रदान का माध्यम ही नहीं, अपितु विचारों की जननी के रूप में, उनके भावों को स्वरूप देने के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ही सृजनता में मौलिकता होती है।

इस वर्ष 14 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के ओडिटोरियम में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के कर–कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा शील्ड तथा गृह पत्रिका पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पत्रिकाओं को और उत्कृष्ट लेख पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत लेखकों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। हमने इस अंक को ''हिंदी दिवस'' विशेषांक निकालने का निर्णय लिया है।

हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय का भाषण तथा माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह के संदेश तथा विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के प्रति 'राजभाषा भारती' की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भांति इस अंक में दिए जा रहे हैं।

राजभाषा विभाग का सर्वोच्च लक्ष्य सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी पाठक या उसके संगठन में जो भी प्रभावशाली नवोन्मेष कार्य किए गए हों, उन्हें हम से सांझा किया जाए। उनको पत्रिका में उचित स्थान दिया जाएगा ताकि हमारे प्रयास सामूहिक बने और हम दूसरों के अनुभव से सीखते हुए प्रगतिशील हों।

आशा है कि इस अंक को भी पाठकगण रुचिकर और उपयोगी पाएंगे। प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया इस पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने में अपनी अहम् भूमिका अदा करती आ रही है, इस अंक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

हिंदी दिवस 2014 के अवसर पर

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण

देवियो और सज्जनो,

मैं, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को विशेष बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे राजभाषा को और अधिक बढ़ावा देंगे।

भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही, संविधान के भाग सत्रह, अनुच्छेद तीन सौ इक्यावन में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी को इस तरह विकसित किया जाए कि वह भारत की विविध संस्कृति को व्यक्त करने में सक्षम हो। इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी को अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी'।

देवियो और सज्जनो,

लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच प्रशासनिक संपर्क को सशक्त बनाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक उनकी अपनी बोली में पहुंचाने में भाषा सहायक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र प्रगतिशील हो तथा विकास योजनाएं जनता तक सुचारू रूप से पहुंचें तो हमें संघ के कामकाज में हिंदी का तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाना होगा। परंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल हो। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा विभाग ने हाल ही में सरल हिंदी शब्दावली तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि यह शब्दावली हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देगी।

मैं समय–समय पर देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपने भाषण द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के स्तर पर चिंता व्यक्त करता रहा हूं। ईसा पूर्व तीसरी सदी से बारहवीं ईस्वी सदी के पंद्रह सौ वर्षों के दौरान भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्वभर में प्रसिद्ध था। परंतु आज भारत का कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान विश्व के दो सौ सर्वोत्तम संस्थानों में शामिल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, ज्ञान–विज्ञान और तकनीकी पुस्तकें विद्यार्थियों को अपनी भाषाओं में पढ़ने के लिए मिलें। मुझे खुशी है कि राजभाषा विभाग द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान–विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान–विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी।

देवियो और सज्जनो,

आधुनिक युग में आज इंटरनेट, मोबाइल आदि में हिंदी का प्रयोग काफी आगे बढ़ चुका है। इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं के माध्यम से हम जनता को कुशल प्रशासन दे सकते हैं तथा जन–सेवाओं को स्थानीय भाषा के द्वारा गांव–गांव तक पहुंचा सकते हैं। मुझे बताया गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें हिंदी में भी तैयार कर ली हैं। सभी सरकारी कार्यालयों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि इन वेबसाइटों पर नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हों, जिससे जनता को तुरंत उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो सके।

अंत में, मैं राजभाषा विभाग को हिंदी दिवस के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मैं यहां उपस्थित हिंदी सेवियों तथा देश–विदेश के सभी हिंदी प्रेमियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें।

धन्यवाद, जय हिंद!

सत्यमेव जयते

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो!

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया गया था। यह हमारा राष्ट्रीय मत था कि बिना स्वदेशी और स्वभाषा के स्वराज सार्थक सिद्ध नहीं होगा। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं, विद्वानों, मनीषियों एवं महापुरुषों की यह दृढ़ अवधारणा थी कि कोई भी देश अपनी स्वाधीनता को अपनी भाषा के अभाव में मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। हमें भारत में एक राष्ट्र की भावना सुदृढ़ करनी है तो एक संपर्क भाषा का होना भी नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। हिंदी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ–साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने का जरिया भी है। यह भाषा देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में भी सहायक रही है।

26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए इसका प्रचार–प्रसार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करे।

विश्व के सभी प्रमुख विकसित और विकासशील देश अपनी–अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके समृद्ध और उन्नत हुए हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से उबरने के लिए आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि इंजीनियरी, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षित करने की अहम आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय–समय पर पुरस्कार योजनाएं लागू की हैं। लेखक और प्रकाशक आधुनिक ज्ञान को सभी भारतीयों तक पहुंचाने में और भारत को एक महान एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोतर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्ट राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा को सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि यह सभी के लिए बोधगम्य हो तथा इसका प्रयोग बहु–आयामी हो सके।

मैं केन्द्र सरकार के अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक एवं सतत् प्रयास करें। मैं अपील करता हूं कि इस संबंध में भेजी जाने वाली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाएं। संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं सतत् प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं प्रयोग को नए आयाम देंगे।

जय हिंद!

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2014

राजनाथ सिंह

किरेन रीजीजू
KIREN RIJIJU

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा विभाग हिंदी दिवस, 2014 के अवसर पर 'हिंदी दिवस' विशेषांक के रूप में अपनी गृह पत्रिका 'राजभाषा भारती' का 140वां अंक प्रकाशित कर रहा है जिसके लिए इस कार्य से जुड़े सभी व्यक्ति प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा भारती' के प्रकाशन से सभी सरकारी कार्मिकों और आम हिंदी प्रेमियों को अपनी लेखनी के माध्यम से सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सुअवसर मिलता है। मुझे विश्वास है कि हमारी गृह पत्रिका, नई प्रतिभाओं में हिंदी लेखन के प्रति अभिरुचि और उत्साह उत्पन्न करने के लिए एक सार्थक मंच सिद्ध होगी। साथ ही, यह पत्रिका राजभाषा के विकास के पथ पर एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राजभाषा हिंदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की धारणा को मजबूत किया है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का अभिन्न अंग है और यह देश की जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम शक्तिशाली तथा प्रभावशाली माध्यम है। हिंदी के इसी गुण और महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संघ सरकार की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। हिंदी में सरकारी कामकाज करने से सरकार और आम जनता के बीच परस्पर बेहतर संवाद कायम होता है। इसलिए हम सभी भारतवासियों का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिक–से–अधिक हिंदी के प्रति संवेदनशील और सक्रिय बनाएं।

मैं 'राजभाषा भारती' के नवीन अंक के प्रकाशन के लिए संपादक मंडल एवं रचनाकारों को बधाई देता हूं तथा पत्रिका की सफलता और लोकप्रियता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह पत्रिका अपनी रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय–वस्तु, कलेवर, सार्थकता और समग्र गुणवत्ता के कारण सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी।

(किरेन रीजीजू)

राजभाषा विभाग: सफलता की कहानी

❖ पूनम जुनेजा ❖

राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में स्थापित राजभाषा विभाग विभिन्न उपायों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत हिंदी का ज्ञान नहीं रखने वाले कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रम/निगम/स्वायत्त, निकायों आदि में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा एवं समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करने जैसे निगमित कार्यों के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर नए कार्यक्रम जारी किए जाते रहें हैं।

हिंदी टंकण में एकरूपता लाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कार्यालयों में यूनिकोड लागू करने का सफल प्रयास किया गया है। आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड की सुविधा को अनिवार्य बनाया गया है। इससे अलग–अलग फांट की फाइलें किसी भी आफिस में यूनिकोड की सहायता से खुल सकती हैं तथा यूनिकोड की सुविधा रखनेवाले सभी कार्यालयों में एक ही फांट पर हिंदी में कार्य करना आसान हुआ है।

हिंदी में लिखना–पढ़ना नहीं जानने वाले कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण राजभाषा विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के देशभर में स्थापित 117 केंद्रों पर कक्षाओं तथा पत्राचार के द्वारा किया जाता है। यह प्रशिक्षण प्रायः हिंदी अथवा हिंदी–अंग्रेजी मिश्रित माध्यम से दिया जाता है। किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी प्रशिक्षण अपनी मातृभाषा अथवा शिक्षा की भाषा में दिया जाना अधिक सफल होता है। हिंदी नहीं जानने वाले लोगों को ऑनलाइन हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए लीला नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित कराया गया है। लीला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सहायता से भारतीय संविधान की आठवीं सूची में शामिल देश की 15 प्रमुख भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। देश–विदेश में अनेक लोग इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हिंदी भाषा सीख रहे हैं। इसके अलावा जो लोग प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर परीक्षा देने में असमर्थ हैं उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नै शहरों में ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा है।

यह सॉफ्टवेयर निशुल्क उपलब्ध है तथा राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in अथवा www.rajbhasha.gov.in से डाउनलोड करके इनका उपयोग किया जा सकता है।

इनके अलावा हिंदी में कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रति वर्ष 100 कार्यक्रम देश भर में विभिन्न केंन्द्रों पर चलाए जाते हैं। यह कार्यक्रम कार्यालयों में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा एक अन्य एम आई एस सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि से हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन मंगवाई जाती हैं। प्राप्त रिपोर्टों की राजभाषा विभाग द्वारा ऑनलाइन समीक्षा की जाती है।

कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने अपने अधीनस्थ केंद्रीय ब्यूरो के माध्यम से प्रशासनिक शब्दों के सरलीकरण का कार्य किया है। अंग्रेजी के पांच हजार शब्दों के सरल हिंदी पर्याय तैयार किए गए हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें विभिन्न कार्यालयों की राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी के साथ–साथ विविध विषयों पर हिंदी में लेख प्रकाशित किए जाते हैं। हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना तथा हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर लेखन को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अलावा विभिन्न कार्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार योजना तथा हिंदी में मौलिक रूप से लिखित लेखों के लेखकों के लिए पुरस्कार योजना नामक विभिन्न योजनाएं राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। इसके अलावा, हिंदी में सर्वाधिक कामकाज करने वाले मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि को राजभाषा शील्ड प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है।

राजभाषा विभाग को फेसबुक से भी जोड़ा गया है, जहां राजभाषा विभाग की योजनाओं और कार्यकलापों के बारे में लोगों द्वारा मांगी गई जानकारी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। इसके अलावा राजभाषा विभाग के कार्यकलापों को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग के कार्यक्रमों के बारे में विभाग की वेबसाइट पर जन–सामान्य से फीडबैक प्राप्त करने की शुरुआत की जा रही है।

ये प्रयास यह दर्शाते हैं कि राजभाषा विभाग केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के प्रति पूरी सजग, सक्रिय और संवेदनशील है तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहजता की नीति का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर निरंतर अग्रसर है।

संयुक्त सचिव (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार

हिंदी जगत के अनमोल रत्न

❖ *हीरा वल्लभ शर्मा* ❖

हिंदी पर अन्य भाषाओं के हावी होने के आरोप लगे। हिंदी के विकास में बाधाओं की आशंका जतायी गयी। हिंदी बोलने– समझने को तौहीनी से भी जोड़ा गया। लेकिन यह बताने की कहां जरूरत है कि हिंदी का विकास अनवरत जारी है। लगातार समृद्ध होती भाषा विकास के साथ जुड़ गयी। असल में हिंदी तो कई भाषाओं की, बोलियों की वह मिश्रित भाषा है जो लगातार नये शब्दों को खुद में आत्मसात् कर रही है। हिंदी पढ़ने वाले, शब्दों को गढ़ने वाले नित इसके नये स्वरूप को हमारे पास रख रहे हैं। असल में हमारा देश बहुभाषा भाषी है। कहीं बोलियों का फर्क तो कहीं लिपि का। तभी तो कहा गया, 'दस बिगहा पर पानी बदले, दस कोसन पर बानी।' इसी विविधता को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर अब तक अनेक महापुरुषों ने कहा कि हमारे बहुभाषी गुलदस्ते को एक सूत्र में पिरोने के लिये हिंदी सबसे समृद्ध और सशक्त भाषा है। एक भाषा और उसकी जरूरत पर ही आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा–

निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति के मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के,
मिटत न हिये को शूल।।

हिंदी आज हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, राजभाषा भी है लेकिन विभिन्न भाषा–भाषी भारतवर्ष में हिंदी को एक प्रादेशिक भाषा से लेकर राष्ट्रभाषा के रूप में लोकप्रिय और सर्वमान्य बनने और तदंनतर भारत की राजभाषा बनने में कई शताब्दियां लगी हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता दी गयी उसमें अनेकानेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के विकास के लिए उन चिन्तकों, मनीषियों और साहित्यकारों ने अपने–अपने दौर में जो अभूतपूर्व कार्य किया, आज उसी के कारण हिंदी भारतीय जन–मन–गण की भाषा बन सकी है। वे जानते थे कि राष्ट्र को यदि एक सूत्र में पिरोना है तो देश के हर भाग में प्रचलित हिंदी को मध्य मणि बनाते हुए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के मुक्तकों को एक हार के रूप में गुम्फित करना होगा। इन विद्वानों ने प्रान्तीयता की भावना से ऊपर उठकर मुक्त कंठ से हिन्दी का समर्थन किया और तन–मन–धन से उसका प्रचार–प्रसार किया। निःसंदेह इनकी हिंदी के प्रति की गई सेवा के लिए संपूर्ण राष्ट्र सदैव इनके प्रति श्रद्धावनत रहेगा।

आइए हिंदी के कुछ महान मनीषियों की एक संक्षिप्त बानगी लेते हैं और याद करते हैं उनके अमूल्य योगदान को....

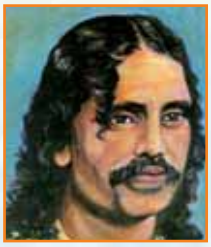

भारतेंदु हरिश्चंद्र

भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर, 1850 और निधन 6 जनवरी, 1885 को हुआ था। आधुनिक हिंदी के जनक के नाम से विख्यात भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि होने के साथ–साथ आप नाटककार, निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। आपने ब्रज भाषा और खड़ी बोली, दोनों ही में उत्कृष्ट लेखन कार्य के साथ–साथ हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य के माध्यम से जनजागरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। 'भारत दुर्दशा' आपकी महत्वपूर्ण कृति है। विविध विधाओं में लेखन कार्य के अलावा आपने अनेक समाचार–पत्रों का संपादन भी किया जिनमें से 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चंद्र मैगजीन', 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' ने हिंदी के प्रचार–प्रसार तथा जन–जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आप सही अर्थों में 'भारतीय नव जागरण के अग्रदूत' थे।

प्रमुख रचनाएं: भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सत्य हरिश्चंद्र (नाटक), प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, कृष्णा चरित्र, वेणुगीत (काव्य), दिल्ली दरबार दर्पण, कश्मीर कुसुम (इतिहास) तथा अनेक स्फुट रचनाएं।

देवकीनंदन खत्री

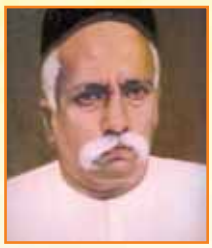

18 जून, 1861 को जन्मे बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी जगत में एक रचनाकार के रूप में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उपन्यास विधा को हिंदी साहित्य में लोकप्रिय स्थान दिलाने का श्रेय आप ही को जाता है। आपका उपन्यास 'चंद्रकांता' हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यह इतना चर्चित हुआ कि इसे पढ़ने के लिए उन दिनों लोगों ने विशेष रूप से हिंदी सीखी। यह उपन्यास 11 भागों में है और इस तरह इसे हिंदी का सबसे पहला वृहद् उपन्यास कहा जा सकता है। इसकी लोकप्रियता से प्रेरित होकर खत्री जी ने 'चंद्रकांता संतति' नाम से दूसरा उपन्यास लिखा और उसके भी कई भाग प्रकाशित हुए। यह उपन्यास भी बेहद लोकप्रिय हुआ। 1 अगस्त, 1913 को आपने अंतिम सांस ली।

प्रमुख रचनाएं: चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखा हार, अनूठी बेगम आदि।

महावीर प्रसाद द्विवेदी

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, 15 मई, 1864 और निधन 21 दिसंबर, 1938 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी भाषा और उसके साहित्य को नई दिशा देने में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिंदी के विकास को नेतृत्व प्रदान करने में 'सरस्वती' पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे सजाने–संवारने और साहित्यिक दृष्टि से अति संपन्न बनाने का काम उसके संपादक आचार्य द्विवेदी ने ही किया था। 'सरस्वती' के संपादन काल में आपने जहां भाषा के परिष्कार और उसके स्वरूप निर्धारण के लिए अथक परिश्रम किया, वहीं हिंदी के लेखकों और कवियों की एक पीढ़ी भी तैयार की। आपने हिंदी में अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया। आपके बहुमुखी नेतृत्व के आधार पर ही हिंदी साहित्य का वह युग 'द्विवेदी युग' के नाम से जाना जाता है।

प्रमुख रचनाएं: आलोचनांजलि, प्राचीन पंडित और कवि, नाट्यशास्त्र, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा की उन्नति (निबंध), कविता कलाप, काव्य मंजूषा (काव्य), विनय विनोद, भामिनी विलास, ऋतु तरंगिणी (अनुवाद) आदि।

मुंशी प्रेमचंद

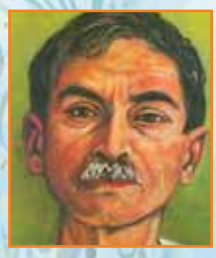

आधुनिक हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा कहानी और उपन्यास को प्रतिष्ठित करने में अपने योगदान के लिए मुंशी प्रेमचंद 'उपन्यास सम्राट' कहलाए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई, 1880 को हुआ था। प्रगतिशील, मानवतावादी दृष्टि से पूर्ण आपकी कहानियों और उपन्यासों ने भारतीय जन चेतना को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रारंभ में आप अपने मूल नाम 'धनपत राय' के साथ–साथ 'नवाब राय' के नाम से भी उर्दू में लिखा करते थे। किंतु बाद में वे हिंदी की ओर उन्मुख हो गए और 'प्रेमचंद' के नाम से लिखने लगे। आगे चल कर यही नाम भारतीय कथा–साहित्य में अमर हुआ। कथा साहित्य में आप विश्व स्तर के लेखक हैं। आपने लगभग तीन सौ कहानियां लिखी हैं जिनमें 'कफन' और 'पूस की रात' आपकी सर्वाधिक चर्चित कहानियां हैं। इसके अलावा हिंदी में अनेक उपन्यास और वैचारिक निबंध भी लिखे। साथ ही 'हंस' नामक ऐतिहासिक हिंदी पत्रिका का संपादन तथा प्रकाशन भी आप ही ने किया था। 8 अक्टूबर, 1936 को आपका निधन हुआ था।

प्रमुख रचनाएं: गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम,निर्मला, रंगभूमि (उपन्यास), प्रेम पच्चीसी, वरदान, समर यात्रा, प्रेम पीयूष (कहानी संग्रह)।

मैथिलीशरण गुप्त

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त, 1886 को हुआ था। आपने हिंदी कविता को जन–जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आपकी पुस्तक 'भारत भारती' ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्र को जगाने में महती योगदान दिया। यदि कहा जाए कि घुटनों चलती हिंदी भाषा को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम मैथिलीशरण गुप्त के काव्य ने किया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से इतिहास और पुराणों की कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए और मानव जीवन की प्रायः सभी अवस्थाओं एवं परिस्थितियों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। प्रबंध काव्य लिखने में आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। आपकी कविता मानवीयता और परदु:खकातर वैष्णवता की सात्विक अभिव्यक्ति है। आपने 12 दिसंबर, 1964 को अपनी अंतिम सांस ली।

प्रमुख रचनाएं: भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, जयद्रथ वध, काबा और कर्बला, विष्णुप्रिया आदि।

जयशंकर प्रसाद

छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। आपने कहानियां, उपन्यास, निबंध, गद्य–गीत आदि विविध विधाओं में लिखा है और ऐतिहासिक तथा पौराणिक प्रसंगों को आधुनिक संदर्भ देकर अनेक रचनाएं की हैं। आपने अपने निजी यथार्थ जीवन और रचनात्मक कल्पना लोक में अद्भुत संगति स्थापित की। इसी के फलस्वरूप आपने साहित्य में एक नवीन जीवन दर्शन की स्थापना की। आपके प्रबंध काव्य 'कामायनी' और नाटक 'चंद्रगुप्त' को हिंदी साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। आप 'छायावाद' के संस्थापकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका जन्म 30 जनवरी, 1890 और निधन 15 नवंबर, 1937 को हुआ था। आपने 47 वर्षों के छोटे–से जीवनकाल में कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचनात्मक निबंध सभी विधाओं में समान रूप से उच्च कोटि की रचनाएं की।

प्रमुख रचनाएं: कामायनी (प्रबंध काव्य), कानन कुसुम, झरना, लहर (कविता संग्रह), /ध्रुवस्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ

(नाटक), कंकाल, तितली, इरावती (उपन्यास), आकाशदीप (कहानी संग्रह) आदि।

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

21 फरवरी, 1899 को जन्मे निराला जी का नाम छायावाद के प्रमुख कवियों में लिया जाता है। आपकी काव्य प्रतिभा केवल छायावाद तक ही सीमित नहीं थी, अपितु छायावाद की सीमाओं को पार करके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक भी आपकी काव्य प्रतिभा पूरी शिद्दत से पहुंची। आपकी लेखन शैली अत्यंत रोचक थी तथा विषय का सजीव चित्रण करने में भी आपको महारत हासिल थी। आप मूलतः कवि थे लेकिन साथ ही, आपने कहानियां और रेखाचित्र भी लिखे हैं। 15 अक्तूबर, 1961 को आपने अपनी अंतिम सांस ली।

प्रमुख रचनाएं: तुलसीदास (प्रबंध काव्य), राम की शक्तिपूजा, सरोज स्मृति (लंबी कविताएं), अनामिका, गीतिका, परिमल, नये पत्ते, बेला (काव्य संग्रह), अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़ (उपन्यास), चतुरी चमार, सुकुल की बीवी (कहानी संग्रह), बिल्लेतसुर बकरिहा, कुल्लीन भाट (रेखाचित्र)।

सुमित्रानंदन पंत

ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मविभूषण से सम्मानित सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 14 मई, 1900 को हुआ था। आपको हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध छायावादी कवियों का उत्थान काल था। सुमित्रानंदन पंत उस नये युग के प्रवर्तक के रूप में हिन्दी साहित्य में उदित हुए। हिंदी कवियों में 'छायावाद' को प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में पंत जी का नाम प्रमुख है। आपका प्रकृति से असीम लगाव था। आपने प्रकृति के माध्यम से मानव मन की विभिन्न अनुभूतियों को वाणी देने के अलावा स्वतंत्र रूप से भी अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया है, इसलिए आपको 'प्रकृति का सुकुमार कवि' भी कहा जाता है। आपने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे हैं। आपने 'रूपा' नामक पत्रिका का संपादन भी किया। 28 दिसंबर, 1977 को आपका देहावसान हुआ।

प्रमुख रचनाएं : पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ग्राम्या, युगांतर, लोकायन (काव्य संग्रह), रजत शिखर, अतिमा, शिल्पी (काव्य रूपक), उच्छवास, मधुज्वाला, मानसी, युगपथ, सत्यकाम, आदि।

सुभद्रा कुमारी चौहान

हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त, 1909 को हुआ था। आप राष्ट्रीय विचारों की कवयित्री थीं। लेखन के साथ–साथ आप स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी रहीं, इसलिए आपकी कविताओं में राष्ट्रीय स्वर प्रमुखता से उभरा है। 'झांसी की रानी' शीर्षक वाली आपकी कविता इतनी प्रसिद्ध हुई कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में उसे शामिल किया गया और आज इस लंबी कविता का कोई–न–कोई अंश अधिकांश देशवासियों को कंठस्थ है। आपके दो कविता संग्रह तथा तीन कथा संग्रह प्रकाशित हुए पर आपकी प्रसिद्धि 'झाँसी की रानी' कविता के कारण है। आप राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, किन्तु आपने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएँ सहने के पश्चात् अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। आपकी चित्रण–प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, इस कारण आपकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। 'वीरों का कैसा हो वसंत' आपकी अन्य चर्चित कविता है। आपने कविताओं के साथ–साथ कहानियां भी लिखीं। आपने 12 अप्रैल, 1948 को अपनी अंतिम सांस ली।

प्रमुख रचनाएं: मुकुल, त्रिधारा (काव्य संग्रह), बिखरे मोती, सीधे–सीधे चित्र, उन्मादिनी (कहानी संग्रह), मिला तेज से तेज (जीवनी) आदि।

महादेवी वर्मा

26 मार्च, 1907 को जन्मी महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री और हिन्दी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से हैं। आप हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आपकी कविताओं में छायावाद, रहस्यवाद और अध्यात्मवाद की अंतर्धारा निरंतर विद्यमान रही है। पीड़ा आपकी कविता का मुख्य स्वर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित महादेवी जी ने कविताओं के अतिरिक्त अनेक रेखाचित्र तथा संस्मरण लिखे हैं। गद्य के क्षेत्र में भी आप असाधारण सिद्धि सम्पन्न लेखिका रही हैं। अपने गद्य के माध्यम से महादेवी जी अपने युग के प्रति एक असह्य वेदना, एक व्यापक प्रतिक्रिया और बेचैनी को अभिव्यक्त करती हैं। पशु–पक्षियों पर लिखे अपके रेखाचित्र बहुत ही चर्चित रहे हैं। महादेवी जी का निधन 11 सितंबर, 1987 को हुआ था।

प्रमुख रचनाएं: दीपशिखा, नीरजा, रश्मि,

यामा (काव्य संग्रह), अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार (रेखाचित्र और संस्मरण) साहित्यकार, की आस्था (निबंध) आदि।

रामधारी सिंह 'दिनकर'

रामधारी सिंह 'दिनकर' हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबन्धकार थे। आप प्रमुखतः राष्ट्रीय धारा और आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। आपका जन्म 23 सितंबर, 1908 को हुआ था। आपने हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान आकाश में शक्ति और पौरुष के कवि के रूप में अपनी एक निराली पहचान बनाई है। आप प्रगतिवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। आपकी कविताओं में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों की अभिव्यक्ति हुई है। आपका प्रबंध काव्य 'उर्वशी' अत्यधिक चर्चित हुआ। इसके लिए आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। आप भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से भी सम्मानित किए गए थे। कविताओं के अतिरिक्त आपने अनेक विचारप्रधान निबंध भी लिखे हैं। दिनकर जी का देहावसान 25 अप्रैल, 1974 को हुआ था।

प्रमुख रचनाएं: रेणुका, हुंकार, नीलकुसुम, कुरूक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृति के चार अध्याय, मिट्टी की ओर (निबंध संग्रह) आदि।

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'

अज्ञेय जी को एक प्रतिभासम्पन्न कवि, कथा–साहित्य को एक महत्त्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित–निबन्धकार, सम्पादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। आप प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अनेक जापानी हाइकु कविताओं को अज्ञेय ने हिंदी में अनूदित किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 'अज्ञेय' जी का जन्म 7 मार्च, 1911 को हुआ था। आपने आधुनिक साहित्य को अपने लेखन से प्रभावित किया है। आपको एक भाषा शिल्पी के रूप में भी याद किया जाता है। हिंदी कविता के इतिहास में 'नई कविता' का सूत्रपात करने का श्रेय आपको ही जाता है। लेखन के अतिरिक्त संपादक के रूप में भी आप अत्यधिक प्रतिष्ठित रहे। आपके द्वारा संपादित 'सप्तकों' की हिंदी कविता में अपनी अलग पहचान है। अज्ञेय जी का निधन 4 अप्रैल, 1987 को हुआ था।

प्रमुख रचनाएं: कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षणभर, भग्ननदूत, महावृक्ष के नीचे (काव्य), शेखरः एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने–अपने अजनबी (उपन्यास), विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात (कहानी संग्रह), तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक (संपादन) आदि।

मोहन राकेश

हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न नाट्यलेखक और उपन्यासकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी, 1925 को हुआ था। आप 'नई कहानी' आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। 'मलबे का मालिक' आपकी बहुचर्चित कहानी है। कथाकार के अतिरिक्त आप नाटककार के रूप में भी अत्याधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ वर्षों तक आपने हिंदी की कहानी की पत्रिका 'सारिका' का भी संपादन किया। 'आषाढ़ का एक दिन' नाट्य रचना के लिए और 'आधे–अधूरे' के रचनाकार के नाते आपको संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मनित किया गया था। 'अंधेरे बंद कमरे' आपका हिंदी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है जिसका अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। 3 दिसंबर, 1972 को आपने अंतिम सांस ली।

प्रमुख रचनाएं: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे–अधूरे (नाटक), अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल (उपन्यास), क्वार्टर तथा अन्य कहानियां आदि।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल

आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर, 1884 को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसवीं शताब्दी के हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करके आपने हिंदी को उसका पहला मानक इतिहास प्रदान किया। प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा और समालोचना के अतिरिक्त मौलिक लेखन तथा अनुवाद कार्य के माध्यम से भी आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आप कविता, नाटक, निबंध, समालोचना आदि सभी विधाओं में लिखते थे। शुक्ल जी का देहावसान 2 फरवरी, 1941 को हुआ।

प्रमुख रचनाएं: हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस–मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, जायसी ग्रंथावली (संपादन)।

पुरुषोत्तमदास टण्डन

पुरुषोत्तमदास टंडन आधुनिक भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और राजर्षि के रूप में विख्यात थे। आपका जन्म 1 अगस्त, 1882 और निधन 1 जुलाई, 1962 को हुआ था। आपकी हिंदी सेवा अप्रतिम है। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के कर्ताधर्ता थे और आपसे हिन्दी प्रचार के कार्य को बड़ी गति मिली। आपने अपना सारा जीवन हिंदी की सेवा और हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में अर्पित किया। हिंदी को आगे बढ़ाने और राष्ट्रभाषा के रूप में इसे सर्वोत्तम स्थान देने के लिए टण्डन जी ने कठिन परिश्रम किया। आपने 10 अक्टूबर, 1910 को वाराणसी के नागरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। फिर 1918 में आपने 'हिंदी विद्यापीठ' और 1947 में 'हिंदी रक्षक दल' की स्थापना की।

टण्डन जी हिंदी को देश की आजादी के पहले आजादी प्राप्त करने का और आजादी के बाद आजादी को बनाये रखने का साधन मानते थे। आपने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए और बहुत ही सरल ढंग से हिंदी को प्रगति के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। आप हिंदी में भारत की मिट्टी की सुगंध महसूस करते थे। 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' के 'इंदौर अधिवेशन' में स्पष्ट घोषणा की गई थी, 'अब से राजकीय सभाओं, कांग्रेस की प्रांतीय सभाओं और अन्य सम्मेलनों में अंग्रेजी का एक शब्द भी सुनाई न पड़े।'

फादर कामिल बुल्के

विदेशी विद्वानों के भारत से प्रभावित होने की लंबी परंपरा रही है, जिनमें कई चीनी, अरबी, फारसी और यूरोपीय यात्री शामिल हैं। ऐसे ही एक यात्री थे फादर कामिल बुल्के, जो भारत आए तो यहीं के हो गए और हिंदी के लिए वह काम कर गए जो शायद कोई हिन्दुस्तानी भी नहीं कर सकता था। 'अंग्रेजी हिंदी कोश' के लेखक, हिंदी के विद्वान और समाजसेवी फादर कामिल बुल्के आजीवन हिंदी की सेवा में जुटे रहे। आपका जन्म 1 सितंबर, 1909 को हुआ था। आपने अपनी थीसिस के लिए विषय चुना रामकथाः उत्पत्ति और विकास। इस पर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपकी यह थीसिस भारत सहित पूरे विश्व में प्रकाशित हुई जिसके बाद सारी दुनिया बुल्के को जानने लगी। आपके द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध की विशेषता यह है कि यह मूलतः हिन्दी में प्रस्तुत पहला शोध प्रबंध है। हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश के निर्माण के लिए सामग्री जुटाने में आप सतत प्रयत्नशील रहे। आपके द्वारा रचित शब्दकोष आज भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है। आपने इसमें 40 हजार शब्द जोड़े और इसे आजीवन अद्यतन भी करते रहे। आपने बाइबल का हिन्दी अनुवाद भी किया। भारत सरकार ने हिन्दी में आपके योगदान को देखते हुए 1974 में आपको पद्मभूषण से सम्मानित किया। आपने 17 अगस्त, 1982 को अंतिम सांस ली।

हिंदी के इन महान लोगों के योगदान को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी का अनवरत विकास चल रहा है। इस भाषा को समृद्ध बनाने के लिये योगदान देने वालों की कोई कमी नहीं। सूची लंबी है। असल में हिंदी की खूबसूरती है ही इसी में कि उसमें तमाम बोलियों और भावनाओं के शब्दों का समावेश है। हिंदी की इसी पावन भावना से प्रेरित होकर महाकवि जायसी ने यह कहा थाः

तुरकी, अरबी, हिन्दुई,
भाषा जेती आहि।
जेहि मँह मारग प्रेम का,
सबै सराहे ताहि।।

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा),
सेल एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) दिल्ली

"हिंदी राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग है। जब हिंदी की बात आती है तब नागरी प्रचारिणी सभा की सेवाएं आदर के साथ स्मरण हो आती हैं। सभा ने हिंदी के विकास के लिए ऐतिहासिक महत्व का गौरवशाली काम किया है। स्वतंत्र भारत में उसकी प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। उसकी योजनाएं सफल हों और हिंदी का ज्ञान भंडार बढ़े, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है।"

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

हिंदी भाषा की विकास गाथा

❖ *ओम प्रकाश वर्मा* ❖

हिंदी का विकास क्रमशः अपभ्रंश से शुभारंभ हुआ, जिसकी जानकारी में हम आठवीं शताब्दी तक जाते हैं, जिसे हिंदी का आभास कराने वाली 'अपभ्रंश' या 'पुरानी हिंदी' कहा गया है। इस हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को एक हजार वर्ष की मान्यता दी गई है। इसका इतिहास आगरा के विद्वत्प्रवर श्री जयकृष्ण खण्डेलवाल को लिखने पर उ.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन ने रायबरेली में सम्मानित भी किया था। हिंदी साहित्य के परंपरागत काल के इन हजार वर्षों को चार भागों में क्रमानुसार विभाजित किया गया– आदिकाल (800–1400), भक्तिकाल (1400–1700), रीतिकाल (1700–1850) तथा चौथा आधुनिक काल (1800 से वर्तमान तक)। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और आधुनिक हिंदी का श्रीगणेश वर्ष 1800 में कोलकाता से हुआ। विगत इन्हीं वर्षों में दक्षिण भारत में प्रचलित हिंदी भाषा को 'दक्खिनी हिंदी' नाम से कहा जाने लगा।

सर्वप्रथम हिंदी के नामकरण की आधारशिला रखने वाले बहुभाषाविद आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की चर्चा न होने से इसका इतिहास ही अपूर्ण कहा जायेगा। अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम अब्दुल हसन था। उनका जन्म एक तुर्की परिवार में वर्ष 1253 में उत्तर प्रदेश के 'पटियाली' कस्बे में हुआ था। अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता से लगाव था। उन्हें फारसी तथा हिंदी दोनों भाषाओं के जनप्रिय कवि माना जाता है। डॉ. रामकुमार वर्मा के कथानुसार, ''खड़ी बोली में प्रथम लिखने वाले अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने अपनी पहेलियों, मुकरियों आदि में इस भाषा का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रजभाषा को ही उन्होंने विशेष आश्रय दिया पर उन्होंने खड़ी बोली को भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा।''

जनसामान्य में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 92 ग्रंथों की रचना की थी, किंतु उसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। वे अपनी रचना 'गुर्रतुलकमाल' की भूमिका में लिखते हैं कि मैंने अपनी हिंदी कविताएं अपने मित्रों में बिखेर दी हैं, परंतु इन कविताओं में कुछ कविताएं सूफी विचार से सराबोर हैं। खुसरो की दृष्टि में 'सूफी' शब्द का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए धर्माचरण में लीन रहते थे, सूफी कहलाये।'

तेरहवीं शताब्दी में सर्वप्रथम 'हिंदी' का नामकरण हिन्दवी नाम से अमीर खुसरो ने ही दिया, जो प्रचलन में अपभ्रंश होकर हिंदी नाम से चर्चित हो गया।

अमीर खुसरो ने साहित्य में अनेक पहेलियां, दोहे, गीत, मुकरियां, कव्वाली आदि लिखी जो अभी तक प्रचलन में हैं। वर्तमान समय में अमीर खुसरो की रचनाओं का जनप्रिय होना उनकी हिंदी निष्ठा की आत्मीय भाव को रेखांकित पंक्तियां व्यक्त कर रही हैं–

'तुर्क हिंदुस्तानियम
मन हिंदी गोयम जवाब।
शक्र मिस्री ने दारम कज
अरब गोयम सुखन।।'

यानी मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूं और मैं हिंदवी में उत्तर देता हूं। मेरे पास मिश्री की मिठास नहीं है कि मैं अरबी में बाते करूं।

अमीर खुसरो पहला कवि है जिसने समूचे राष्ट्र की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, वह बड़ी स्वच्छन्दता से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, उर्दू, फारसी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए खुसरो की हिंदी की रचनाएं शताब्दियों बाद भी जनप्रिय और लोक साहित्य की अंग बन गई हैं।

यातायात और संचार माध्यमों के अभाव के युग में संपूर्ण देशवासियों के बीच सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना कैसे संभव हुई? संपर्क भाषा के रूप में मध्य देश से फैली संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि अपने–अपने काल में संपर्क भाषाएं रहीं हैं।

'वस्तुतः हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ वह किसी राज्याश्रय से या किसी की कृपा से नहीं मिला, देशवासियों ने स्वतः ही उसे प्रदान किया।' मुस्लिम शासनकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में ही साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। दिल्ली और उसके आस–पास की भाषा को ही संपर्क भाषा के रूप में मुसलमान शासकों ने अपनाया। उन्हीं के द्वारा दक्षिण भारत में पहुंची, जिसे फारसी विद्वान 'फरिश्ता' के अनुसार बहमनी राज्य (14वीं शताब्दी) के कार्यालयों में हिंदी जुबान को दक्खिनी हिंदी के नाम से विख्यात हुई 'हिन्दवी' संज्ञा भी ग्रहण की। सल्तनत ने सरकारी जुबान का दर्जा दे रखा था।

इसके पश्चात उर्दू शायर सौदा के गुरु

शाह आलम की पुस्तक 'दीवान जादे' (1750) में लिखा है, मैंने हिंदुस्तान के तमाम सूबों की जुबान (भाषा) 'हिन्दवी' को ही अपनी तकरीर (भाषण) के लिए चुना है। इसके पूर्व अंग्रेज यात्री एडवर्ड टेरी की रिपोर्ट (1615) में संपर्क भाषा के रूप में स्वतः विकास के प्रमाण में 'फरिश्ता' के बाद लिखा है–'हिंदोस्तानी' इण्डिया की लैग्वेज है।'

अंग्रेज लेफ्टीनेंट टामस रोबके ने वर्ष 1807 में जनभाषा हिंदी में अपने शिक्षक को लिखा 'भारत के जिस भाग में मुझे काम के लिए जाना पड़ा, वहां मैंने आपकी सिखाई हिंदुस्तानी भाषा का ही व्यवहार देखा है। कलकत्ता से कुमायूं तक, लाहौर से नर्मदा घाटी के मध्यदेश तक यह भाषा सभी जातियों और कबीलों द्वारा समझी जाती है।'

दक्खिनी हिंदी का जो प्रवाह चला वह अनवरत हिंदू–मुसलमान कवियों ने रचना करके साहित्य को समृद्ध किया, जिन्हें शासकों ने भी संरक्षण किया। इनमें इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुबशाह आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा।

देश के स्वाधीनता संघर्षकाल में भी हिंदी के शंखनाद यानी नारों और राष्ट्रीय गीतों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। उस संक्रमणकाल में भी हिंदी अपनी विकास यात्रा की ओर अग्रसर रही। विदेशियों के हिंदी प्रेम की ओर भी ध्यान आकर्षित होता है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन को गति देने वाली एनीबेसेंट का नाम सर्वप्रथम है। उनके कथानुसार, 'मैं आशा करती हूं, हिंदी भारत की जनभाषा बनेगी और मैं यह भी सोचती हूं कि सभी भारतीय विद्यालयों में अनिवार्य अंग्रेजी के बदले हिंदी का अनिवार्य भाषा के रूप में अध्यापन होना चाहिए, यदि दोनों का नहीं हो सकता।' (हिंदी के बढ़ते चरणों को देखकर वर्ष 1835 में लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था।)

हिंदी के पहले विदेशी व्याकरण लेखक जान जोशुआन कटलर हैं, जिन्होंने उसे 'हिंदुस्तानी भाषा' शीर्षक से डच भाषा में किया, तत्पश्चात, उसका अनुवाद लैटिन में क्रमशः वर्ष 1695 तथा 1698 में दो बार प्रकाशित हुआ। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का पहला व्याकरण वर्ष 1771 में ईसाई पादरी बेंजामिन शुल्ज ने 'ग्रामेटिका हिंदुस्तान' नाम से तैयार किया।

'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' ने वर्ष 1803 में अपनी सुविधा हेतु जनता से संबंधित कानूनों को हिंदी में तैयार करके उनके प्रयोग का शुभारंभ किया। किंतु न्यायालयों में देवनागरी लिपि का प्रयोग वर्ष 1901 में सर्वप्रथम किया। 'हिंदी मदरसा' की स्थापना कोलकाता में बारेन हेस्टिंग्स ने की। इधर हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन का मूल स्वर बन गई और उसके राष्ट्रीय गाने, तराने और नारे एक स्वर में सारे देश में गूंजने लगे। अहिंदी भाषी राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज सुधारकों के शीर्षस्थ लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, राममोहन राय, बंकिमचंद्र चटर्जी तथा वर्ष 1875 में केशवचंद्र सेन ने कहा था, 'हिंदी को अगर भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया जाये तो सहज में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है। इस भावना को अनवरत रखने में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, वीर सावरकर, अमर शहीद भगत सिंह, संत विनोबा भावे, काका कालेलकर आदि अग्रसर रहे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने भी हिंदी का वातावरण तैयार किया। तमिल भाषा के साधक कवि गुरुनगर की ये पंक्तियां, जिनका अनुवाद राष्ट्रकवि रामधारीसिंह दिनकर ने किया है, प्रेरणादायक और हृदयग्राही हैं... 'जिस दिन भारत के सभी लोग/अपनी पसंद से चुनी हुई सबकी बोली/हिंदी को अपनी जानेंगे। जानेंगे केवल नहीं, वरन आसानी से/हिंदी में करके कामकाज सुख मानेंगे/बस उसी दिवस दासत्व न रहने पायेगा/बस उसी रोज सच्चा स्वराज्य आ जाएगा।'

हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का प्रतीक है, हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलन तथा अभिव्यक्ति की भाषा है। समस्त भारत की सदियों से सम्पर्क भाषा, धर्म और भक्ति की भाषा, तीर्थों की भाषा और छावनियों की भाषा रही है। हिंदी भारत के सभी हिस्सों में बोली, पढ़ी व समझी जाती है, यह बोधगम्य होने के साथ–साथ राष्ट्र की संस्कृति की संवाहक भी है। स्वाधीनता के बाद देश की राजभाषा हिंदी का संविधान में प्रवेश एक मत के अंतर से स्वीकार किया गया। यह असत्य बात बड़े पैमाने से प्रचारित की गई जबकि हिंदी को सर्वसम्मति से संविधान में सम्मिलित किया गया था।

इस संविधान समिति को मुंशी आयंगार समिति कहते हैं। इसके अधिकांश अहिंदी भाषी सदस्य थे, श्री गोपाल स्वामी आयंगार, श्री टी. टी. कृष्णमाचारी, श्री ए. के. आयंगार, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, श्री सआदुल्ला, श्री एल.एम. राव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पं. गोविंद वल्लभ पंत, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री बालकृष्ण

शर्मा 'नवीन', डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और श्री के. संथानम, जिन्होंने हिंदी को ही राजभाषा बनाने को एकमत (सर्वसम्मति) से स्वीकार किया था। इसके अलावा अंकों से संबंधित निर्णय किया गया कि शासकीय प्रयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय अंकों को मान्यता प्रदान की जाये। इस घटना को ही कुछ लोग संविधान सभा की घटना मान गए, इससे स्पष्ट है कि राजभाषा बनाने में कोई विरोध या गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ।

सर्वप्रथम संविधान सभा में 12 सितम्बर, 1947 को राजभाषा बनाने के प्रावधान का प्रस्ताव श्री गोपालस्वामी आयंगार ने रखा, इसका समर्थन श्री शंकरराव देव ने किया था। ये दोनों दूरदर्शी अहिंदी भाषी राष्ट्रभक्त नेता थे। सभा की तीन दिवसीय 12,13 एवं 14 सितंबर, 1946 की बहस में 71 सदस्यों ने भाग लिया।

संविधान सभा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के भाषण के कुछ अंश हैं, जिससे उनकी राष्ट्रीय एकता में हिंदी को दृढ़तापूर्वक मान्यता प्रदान किया, 'मैं ऐसे प्रांत का हूं जिसका अपना इतिहास है और उस इतिहास पर मुझे शर्म लगने का कोई कारण नहीं है। मेरी भाषा में ऐसा साहित्य है, जिसका मुझे अभिमान है। इतना होते हुए भी जाहिर करना चाहता हूं कि समूचे हिंदुस्तान की एक ही राजभाषा होनी चाहिए। उसके लिए मेरी भाषा का बलिदान करने को तैयार हूं। वरना हमारी अखिल भारतीयता की बातें खोखली ही ठहरेंगी।'

वस्तुतः बहुभाषाविद 36 भाषाओं के विद्वान विश्वयायावर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी को विश्व की महान भाषा कहा। अंग्रेजी भाषाविज्ञान वेत्ता डॉ. ग्रियर्सन के अनुसार, 'हिंदी ही एक भाषा है, जो भारत में सर्वत्र बोली और समझी जाती है।' बेल्जियम के रेवरेण्ड फादर डॉ. कामिल बुल्के हिंदी से ऐसे प्रभावित हुए कि भारत के नागरिक बनकर जीवन पर्यंत स्वदेश त्याग भारत में ही रहे। डॉ. बुल्के ने कई हिंदी पुस्तकें लिखने के अलावा हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश बनाया, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी। विश्व में हिंदी कृति–रामचरित मानस पर तुलनात्मक अध्ययन सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में डॉ. यल.पी. तैस्तीतेरी ने इतावली भाषा में किया था।

आज पूरे भारत में सर्वाधिक फिल्में हिंदी में बनने का एकमात्र कारण है कि देश की अधिकांश जनता हिंदी को समझने व बोलने लगी है। संसार में हॉलीवुड के बाद फिल्म निर्माताओं में भारत के बॉलीवुड का दूसरा स्थान माना जा रहा है। विदेशी में भी हिंदी की फिल्मों का व्यावसायिक दृष्टि से काफी बड़ा क्षेत्र विशेषकर इस्लाम देशों में हो चुका है। इसी प्रकार हिंदी जनभाषा के कारण ही विदेशी मीडिया के सबसे बड़े व्यवसायी रूपर्ट मर्डोक 'स्टार चैनल' लेकर आए। इस अंग्रेजी चैनल का बड़ी धूमधाम से शुभारंभ किया गया। इसी आधार पर सोनी, डिस्कवरी आदि भी अन्य अंग्रेजी चैनल अपनी भाषा में कार्यक्रम लेकर आए। किंतु बदलते परिवेश को अनुभव करके सभी ने अंग्रेजी चैनल को हिंदी में परिवर्तित करना पड़ा ताकि दर्शकों की अपार संख्या बढ़ाकर अपने आर्थिक व्यापार की अभिवृद्धि से अधिक धन कमा सकें। हिंदी विज्ञापनों से भी मनोरंजन के टी.वी. चैनल अपार अर्थ लाभ कमाने लगे। वैश्वीकरण के इस युग में हिंदी की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ रही है क्योंकि हिंदी अब विदेशियों के लिये आय वृद्धि यानी नोट छापने वाली मशीन सिद्ध होने लगी।

कम्प्यूटर की भाषा हिंदी भी है। बिल गेट्स के पुत्र का एक भाषण विगत दिनों प्रकाशित हुआ था कि अंग्रेजी को थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। यह बात उन्होंने भारत में नहीं कही थी– विदेश के बर्मिंघम में कही थी। चीनी, हिंदी और स्पेनिश इन तीनों भाषाओं का दबाव बढ़ने वाला है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश ने हिंदी को इक्कीसवीं सदी की भाषा ही नहीं बताया वरन हिंदी विकास के लिए दस करोड़ डॉलर की राशि भी प्रदान की थी।

भारत में लगभग सभी विषयों एवं विधाओं में हिंदी पर विगत वर्षों में प्रचुर मात्रा में प्रकाशन कार्य हो चुका है। विज्ञान, न्यायपालिका, मेडिसिन, भूगोल, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वनस्पति विज्ञान आदि में काफी लिखा गया है, किंतु बिना अध्ययन किए ही कहा जा सकता है कि हिंदी में कविता, कहानी के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ जबकि यह बात पूर्ण रूपेण असत्य है। विज्ञान की तकनीकी शब्दावली पर भी काफी प्रकाशन हुए हैं। प्रवासी भारतीयों ने हिंदी साहित्य में अपार भंडार भरा है। वहां से हिंदी पत्र–पत्रिकाएं, कवि सम्मेलन तथा विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन आदि से हिंदी को विश्व भाषा का रूप प्रदान किया है। कविवर दुर्गाचरण मिश्र की प्रस्तुत पंक्तियां कितना यथार्थ का चित्रण कर रही हैं– हिंदी का क्षेत्र विश्व में फैला विशाल है/अनेकता में एकता की ये मिसाल है।'

हिंदी एवं अभिलेख अधिकारी,
नर्मदा नियंत्रण अधिकारी,
जल संसाधन मंत्रालय

विकासमान हिंदी: सामर्थ्यवान हिंदी

❖ संजय चौधरी ❖

राजभाषा हिंदी की विकास–यात्रा को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई संघर्षों, कई पड़ावों और कई विद्वेषपूर्ण षडयंत्रों को पार करके हिंदी आज यहां तक पहुंची है। अमीर खुसरो से लेकर तुलसी–कबीर और भारतेंदु–हरिऔध के पदों में परवान चढ़ती हिंदी स्वाधीन भारत में तेजी से पुष्पित–पल्लवित हुई है। कुछ कर्मकांडी आलोचक भले ही आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों और कुछ चर्चित रचनाओं की प्रकृति के प्रति छिद्रान्वेषण को ही सबसे बड़ा सुख मानते हों लेकिन यह एक सत्य है कि साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ–साथ हिंदी ने राष्ट्रभाषा होने के दायित्व भी बखूबी निभाया है। देश की राजनीतिक–सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के साथ–साथ इसने सदियों के पारंपरिक ज्ञान को भी अपने में सहेज कर हर नई पीढ़ी को सौंपने का काम जारी रखा है। इस प्रकार, हिंदी भाषा ने सिद्ध कर दिया है कि यह केवल भाषा मात्र नहीं है, वरन ज्ञान की, संस्कार की और संस्कृति की वाहिका भी है। वर्तमान समय में इसने स्वयं को लोकप्रिय संस्कृति के साथ–साथ देश के उभरते बाजार का सबसे सशक्त और सबसे विस्तृत माध्यम सिद्ध कर दिया है।

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने सबसे आगे बढ़ कर सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्र–प्रेम को समर्पित ऐसी कई पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं, जिनका कलेवर भले ही रोमन लिपि का था लेकिन आत्मा हिंदी थी। आंदोलन में सक्रिय सभी राष्ट्रीय नेता देश के नवनिर्माण के लिए हिंदी के महत्व को समझते थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के गणमान्य साहित्यकारों एवं सभी प्रमुख समाज–सुधारकों ने भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने का आग्रह किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए घोषणा की थी, राजनीति, वाणिज्य तथा कला के क्षेत्र में देश की अखंडता के लिए हिंदी की महत्ता की ओर सभी भारतीयों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले और अपनी–अपनी प्रांतीय भाषाएं बोलने वाले हों।''

जब भारतीय संविधान बनाने का समय आया, तब रोमन लिपि को अपनाने और हिंदी – उर्दू का विवाद खड़ा करके भाषा के प्रश्न को उलझाने का प्रयास किया गया। हिंदी का विरोध करने वालों ने पूरी कोशिश की कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा न मिल सके। फरवरी, 1948 में संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उसमें संघ सरकार की राजभाषा का कोई उल्लेख नहीं था। परंतु कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी के अथक प्रयासों से सितम्बर 1949 में संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर चर्चा हुई और 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने अंतिम निर्णय लिया। नव–निर्मित राष्ट्र के सामने उपस्थित विभिन्न चुनौतियों तथा भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी के वर्चस्व को देखते हुए इसे राजभाषा घोषित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि, 'हिंदी को किसी भाषायी श्रेष्ठता के कारण अखिल भारतीय भाषा नहीं बनाया गया बल्कि इसलिए बनाया गया क्योंकि यह अधिकांश भागों में फैली हुई है। साथ ही सबसे अधिक आसान भी है।''

आजादी के बाद संविधान ने हिंदी को राजभाषा जरूर बना दिया लेकिन शासन–प्रशासन के क्षेत्र में इसे प्रतिष्ठित करने के लिए जिस समर्पण और निष्ठा से कार्य करने की जरूरत थी, उसका नितांत अभाव बना रहा। इसके बावजूद हिंदी यदि समृद्ध होती रही और विस्तार पाती रही तो यह सब मात्र जन–समर्थन के आधार पर संभव हो पाया। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कभी कहा था, ''भाषा का निर्माण सेक्रेटेरिएट में नहीं होता, भाषा गढ़ी जाती है जनता की जिव्हा पर।'' और यह बात हिंदी पर पूरी तरह से लागू होती है। वास्तव में, जिस प्रकार जनतंत्र की जड़ पंचायतों में है उसी प्रकार हिंदी की असली जड़ आम जनता तथा स्वैच्छिक हिंदी सेवी संगठनों में है, जो हिंदी की भागीरथी में प्रवाहित जन–भाषा रूपी जल को निर्मल–अविरल गतिमान बनाए रखने के लिए तन–मन–धन से निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

हिंदी को सशक्त–समर्थ बनाने में जिस प्रवृत्ति ने सबसे अधिक योगदान दिया, वह थी भारतीय जन–मानस में व्याप्त सामासिकता की प्रवृत्ति। विभिन्न मतों, पंथों एवं संप्रदायों से समृद्ध भारतीय समाज में आरंभ से ही हिंदी का आदान–प्रदान अन्य भाषाओं और बोलियों के साथ होता रहा। यह कहा जा सकता है कि सामंजस्य और सौहार्द की पृष्ठभूमि में निरंतर विकसित होते जनाधार के बल पर हिंदी की भाषायी समृद्धि संभव हुई है। हिंदी की विशालता, साझेदारी की शक्ति आज के सांस्कृतिक अवरोध के समय में महत्वपूर्ण है। हमारे देश के संदर्भ में यह बात पूरी तरह से

सत्य है कि हिंदी का जितना अधिक विकास होगा, हमारा देश उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। जैसा कि चेकोस्लोवाकिया के हिंदी विद्वान ओदोलेन स्मेकल का मानना है, इसके लिए आम लोगों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है, "निस्संदेह हिंदी पूर्ण विकसित भाषा है, जो न केवल अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर प्रवेश कर सकती है, अपितु इसमें उसे मान्यता भी मिलनी चाहिए और यह तब संभव होगा जब हिंदी को अधिकाधिक व्यवहार में लाया जाएगा। तब हिंदी ही अपने देश में लोकाचार और देशाचार की भाषा बन जाएगी। भाषा सरकार की नहीं, जनता की है। भाषा अपनी जाति के चिंतन और जागृति स्तर का दर्पण है।"

अपने व्यापक जनाधार की बदौलत आज हिंदी भारत में एक बड़े भूभाग की मातृभाषा बन गई है। 40 करोड़ लोग इसे अपनी मातृभाषा बताते हैं। आज के वैश्विक समाज में हिंदी न केवल ताकतवर भाषा बनकर उभरी है, बल्कि विदेशों में भी इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय बाजार में पैठ बनाने और भारतीयता को समझने के लिए हिंदी सीखने के प्रयासों ने इसके भाषायी विस्तार को बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि अनेक विरोधाभासों के बावजूद हिंदी की जड़ें पहले से मजबूत हुई हैं। कुल मिलाकर हिंदी आज मीडिया, राजनीति, मनोरंजन और विज्ञापन की प्रमुख भाषा है। व्यापार, वाणिज्य, फलित ज्योतिष आदि क्षेत्रों में भी हिंदी ही सबसे प्रचलित भाषा है। भारत जैसे बड़े देश में हर वर्ग को एक भाषा के सहारे संबोधित करने के लिए सिर्फ हिंदी ही स्वीकृत माध्यम है। बाजार से लेकर साइबर संसार तक इसका विस्तार देखा जा सकता है। यहां हम विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रभाव और इसकी प्रभाविता में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे।

इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न राष्ट्रीय समारोहों तथा खेल आयोजनों का हिंदी में प्रस्तुत किया गया आँखों देखा हाल आज लगभग सभी चैनलों पर बहुत बड़े दर्षक वर्ग द्वारा देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि पुराने समय में यह भ्रम खूब फैलाया गया था कि हिंदी में किकेट का विवरण (कमेंट्री) नहीं दिया जा सकता। लेकिन हिंदी के बारे में फैलाए गए अन्य भ्रामक प्रचारों के समान यह भ्रम भी क्रिकेट विवरणकारों (कमेंटेटरों) ने ऐसा दूर किया कि लोग अंग्रेजी कमेंट्री ही भूल गए।

पूरे विश्व में आज बाजार का वैश्वीकरण हो रहा है और इसने भारत का भाषायी परिदृश्य ही बदल दिया है। हमारी रोज की जिंदगी से लेकर बड़े कॉरपोरेट निर्णय तक वैश्वीकरण से प्रभावित हैं। ऐसे में, भारतीय जनता के बीच अपनी गहरी पैठ और अपनी उपयोगिता के नाते हिंदी आज बाजार की सबसे प्रिय भाषा बन गई है। आज के इस उपभोक्ता आधारित युग में प्रायः सभी बड़े राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण से जुड़ी विभिन्न देशी एवं विदेशी कंपनियां यदि भारतीय ग्राहकों से संवाद स्थापित कर पा रही हैं तो केवल हिंदी के माध्यम से। इन कंपनियों की कॉरपोरेट कार्यशैली, विपणन नीतियों, प्रचार हेतु तैयार विज्ञापन आदि विभिन्न अभियानों पर हावी हिंदी का प्रभाव इस भाषा के सामर्थ्य का डंका पीट रहे हैं।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी अधिक सशक्त–समर्थ होकर उभरी है। उपभोक्ताओं की नब्ज पकड़ने के लिए बाजार आज हिंदी के आसमान को न केवल समझने लगा है बल्कि इसे छूने के लिए एडी–चोटी का जोर लगा रहा है। यदि भारतीय फिल्मों और भारतीय गानों की बात करें तो इनके प्रति देश–दुनिया में दीवानगी बढ़ी है। प्रशंसकों की इस दीवानगी ने हिंदी भाषा के साथ–साथ हिंदी फिल्मों के फलक को नई ऊंचाईयां दी हैं। मोटे दामों में बिकते भारतीय फिल्मों के ओवरसीज राइट विदेशों में हिंदी फिल्मों के बढ़ते बाजार और इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस तरह मनोरंजन जगत और बाजार से होते हुए हिंदी, देश व क्षेत्र की सीमाओं से परे अपनी वैश्विक पहचान बना रही है।

वैश्वीकरण की आवश्यकताओं एवं भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया के बढ़ते रूझान के कारण आज अमेरिका, यूरोप के कई देशों में भारतीयता एक ब्रांड बन चुकी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और पौराणिक साहित्य, आयुर्वेद और योग के प्रति उपजे आकर्षण ने भी भारत को जानने समझने की ललक को बढ़ावा दिया है। इसी ललक और रुचि के कारण आज इन देशों में इंडिया स्टडी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रो में भारतीय धर्म एवं अध्यात्म, सभ्यता एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, आधुनिक हिंदी भाषा आदि पर शोध कार्य किया जाता है। यूरोप के कई नामी शैक्षिक संस्थाओं में जर्मन, फ्रैंच जैसी भाषाओं के साथ हिंदी को बतौर विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में जगह दी गई है।

इसी प्रकार, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ ने पिछले लगभग 50 वर्षों से आधुनिकतम तरीकों से उच्च स्तरीय और प्रशिक्षित शिक्षकों की देख–रेख में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है।

पूरे विश्व में हिंदी के अध्ययन–अध्यापन को जिस गति से बढ़ावा मिल रहा है। उसी गति से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इक्कीसवीं सदी की प्रवृत्तियों

के अनुरूप कैरियर के विकास के लिए हिंदी ने अनेक अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। वर्ष 1994 से आइएएस और एलायड सेवाओं में लगभग एक चौथाई लोग हिंदी माध्यम में परीक्षा देकर सफल हुए हैं और इन सेवाओं में प्रवेश पा सके हैं। साथ ही, महाशक्ति के रूप में तेजी से उभरते भारत को समझने और अपने लोगों को हिंदी भाषा में प्रवीण बनाने के लिए अमरीका जैसे कई देश अपने यहां बड़ी संख्या में हिंदी शिक्षकों को भर्ती कर रहे हैं। पिछले डेढ–दो दशकों के दौरान रोजगार के क्षेत्र में हिंदी जानने वालों के लिए अनेक अधुनातन अवसर उपलब्ध हुए हैं। यदि ई–गवर्नेस और वेब–आधारित सेवाओं पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि प्रायः सभी हिंदी प्रदेशों ने इनका पूरा ढांचा एवं तकनीकी नेटवर्क आम लोगों के लिए हिंदी में उपलब्ध करवा रखा है। इस प्रकार, सरकारी कामकाज में हिंदी भाषायी संस्कृति को अधिक प्रखर बनाने का कार्य संपन्न हो सका है।

पिछले बीस–पच्चीस सालों में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों की आंधी से कोई नहीं बच सका है। बदलते समय के साथ ताल से ताल मिलाते हुए हिंदी भी तेजी से अपना स्वरूप बदलती जा रही है। मीडिया में जिस तरह की हिंदी का उपयोग हो रहा है उसे लेकर उपजी चिंताओं को अनर्गल नहीं माना जा सकता किंतु विस्तार के दौर में ऐसा अस्थायी भटकाव हर जगह देखा जाता है। आज के अधिकांश अखबार और चैनल हमारे विचारों के साथ हमारी भाषा भी परिष्कृत कर रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा हिंदी प्रचार का जो अभियान आरंभ किया गया, उसकी कमान अब विभिन्न सेटेलाइट चैनलों ने संभाल ली है। टीआरपी में दर्ज आंकड़ों पर गौर करें तो आज देश में हिंदी समाचार और मनोरंजन चैनलों के दर्शकों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी धारावाहिकों के पात्रों की लोकप्रियता केवल इन पात्रों या कथानकों भर की लोकप्रियता नहीं बल्कि भारत में हिंदी की लोकप्रियता की भी कसौटी है।

इलेक्ट्रानिक माध्यमों ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न राष्ट्रीय समारोहों तथा खेल आयोजनों का हिंदी में प्रस्तुत किया गया आंखों देखा हाल आज लगभग सभी चैनलों पर बहुत बड़े दर्शक वर्ग द्वारा देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि पुराने समय में यह भ्रम खूब फैलाया गया था कि हिंदी में क्रिकेट का विवरण (कमेंट्री) नहीं दिया जा सकता। लेकिन हिंदी के बारे में फैलाए गए अन्य भ्रामक प्रचारों के समान यह भ्रम भी क्रिकेट विवरणकारों (कमेंटेटरों) ने ऐसा दूर किया कि लोग अंग्रेजी कमेंट्री ही भूल गए।

खेलों की ही तरह आजकल युवाओं में कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा टैबलेट आदि डिजिटल यंत्रों का जादू सिर चढ़ कर बोल रहा है। हर्ष की बात है कि लगभग इन सभी यंत्रों में हिंदी का प्रवेश और प्रयोग आज संभव बनाया जा चुका है। यहां तक यंत्र–तंत्र के इस जटिल जालतंत्र का कोई पक्ष, कोई क्षेत्र आज हिंदी के लिए अछूता नहीं रह गया है। यूनिकोड सिस्टम ने कंप्यूटर पर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में काम करना अंग्रेजी जैसा ही सरल बना दिया है। इस भाषाई समर्थन ने तकनीकी भेदभाव (डिजिटल डिवाइड) की दूरी को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यही कारण है कि अब इंटरनेट पर हिंदी ब्लॉगों तथा वेबसाइटों की भरमार हो गई है। हालांकि हिंदी ब्लॉगों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, इसका शुभारंभ वर्ष 2002 में 'नौ दो ग्यारह' नामक ब्लॉग से हुआ माना जाता है लेकिन आज इनकी संख्या लगभग 60,000 तक पहुंच गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पूरे विश्व में हिंदी के प्रति सकारात्मक वातावरण बन रहा है। ऐसे में, हम सबके लिए जरूरी है कि स्वयं को नकारात्मक भावभूमि से पूर्णतया मुक्त करें और सरल एवं अच्छी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करें। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हिंदी भाषा पर गर्व करना सीखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि साहित्यिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी भाषा की क्षमताओं पर हमाने मन में अथाह विश्वास हो। लेकिन आज आवश्यकता है इस बात की है हिंदी की सिर्फ साहित्य ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और वैज्ञानिक लेखन में काम आने वाली पारिभाषिक शब्दावली भी सहज की जाए। यदि हमें ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को हिंदी माध्यम से पढ़ाना है और इसे लोकप्रिय बनाना है तो खास तौर से याद रखना होगा कि सरल भाषा ही ज्ञान की संवाहक बन सकती है। साथ ही, हमें अपनी इस राष्ट्रभाषा के समावेशी चरित्र को और अधिक सुरक्षित–सामर्थ्यवान बनाना होगा ताकि यह जन–जन के बीच सहज, सुगम और सुबोध बनी रहे।

जे. एंड के.–16 बी, दिलशाद गार्डन,
नई दिल्ली–110095

"भारतेंदु और द्विवेदी ने हिंदी की जड़ पाताल तक पहुँचा दी है,
उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही भूकंपध्वस्त होगा।"

–शिव पूजन सहाय

महात्मा गाँधी के भाषा चिंतन एवं भाषा-नीति की प्रासंगिकता

❖ डॉ. उषा सिन्हा ❖

भारत के राजनैतिक क्षितिज पर गांधी जी का उदय भुवन भास्कर की भांति हुआ। कोटि–कोटि भारतीय इस महान विभूति, अपने सर्वमान्य नेता के आह्वान पर जीवन अर्पित करने को तैयार हो गए। प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी मानव मात्र की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। सत्य, अहिंसा उनके जीवन के आदर्श थे। दृढ़ निश्चयी एवं महान अध्यवसायी गांधी जी ने अपनी सत्य साधना के साथ–साथ एक ओर समाज का सुधार किया, दूसरी ओर गरीबी का उन्मूलन व देश को विदेशी परतंत्रता से मुक्त कराने के संघर्ष हेतु स्वाधीनता आंदोलन को रीढ़ प्रदान की और राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। बीसवीं शताब्दी की महान विभूति गांधी जी ने व्यावहारिक आदर्शवादी के रूप में सर्वोदयवाद की स्थापना की और जन–सामान्य को राष्ट्रीय हित से जोड़ा। उन्होंने व्यक्ति के सुधार एवं आत्मशुद्धि, सादगी, सरल जीवन, शरीर श्रम और ब्रह्मचर्य पर बल दिया। मानवीय चरित्र में उदात्त एवं दैवीय अंश की प्रधानता स्वीकार की और आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया। सर्व धर्म समभाव के पक्षधर गांधी जी ने जिस शिक्षा पद्धति पर बल दिया उसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ज्ञान के साथ कर्म भी समन्वित है। वे ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का विकास करने के पक्ष में थे, जिससे राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आस्था बढ़े और संपूर्ण एकता व अंतरराष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न हो। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था– ''गांधी एक किताबी सत्य नहीं, एक जीवित सत्य हैं। एक ऐसा सत्य, जो देश के पीड़ित, वंचितों की कुटिया का द्वार खटखटाता है, जिसकी वेशभूषा

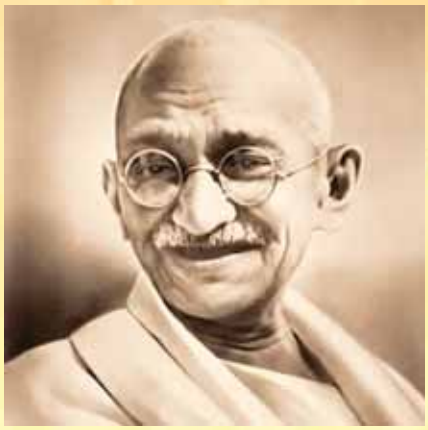

ठीक वैसी ही है जैसी कि खुद उनकी और जो खुद उन्हीं की, देश के गरीबों, पीड़ितों एवं वंचितों की भाषा में उनसे बात करता है। ऐसे महामानव को प्रणाम करते हुए महादेवी जी ने लिखा है–

''हे धरा के अमर सुत
तुमको अशेष प्रणाम
जीवन के अजस्र प्रणाम
मानव के अनंत प्रणाम''

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया और हिंदी की समृद्धि एवं उसके बहुआयामी उन्नयन की कामना की गई, किंतु वर्तमान भाषिक परिदृश्य में हिंदी को समृद्ध, प्रतिस्पर्धी एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा संपन्न बनाने के लिए गंभीर प्रयास के साथ अपने चिंतन, सोच व व्यवहार में सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता की चर्चा हो रही है। आज जिस प्रकार हिंदी और उर्दू के मध्य दूरियां बढ़ी हैं, अंग्रेजी के वर्चस्व और हिंग्लिश के प्रयोग की बढ़ती आकांक्षा के साथ देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग की पैरवी की जा रही है, उसी के कारण पुनः स्वसंस्कृति, स्वभाषा के अनुरक्षण और हिंदी के प्रयोग में गर्व तथा स्वाभिमान की अनुभूति व अस्मिता की रक्षा करने की आवश्यकता पर गंभीर चिंतन–मनन हो रहा है।

वर्तमान भाषायी परिदृश्य और भारत की भाषा–समस्या के संबंध में गांधी जी का चिंतन आज भी प्रासंगिक है। उनकी भाषा नीति–बहुत ही वस्तुपरक, व्यावहारिक एवं स्पष्ट थी। गांधी जी के विचार यंग इंडिया, हरजिन सेवक, हिंदी नवजीवन तथा हरिजन बंधु आदि में प्रकाशित लेखों और इण्डियन होमरूल व अन्य पुस्तकों एवं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को लिखे गए पत्रों में मिलते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1909 में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

इंडियन होमरूल के अट्ठाहरवें अध्याय में आपने लिखा था– हर एक पढ़े–लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को पर्शियन का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर और पश्चिम में रहने वाले हिंदुस्तानी को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तानी के लिए तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होनी चाहिए। ऐसा होने पर हम अपने आपस के व्यवहार में से अंग्रेजी को निकाल बाहर कर सकेंगे।'

भाषा के प्रसंग में अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में गांधी जी की स्पष्ट नीति थी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 'मेरा अपना अनुभव' (हरिजन–9. 7.38) 'विदेशी माध्यम का बच्चों पर प्रभाव'– (यंग इंडिया– 1.9. 1921), 'अंग्रेजी बनाम मातृभाषा' (यंग इंडिया) 2.2.1921, उच्च शिक्षा (यंग इंडिया – 5.7.1928) तथा जापान

का उदाहरण (हरिजन 1.2.1942) आदि लेखों या लेख खंडों में अपने विचार अत्यंत तर्क संगत ढंग से व्यक्त किए हैं। गांधी जी पूरे भारत के लिए शिक्षा में हिंदी (जिसे वे हिंदुस्तानी कहते थे) को अनिवार्य विषय बनाने के पक्ष में थे। इस संबंध में 1909 से लेकर अपने जीवन के अंत तक वे बराबर लिखते रहे। साथ ही हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए किसी अन्य भाषा विशेषतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम में से किसी एक को सीखना भी उनकी दृष्टि में उतना ही आवश्यक था। संस्कृत, अरबी–फारसी को भी वे शिक्षा में उचित स्थान देने के पक्षधर थे।

प्रशासनिक स्तर पर उनकी स्पष्ट राय थी कि केंद्र का कार्य हिंदी में हो तथा प्रादेशिक सरकारों और केंद्र का पत्र–व्यवहार भी हिंदी माध्यम से होना चाहिए। प्रांत या प्रदेश की अपनी भाषा को ही उस प्रदेश की सरकारी भाषा बनाने के पक्ष में थे। अन्य देशों से पत्र–व्यवहार में भाषा के प्रयोग के संबंध में भी वे हिंदी के ही पक्षधर थे। इस प्रकार शिक्षा का माध्यम, प्रांतीय सरकार व केंद्रीय सरकार के कामकाज एवं अंतरराष्ट्रीय पत्र–व्यवहार, किसी में भी वे अंग्रेजी के पक्षधर नहीं थे। विदेशी भाषा का ग्रहण, चाहे वह कितनी ही सम्मुन्नत हो, वे गुलामी का प्रतीक मानते थे। उनका यह भी मानना था कि किसी विदेशी भाषा के माध्यम से व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास संभव नहीं है। कोई भी विदेशी भाषा जनभाषा नहीं बन सकती है। अतः उसे किसी देश पर थोपना वे अन्याय समझते थे। 'यंग इंडिया' में 22.1.1920 को गांधी जी ने मद्रास के नाम एक अपील निकाली थी जिसके कुछ अंश द्रष्टव्य है– 'सन 1915 में मैं एक के सिवा, कांग्रेस की सभी बैठकों में शामिल हुआ हूं। उसके कार–बार को अंग्रेजी के बदले हिंदुस्तानी में चलाने की उपयोगिता के विचार से मैंने उसका खासतौर से अभ्यास किया है। मैंने सैंकड़ों प्रतिनिधियों और हजारों प्रेक्षकों से इसकी चर्चा की है।... सभी लोक सेवकों की अपेक्षा मैं शायद सारे देश में ज्यादा घुमा–फिरा हूं और पढ़े–लिखों व अनपढ़ों को मिलाकर सबसे ज्यादा लोगों से मिला हूं और मैं सोच–समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राष्ट्र का कार–बार चलाने के लिए या विचार–विनिमय के लिए हिंदुस्तानी को छोड़कर दूसरी कोई भाषा शायद ही राष्ट्रीय माध्यम बन सके।... साथ ही व्यापक अनुभव के आधार पर मेरी यह पक्की राय बनी है कि पिछले दो सालों को छोड़कर बाकी सब सालों में कांग्रेस का करीब–करीब सारा ही काम अंग्रेज़ी में चलाने से राष्ट्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।''

1917 में भड़ौंच में द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था– ''हिंदी मैं उसे कहता हूं जिसे उत्तरी भारत में हिंदू तथा मुसलमान बोलते हैं तथा जो नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है।... हिंदी तथा उर्दू दो अलग–अलग भाषाएं नहीं हैं। शिक्षित लोगों ने अंतर कर रखा है।'' इंदौर में हिंदी सम्मेलन के आठवें अधिवेशन में अपने ऐतिहासिक अध्यक्षीय भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था– ''भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं है... पचास वर्ष से हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं, हमारी प्रज्ञा अज्ञान में डूब रही है। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रांतीय सभाओं में और अन्य सभा–समाज और सम्मेलनों में एक भी अंग्रेजी का शब्द सुनायी न पड़े। हम बिल्कुल अंग्रेजी का व्यवहार दें। अंग्रेजी सर्वव्यापक भाषा है पर यदि अंग्रेज सर्वव्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। अब हमें अपनी मातृभाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्राप्त करें। हिंदी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।... यदि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा।... साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी भाषा का स्थान विचारणीय है। हिंदी भाषा की व्याख्या का थोड़ा–सा ख्याल करना आवश्यक है। हिंदी भाषा वह भाषा है, जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम संस्कृतमयी नहीं है, न वह एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई है। भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जनसमूह सहज में समझ ले। भाषा का मूल करोड़ों मनुष्य रूपी हिमालय से मिलेगा और उसमें ही रहेगा।

हिंदू–मुसलमानों के बीच जो भेद किया जाता है वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिंदी व उर्दू भाषा के भेद में है। हिंदुओं की बोली से फारसी शब्द का सर्वथा त्याग और मुसलमानों की बोली से संस्कृत का सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा–यमुना के संगम–सा शोभित अचल रहेगा।''

गांधी जी ने स्पष्टतः कहा था, ''अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती–कहना आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी भाषा से द्वेष नहीं करता हूं। अंग्रेजी साहित्य भंडार से मैंने भी बहुत रत्नों का उपयोग किया है। अंग्रेजी का ज्ञान कितने एक भारतवासियों के लिए आवश्यक है। लेकिन इस भाषा को उचित स्थान देना एक बात है, उसकी जड़–पूजा करनी, दूसरी बात है।'' हिंदी नवजीवन (19.08.1921) में गांधी जी ने लिखा था– हिंदुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी शक नहीं। जिस भाषा को करोड़ों हिंदू–मुसलमान बोल सकते हैं, वही अखिल

भारतवर्ष की सामान्य भाषा हो सकती है।''

गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में हिंदी के प्रसार हेतु विद्वान और अनुभवी लेखकों द्वारा पुस्तकों के लेखन, हिंदी भाषा के व्याकरण की रचना और हिंदी भाषा सीखाने वाले शिक्षकों को तैयार करने का आह्वान भी किया था। लिपि के प्रश्न पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए नागरी और फारसी दोनों को जानने की बात कही। 1917 में गुजराती शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था– ''धीरे–धीरे जब हिंदू–मुस्लिम में संदेह भावना नहीं रह जाएगी तो जिस लिपि में अधिक शक्ति रह जायेगी और वही राष्ट्रीय लिपि होगी।'' हिंदी नवजीवन (21.7.1927), हरिजन सेवक (3.3.1937) और हरिजन सेवक (18.2.1939) में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी हो सकती है। और कोई नहीं। देवनागरी के समान सरल, जल्दी सीखने योग्य और तैयार लिपि दूसरी कोई है ही नहीं। उर्दू या रोमन में भी वैसी संपूर्णता और ध्वन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी देवनागरी में। 12.2.1942 को उन्होंने पुनः 'हरिजन सेवक' में लिखा था– 'अगर मेरी चले तो सभी प्रांतीय भाषाओं के लिए नागरी का इस्तेमाल हो।'

गांधी जी रोमन के पक्ष में कभी नहीं रहे। 18 फरवरी 1939 के 'हरिजन सेवक' में उन्होंने लिखा था– 'मुझे मालूम हुआ है कि आसाम में कुछेक जातिया' को देवनागरी की जगह रोमन लिपि में लिखना–पढ़ना सिखाया जा रहा है। मेरी राय है कि अगर हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है, फिर भले ही उसमें सुधार की गुंजाइश हो या न हो। विज्ञान और भावना दोनों दृष्टियों से रोमन लिपि नहीं चल सकती।... करोड़ों हिंदू –मुसलमानों के लिए रोमन लिपि का प्रयोजन तो अंग्रेजी सीखने के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। देवनागरी लिपि को सर्वमान्य बनाने के पीछे दृढ़ कारण हैं। अगर हम रोमन लिपि को दाखिल करें तो वह निरी भार रूप ही साबित होगी और कभी लोकप्रिय न बनेगी।'

महात्मा गांधी ने हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के विकास के प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि 'मुझे खेद तो यह है कि जिन प्रांतों की मातृभाषा हिंदी है, वहां भी उस भाषा की उन्नति करने का उत्साह नहीं दिखाई देता है। हम अपने देश में अपने सत्कार्य विदेशी भाषा में करते हैं। मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम भाषा को राष्ट्रीय और अपनी–अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देंगे तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक हैं।'

वर्तमान भाषायी परिदृश्य में गांधी जी की भाषा–नीति उतनी ही प्रासंगिक और अनुकरणीय है जितनी प्रतिष्ठित होने के पूर्व थी। इंदौर के सम्मेलन में उन्होंने जिन बिंदुओं की चर्चा की थी वे महत्वपूर्ण हैं यथा–हिंदी से प्रतिस्पर्धा करने वाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। हिंदी उर्दू का झगड़ा छोड़ने से राष्ट्रीय भाषा का सवाल सरल हो जाएगा। हिंदी भाषी जनता की संख्या अधिक है, अहिंदी भाषियों में हिंदी जानने वाले अधिक हैं और भारत के बाहर बसे भारतवासियों में भी हिंदी का ही अपेक्षाकृत सर्वाधिक प्रचार है। आज भी गांधी जी द्वारा 15.10.1917 को भागलपुर में दिए गए भाषण को स्मरण करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय होना चाहिए– 'यदि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा सिद्धांत यह हो कि अंग्रेजी ही के द्वारा हम अपने ऊंचे ख्यालात बना सकेंगे तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।'

पूर्व विभागाध्यक्ष, भाषा विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय

लेखकों से अनुरोध

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान–विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित करता है। लेख ए–4 आकार के कागज़ पर दो प्रतियों में टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः 3000 शब्दों से अधिक न हो। अपठनीय हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है। लेख पर उचित मानदेय देन की भी व्यवस्था है। यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा।

कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें:–

संपादक,
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग,
(गृह मंत्रालय),
एन डी सी सी भवन–II,
चौथा तल, 'बी' विंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 011–23438137, 23438129,
ई–मेलः patrika-ol@nic.in

प्रशासन के क्षेत्र और हिंदी का प्रयोग

❖ डॉ. एम. शैषण ❖

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारी कार्यालयों के सारे कामकाज, केन्द्र में हिंदी में, तथा प्रदेशों में अपनी–अपनी मातृभाषा में होना निश्चित हुआ और संविधान की धारा 343 के अंदर प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। यह बिलकुल ही सही एवं जनतांत्रिक कदम माना जाएगा क्योंकि जनंतत्र शासन में प्रशासन की भाषा जनता की भाषा हो यही सही है जिससे जनसामान्य और प्रशासन के बीच का जनसंपर्क सर्व जनसुलभ, सुगम और सरल हो। इस दृष्टि से भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालयों में प्रशासन की भाषा जो अब तक अंग्रेजी रही, उसके साथ भारत की संघभाषा–राजभाषा हिंदी में भी हो, यह स्वीकृत किया जा चुका है। चूंकि अब तक मान्य परंपरा के अनुसार प्रशासन की भाषा अंग्रेजी ही रही, अतः उसे हटाकर हिंदी करवाने के प्रयत्न शुरू हो चुके हैं और अब कुछ वर्षों से उसकी रफ्तार को तेज करने का प्रयास भी शुरू हुआ है। फिर भी, उसकी आज तक की प्रगति को देखते हुए उसे इतना संतोषजनक नहीं माना जा सकता है क्योंकि इन चालीस–पचास वर्षों में प्रशासन में पूर्णतः हिंदी का प्रयोग होना अब भी बाकी रह गया है। ऐसी हालत में संपूर्ण रूप से हिंदी में काम चलाने में जो बाधायें और अड़चने आयी हैं, उन पर थोड़ा–सा विचार करना आवश्यक होगा।

हिंदी के बढ़ते हुए चरणों से जहां हम एक ओर संतुष्ट हैं और आत्मतृप्ति का अनुभव करते हैं, फिर भी, आज भी अनेक सरकारी कार्यालयों के कामकाज व्यवहार में अब भी अंग्रेजी में चलता है और हिंदी केवल अनुवाद की भाषा मात्र स्वीकृत की गई है। दूसरे शब्दों में, राजभाषा हिंदी आज तक सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारीगण नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारीगण स्वतः स्वेच्छापूर्णक हिंदी में ही सोच–विचारकर पत्राचार करें, टिप्पणियां लिखें, मसौदा आदि तैयार करें यही–सही और आदर्श स्थिति मानी जायेगी। मगर आज व्यवहार में ऐसा नहीं हो पा रहा है, यह खेद का विषय है।

इसमें सबसे प्रमुख अड़चन कार्यकताओं की मनोवृत्ति से संबंधित है। वे पहले सोचते अंग्रेजी में हैं और लिखते भी अंग्रेजी में ही और बाद में उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि पूर्वकाल से अंग्रेजी इस देश में प्रशासन की भाषा बनी रही जो अब भी चलती आ रही है। अतः वे मानसिक रूप से अंग्रेजी में ही कामकाज करने के अभ्यस्थ हो चुके हैं। धीरे–धीरे ही उन्हें हिंदी में काम करने की आदत अपने में पैदा करनी पड़ती है। पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में आने में उन्हें इस मनोवृत्ति के कारण देर लगती है। यद्यपि हम मानते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र हमारे प्रशासन की भाषा अपनी भाषा, हिंदी हो, फिर भी व्यवहार में ऐसा न हो पाने का मुख्य कारण भी यही है। यह स्थिति ठीक नहीं है और हिंदी को पूर्णरूप से लागू करने से रोकती है।

हमें पहले यह सोचना होगा कि कार्यालयी हिंदी या कार्यालयी साहित्य अधिकतर सूचना प्रधान साहित्य के अंतर्गत आता है। कार्यालयी हिंदी भाषा और शैली काफी कुछ सुनिश्चित होती है, चाहे वह शब्दों का प्रयोग हो अथवा वाक्य रचना का हो। कहने का मतलब है कि कार्यालयी हिंदी में कहीं भी विचलन की गुंजाइश नहीं होती, बल्कि वह सुनिश्चित होने के कारण उसकी संभावना भी कम है।

प्रशासन की हिंदी में भाषा की दृष्टि विभिन्न प्रविष्टियां होती हैं जैसे व्यावहारिक हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, खेलकूद की हिंदी, औद्योगिकी हिंदी, कृषि की हिंदी, संचार माध्यम की हिंदी, कम्प्यूटर की भाषा इत्यादि।

कार्यालयी हिंदी की मुख्य विशेषताएं

1. अभिधा का प्रयोगः कार्यालयी हिंदी में अभिधा का ही प्रयोग किया जाता है, लक्षण या व्यंजना के लिए वहां गुंजाइश ही नहीं। बोलचाल की हिंदी में साहित्य का प्रभाव दर्शित होता है, लेकिन कार्यालयी हिंदी में केवल अभिधा का ही प्रयोग होता है।

2. एकार्थताः एकार्थता भी कार्यालयी हिंदी की एक मुख्य विशेषता है। अनेकार्थता का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। उसके कथ्य को स्पष्ट, दोटूक, बिना लागलपेट और घुमाव–फिराव के कहने की विशेषता जितनी अधिक हो, कार्यालयी हिंदी उतनी ही अच्छी भाषा मानी जाएगी।

3 अलग पारिभाशिक शब्दः कार्यालयी हिंदी के पारिभाषिक शब्द (Technical Terms) काफी कुछ अलग होते हैं, जिनका प्रयोग अन्य प्रयुक्तियों में प्रायः नहीं होता। उदाहरण के लिए कार्यालयी हिंदी में उत्साहन (Abolition), निविदा (Tender), शपथपत्र (Affidavit) आदि सैकड़ों शब्द इसी श्रेणी के हैं।

4 शैली भेदः कार्यालयी हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसे शैलीभेद कहा जा सकता है। हिंदी में यह स्पष्ट है और काफी है। इसका सरल और सीधा कारण यह है कि हिंदी के कार्यालयी भाषा बनने के पूर्व हिंदी प्रदेश में उर्दू कार्यालयी भाषा थी, जो अपनी परंपरा में तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से जुड़ी थी,

किंतु अपने शब्दों में वह इस परंपरा से न जुड़कर अरबी, फारसी तुर्की से जुड़ी थी, इसलिए उसके अधिकांश पारिभाषिक शब्द अरबी, फारसी के हैं।

उदाहरणार्थ: अदालत, जिला, तहसील जमानत, हलफनामा (affidavit), मिसिल (file), खजाना, सरकार, दफ्तर, मुकदमा आदि। इधर आजादी के बाद इस दिशा में दो विचारों ने एक नया रास्ता खोला। एक तो यह कि हमारे सारे पारिभाषिक शब्द विदेशी परंपरा के नहीं होने चाहिए बल्कि उनमें ऐसे भी हों जो अपनी परंपरा की मूल भाषा संस्कृत के हों या उसके उपसर्गों, प्रत्ययों, शब्दों तथा धातुओं से बने हों।

दूसरे यह कि उर्दू माध्यम से गृहीत अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द भारत की सभी भाषाओं में नहीं है और न सभी भाषाओं में स्वीकार ही हो सकते हैं, किंतु संस्कृत के शब्द भारत की प्रायः सभी भाषाओं के अनुकूल हैं। चाहे वह उत्तर में हिंदी में हों दक्षिण में तेलगु, कन्नड़ में, पश्चिम में गुजराती, पूरब में बंगला, उड़िया में। इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि कार्यालयी हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द संस्कृत से ले लिए गए हैं जिनके लिए उर्दू परंपरा से गृहीत शब्द पहले से प्रचलित रहे हैं। इन सबका परिणाम यह हुआ कि कार्यालयी भाषा में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के काफी शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हिंदी में दो–दो, तीन–तीन प्रतिशब्द चल पड़े हैं। इस प्रकार एक परंपरा के शब्दों का प्रयोग करने से कार्यालयी हिंदी की दो शैलियों का विकास होता जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं–

अंग्रेजी शब्द	बोलचाल की हिंदी	संस्कृत निष्ठ–शैली
Application	अर्जी	आवेदन पत्र
Agreement form	करारनामा	अनुबंध पत्र
Affidavit	हलफनामा	शपथपत्र
Tender	टेंडर	निविदा
Office	दफ्तर	कार्यालय
Alteration in draft	मसौदे में फेरबदल	प्रारूप में परिवर्तन
Arguements Advanced	पेश की गई दलीलें	प्रस्तुत तर्क
Court	अदालत	न्यायालय
Officer	अफसर	अधिकारी

किसी भी विचाराधीन पत्र को सुविधाजनक निपटाने के लिए जो राय या सुझाव दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। इसे 'टिप्पण' भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य मामलों को शीघ्र निपटाना होता है। टिप्पणी कभी भी मूल पत्र या आवती पर नहीं लिखी जाती। टिप्पणी या टिप्पण मूलतः अंग्रेजी शब्द नोटिंग का हिंदी पर्याय है। यह टिप्पण प्रारूप लेखन का प्रमुख अंग है।

कार्यालयी हिंदी के कुछ अपने अलग संक्षेप (abbreviations) हैं

आ. छु.	आकस्मिक छुट्टी	C.L.
अ. स.	अर्ध सरकारी	D.O.
दै. भ.	दैनिक भत्ता	D.A.
अ. छु.	अर्जित छुट्टी	E.L.
नि. श्रे. लि.	निम्न श्रेणी लिपिक	L.D.C.
उ. श्रे. लि.	उच्च श्रेणी लिपिक	U.D.C.

कार्यालयी हिंदी का प्रयोक्ता शासनतंत्र का एक अंग है अंतः वैयक्तिक रूप में न कहकर निवैयक्तिक रूप में कहता है। अतः कार्यालय रूप में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। इस रूप में कथन व्यक्ति निरपेक्ष होता है –कर्तत्वहीन।

(उदा.) सर्व साधारण को सूचित किया जाता है ''कार्यवाही की जाए'', ''स्वीकृति दी जा सकती है'' अंत में एक बात आज की कार्यालयी हिंदी अपनी प्रकृति में, सहज हिंदी से अधिक अनुवाद की छाया से कलुषित और विकृत हिंदी है। यही कारण है कि कार्यालयी हिंदी में लिखे गये बहुत–से पत्र, प्रारूप, सरकारी विज्ञापन तथा सूचनायें आदि ऐसी होती हैं, जिनको समझना सामान्य लोगों के बस का नहीं है, यहां तक कि सुशिक्षितों के बस का भी नहीं है।

हिंदी में कार्यालय अनुवाद की कुछ समस्यायें

यों तो कार्यालय में जैसे सेना, बैंक, डाक–तार, रेल, रक्षा आदि के हिंदी अनुवाद की अपनी–अपनी समस्यायें हैं। किंतु कुछ मुख्य समस्यायें ऐसी हैं, जो काफी व्यापक हैं। यहां उन पर संक्षेप में विचार करेंगे–

पहले ही बताया जा चुका है कि कार्यालयी अनुवाद मुख्यतः सूचना प्रधान साहित्य का होता है। अतः उसमें शैली की कोई खास तरह की समस्या नहीं उठती जो ललित साहित्य के अनुवाद में उठती है। उसमें मुख्य समस्या पारिभाषिक शब्दों की ही होती है। एक दूसरी समस्या वाक्य रचना की भी होती है। इसका मुख्य कारण

यह है कि अंग्रेजी–हिंदी दो भिन्न प्रकृति की भाषायें हैं, अतः उनकी वाक्य रचना में बहुत समानतायें नहीं है। तीसरी समस्या अर्थ की अनेक रूपकता की भी है। ऐसे ही संक्षेपों की भी समस्या है।

कार्यालयी भाषा के चार गुण माने गए हैं:

1) निवैयक्तिकता 2) तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता 3) यथासंभव असंदिग्धता 4) वर्णनात्मकता

वाक्य–विन्यासः कार्यालयी हिंदी में सीमित वाक्य हैं। इसका मूल कारण कर्मवाच्यता है और कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण–

1) मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

2) वार्षिक विवरण भेजने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।

3) इस पत्र को शीघ्र जारी करें।

4) इसे भुगतान के लिए पारित किया जाए।

5) जरूरी आंकड़े इकट्ठे किये जा चुके हैं।

कार्यालयी हिंदी की भाषा मुख्यतः तकनीकी या अर्धतकनीकी होती है। कार्यालयी हिंदी वास्तव में अंग्रेजी वाक्य–विन्यास से अधिक प्रभावित है, क्योंकि हिंदी में ये वाक्य अंग्रेजी वाक्यों के अनुवाद के माध्यम से आए हैं। इसी कारण कार्यालयी हिंदी ने कहीं–कहीं अपने प्रकृत स्वभाव को छोड़, कृत्रिम रूप ग्रहण कर लिया है। इसलिए वह जटिल हो जाती है।

सरकारी पत्राचारः स्वरूप और प्रकार

सरकारी पत्रों में निम्नलिखित पत्र मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं:

1. पत्र, 2. स्मरणपत्र या अनुस्मारक, 3. अर्ध सरकारी पत्र, 4. पृष्ठांकन, 5. आदेश तथा कार्यालय आदेश, 6. कार्यालय ज्ञापन 7. अधिसूचना 8. संकल्प 9. अंतर्विभागीय टिप्पणी 10. प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस टिप्पणी 11. तार, फेक्स, टेलक्स संदेश 12. सेविंग्राम

टिप्पणी लेखन– सिद्धांत और व्यवहार

मिसिल के दो भाग हैं 1 टिप्पण भाग 2 पत्राचार भाग

किसी भी विचाराधीन पत्र को सुविधाजनक निपटाने के लिए जो राय या सुझाव दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। इसे 'टिप्पण' भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य मामलों को शीघ्र निपटाना होता है। टिप्पणी कभी भी मूल पत्र या आवती पर नहीं लिखी जाती। टिप्पणी या टिप्पण मूलतः अंग्रेजी शब्द नोटिंग का हिंदी पर्याय है। यह टिप्पण प्रारूप लेखन का प्रमुख अंग है।

टिप्पणी में टिप्पणकर्ता अपनी पत्रावली पर विचाराधीन पत्र का सार देते हुए उसके निस्तारण के लिए राजकीय विधि/नियम उपनियम तथा परिनियम आदि का तर्कसंगत उल्लेख करते हुए उनके अंतर्गत अपना सुझाव प्रस्तुत करता है।

टिप्पण का उद्देश्य उन बातों का निर्णय करना होता है, जो तर्कसंगत रूप में विषय को स्पष्ट तो करती है तथा जिनके आधार पर निर्णय की संभावनाओं का संकेत करता है। टिप्पण का दूसरा उद्देश्य कार्यालयों में होने वाले काम को निपटाना है।

टिप्पण का कमः टिप्पणकर्ता सदैव एक क्रमविशेष में ही विचाराधीन पत्र पर टिप्पणी करता है।

1 विचारणीय विषय

2 विचारणीय विषय की पृष्ठभूमि

3 तद्विषयक विभिन्न दृष्टिकोण

4 तार्किक विश्लेषण

5 सुनिश्चित सुझाव एवं निष्कर्ष

टिप्पण में प्रयुक्त वाक्यांशः कुछ उदाहरणः

1 सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत

2 सादर आदेशार्थ प्रस्तुत

3 सादर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत

4 उत्तर का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

5 देख लिया, धन्यवाद

6 हस्ताक्षरित भेजें

मसौदा लेखनः सिद्धांत और व्यवहार सरकारी अथवा गैर–सरकारी कार्यालयों में कामकाज को निपटाने के लिए किए जाने वाले पत्र–व्यवहार का विधिपूर्वक प्रारंभिक रूप तैयार करना मसौदा लेखन है। इसे प्रारूपण या आलेखन भी कहा जाता है। यह औपचारिक टिप्पणी का अगला सोपान है।

दो प्रकार के मसौदा हैः 1 प्रारंभिक मसौदा लेखन 2 उच्चतर मसौदा लेखन

1 प्रारंभिक मसौदा लेखनः इसमें आवेदन पत्र, स्मरणपत्र, अंतरिम उत्तर 'पृष्ठांकन' अर्धसरकारी पत्र, कार्याल्य आदेश आदि आते हैं।

2 उच्चतर मसौदा लेखनः इसमें कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति आदि आते हैं। यह विभाजन केवल सुविधा की दृष्टि से किया गया है।

3 मानक मसौदा लेखनः इसका प्रारूप पूर्व निर्धारित होता है और वह सभी कार्यालयों में एक समान होता है। इसके प्रारूप और भाषा मानकीकृत होती है। इसलिए इस मसौदे को मानक मसौदा कहते हैं जैसे दौरा कार्यक्रम, अग्रिम संबंधी आवेदन–पत्र,

भुगतान संबंधी पत्र आदि।

कार्यालयी साहित्य का अनुवाद

कार्यालयी साहित्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है– एक मसौदा–टिप्पणी के रूप में दिन–प्रतिदिन का पत्राचार और दूसरा संसद प्रश्नों के उत्तर, नियतकालिक प्रशासनिक रिपोर्ट, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली अधिसूचनाएं एवं संकल्प, सार्वजनिक सूचनायें, जन सामान्य और समाचार–पत्रों के लिए प्रकाशित की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस टिप्पणी, प्रेस प्रकाशनी आदि हैं। इस प्रकार सरकारी साहित्य बृहतर एवं महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालयी साहित्य का स्वरूप अनुवाद प्रधान ही है। कार्यालयी साहित्य की प्रकृति मुख्यतः तकनीकी होती है और इसी कारण इसमें बंधे–बंधाये वाक्यों तथा पारिभाषिक शब्दावली में कार्य किया जाता है।

सरकारी कार्यालयों में तकनीकी और गैरतकनीकी दोनों का अनुवाद होता है। कुछ मंत्रालयों में जैसे रक्षा, पेट्रोलियम, रसायन, कृषि, विधि, ऊर्जा आदि कार्यालयों में अधिकाशतः का अनुवाद होता है। अनुवाद मुख्यतः शब्दानुवाद होता है। जबकि गैर तकनीकी साहित्य का अनुवाद प्रधानतः भावानुवाद होता है।

प्रशासनिक पत्राचार में पर्यायवाची शब्द नहीं होते। प्रत्येक शब्द में सूक्ष्म अर्थाभिव्यकित है, जो विशेष प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए Order, Direction और Instruction ये तीनों शब्द विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः उनका अनुवाद आदेश, निर्देश और अनुदेश किया जाएगा। इसी प्रकार Section, Approval and Permission शब्द अलग–अलग प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होते हुए स्वीकृत या मंजूरी, अनुमोदन और अनुमति के अर्थ में प्रयुक्त होंगे। Dismissal और Removal दोनों के अर्थ नौकरी से हराना है। किंतु Dismissal की सजा अधिक है और इसमें निकाले गए कर्मचारी को पुनः सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए Dissmissal के लिए बरखास्तगी शब्द है और Removal के लिए निष्कासन। इसी प्रकार Demotion और Reverstion के लिए पदावनति और 'परावर्तन' शब्द रखा जाना है। इसमें शब्दों की ओर इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वे एक ही अर्थ दें। कार्रवाई आर कार्यवाही में भी अंतर मिलता है। कार्रवाई किसी मामले के संबंध में कार्य करने से संबंधित है जबकि कार्यवाही किसी बैठक में हुई चर्चा के वितरण से संबंधित है। अतः कार्रवाई के लिए Action शब्द है और कार्यवाही के लिए Proceedings शब्द हैं।

हर भाषा की अपनी पकड़ होती है। अतः अनुवाद करते समय केवल शब्द, पद और वाक्य तक ही सीमित न रखकर उसे पूरी अर्थाभिव्यक्ति के साथ देखा जाए।

उदा. के लिए (1) Please acknowledge receipt कृपया पावती भेजें। 2 Early reply will be appreciated शीघ्र उत्तर देकर अनुग्रहीत करें या उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी।

प्रचार, प्रसार सामग्री, जैसे समाचारपत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में जनसामान्य के लिए प्रकाशित या प्रसारित की जाने वाली सामग्री का अनुवाद न अधिक तकनीकी होता है न ही इसके अनुवाद में इसकी उपेक्षा की जाती है। ऐसे साहित्य का अनुवाद तकनीकी और शाब्दिक होने की उपेक्षा भावानुवाद अधिक अच्छा होता है। इसकी भाषा, सरल, सुबोध और सुस्पष्ट होती है, क्योंकि वाणिज्य, व्यवसाय, ज्ञान, सूचना, मनोरंजन आदि के लिए इसी भाषा की आवश्यकता होती है।

सरकारी रिपोर्ट और अभिलेख आदि की प्रकृति तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों होती हैं। लेकिन यह साहित्य सामान्य मसौदा और टिप्पणी लेखन दोनों से भिन्न होता है। इस कारण इसका शब्दानुवाद और भावानुवाद दोनों होता है। इसके अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली का ध्यान रखते हुए सहज और सरल भाषा की अपेक्षा की जाती है। इसमें शब्दशः अनुवाद करना सही नहीं है। पूरा पैराग्राफ पढ़कर उसके पूरे भाव को जहां तक संभव हो सके, स्वतंत्र रूप से देना चाहिए।

"मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे देश के लिए एक आम भाषा की जरूरत है। एक आम भाषा का होना राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण तत्व है। वह आम भाषा ही होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि हम इस देश को एक साथ लाना चाहते हैं तो सबके लिए एक आम भाषा से बढ़कर दूसरी कोई ताकत नहीं हो सकती और यही सभा (नागरी प्रचारिणी सभा) का उद्देश्य है।"

–महात्मा गांधी

(वर्ष 1916 में नागरी प्रचारिणी सभा में दिये गये भाषण का अंश)

हिंदी एक मत से नहीं, एकमत से बनी थी राजभाषा

❖ श्रीलाल प्रसाद ❖

स्वाधीन भारत की संविधान सभा द्वारा भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने से लेकर अब तक आधी सदी से भी अधिक की लंबी यात्रा के बाद हिंदी कहां पहुंची है, यह जानने के लिए पहले आवश्यक होगा कि हम यह जान लें कि वह चली कहां से थी और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणंतत्र की राजभाषा के रूप में उसने कितने और कैसे–कैसे रास्ते तय किए हैं। साथ ही, यह जानना भी जरूरी प्रतीत होता है कि हिंदी और राजभाषा हिंदी का इतिवृत्त क्या व कैसा रहा है।

वस्तुतः भाषा, संप्रेषण का माध्यम और संपर्क का साधन होने के साथ–साथ संस्कृति व संस्कार के संरक्षण, संवर्धन व संवहन का संसाधन भी है। मातृभाषा वैयक्तिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बोध कराती है, राष्ट्रभाषा समाज को स्वदेशी भाव–बोध से समन्वित कराते हुए वैश्विक धरातल पर राष्ट्रीय स्वाभिमान की विशिष्ट पहचान का पुख्ता इंतजाम करती है और संपर्क भाषा देश–काल–पात्र के बीच सेतु का निर्माण करती है तो राजभाषा शासन–प्रशासन में जनता–जनार्दन की पहुंच का प्रावधान कराती है। राजभाषा यानी राज–काज की भाषा, शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की भाषा, जनता और सरकार की भाषा, रियाया और राजदरबार की भाषा।

भारत के इतिहास में पहली बार जनभाषा को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को दिया। यह जनभाषा हिंदी है क्योंकि भारत भूमि में सदियों से हिंदी ही (चाहे जिस रूप में भी रही) एक ऐसी भाषा रही है जो पूरे भारत वर्ष में किसी–न–किसी रूप में लिखी, पढ़ी या बोली अथवा समझी जाती रही है तथा संपर्क का माध्यम रही है। वह भारतीय राष्ट्रीयता के स्वरूप को साकार करने में एक अहम कारक भी रही है। यानि हिंदी भारत के जन–गण की भाषा रही है।

स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रभक्त आंदोलनकारियों के बीच हिंदी राष्ट्रीय एकता के सबल सूत्र के रूप में कार्य करती रही, जिसे भारतीय जनमानस ने राष्ट्रभाषा के रूप में मान दिया किंतु स्वतंत्र भारत के संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। इसके लिए संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 351 में कहा गया कि भारत सरकार मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द–संपदा ग्रहण करते हुए हिंदी का विकास इस रूप में करेगी कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के समस्त तत्वों की सम्यक, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। अंकों के मामले में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को अपनाया गया तथा देश की समस्त प्रमुख प्रांतीय भाषाओं (आज उनकी संख्या 22 है) को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर राष्ट्रीय (महत्व की) भाषा का दर्जा दिया गया।

लॉर्ड मेकॉले ने भारत भ्रमण के पश्चात ब्रिटेन वापस जाकर ब्रिटिश संसद में 02 फरवरी, 1835 को जो भाषण दिया था, उसके एक अंश, जिसे यहां उद्धृत किया जा रहा है, को देखने से उनकी पूरी सोच उजागर हो जाएगी।

'पूरे भारतवर्ष के भ्रमण के दौरान मैंने एक आदमी भी ऐसा न देखा जो चोर हो। मैंने उस देश में ऐसी समृद्धि और प्रतिभाएं देखी हैं, ऐसे श्रेष्ठ नैतिक मूल्य और लोग देखे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसके सांस्कृतिक एवं नैतिक मेरूदण्ड को तोड़े बगैर हम उसे पराजित कर सकेंगे। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति और संस्कृति के स्थान पर अंग्रेजियत भर दी जाए ताकि भारतवासियों के दिलोदिमाग में यह सोच घर कर जाए कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है, वही बेहतर और श्रेयस्कर है। ऐसा होने से वे अपना स्वाभिमान एवं अपनी संस्कृति भूल जाएंगे और जैसा कि हम चाहते हैं, वे एक पराधीन कौम बन जाएंगे।'' इसी सोच ने 'बांटो और राज करो' की नीति दी और भारत में इसका पहला शिकार हुई भाषा।

यह ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक तथ्य है कि अपभ्रंश और डिंगल से होती हुई, खड़ी बोली के साथ आत्मसात होती हमारे सामने जो हिंदी आई है, उसके निर्माण और उसे समृद्ध करने में सिद्धों, योगियों, साधुओं और भक्तों के साथ–साथ अमीर खुसरो एवं अन्य अनेक भारतीय और अभारतीय विद्वानों, लेखकों, कवियों आदि का योगदान रहा है जिनमें पारसी और इस्लाम धर्मावलम्बियों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन यह सब कुछ हुआ भारत–भूमि पर ही तथा उनकी निर्माण–प्रक्रिया भारतीय संस्कृति और संस्कार, रीति–रिवाज एवं यहां की माटी की मांग के अनुरूप ही चली तथा पूरी हुई। इसीलिए, भले ही हिंदी शब्द फारसी

भाषा का शब्द हो, किंतु 'हिंदी' भाषा शत–प्रतिशत भारतीय भाषा है जिसने अनगिनत अन्य भारतीय और अभारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। यानी हिंदी अपने जन्म और कर्म दोनों ही रूपों में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषिक समन्वय और सौहार्द का प्रतीक रही है।

इस प्रकार लगभग 1000 वसंत देख चुकी हिंदी, अपने प्रारंभिक काल में हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्थानी के रूप में मुकरियों, सधुकड़ी वाणियों तथा आलवार साधु–संतों, भक्तों, नाथ– पंथियों का संदेशवाहक बन भारत के एक कोने से दूसरे कोने में विचरती रही तो मध्यकाल में ब्रजभाषा व अवधी के रूप में श्रद्धा–प्रेम–भक्ति व शृंगार की सहस्र रसधार को श्रेष्ठ काव्य की त्रिवेणी में समाहित करती रही और आधुनिक काल में खड़ी बोली के रूप में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दुर्धर्ष सेनानियों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करती रही।

चूंकि हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, इसलिए भारतवर्ष में प्रत्येक 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए अब प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा भी चल पड़ी है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संविधान लागू होने के दिन से 15 वर्षों तक हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी को भी भारत संघ की सह–राजभाषा के रूप में जारी रखा जाना था और उसके बाद हिंदी को ही पूरी तरह से राजभाषा के रूप में लागू कर दिया जाना था।

26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तदनुसार 26 जनवरी, 1965 से हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा के रूप में लागू हो जाना था। उसी को ध्यान मे रखकर भारत की संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया, हालांकि परिस्थितिजन्य कारकों के चलते 1967 में उसमें कतिपय संशोधन करने पड़े। उसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजभाषा नियम 1976 बने तथा संसदीय राजभाषा समिति आदि का गठन हुआ।

राजभाषा से संबधित आयोग और समितियां अपना काम करती रहीं। उनके सुझावों और सिफारिशों के फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम एवं नियम बनें, विभिन्न कार्यक्रम बनें जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी, अनुवादक आदि नियुक्त हुए, यानी कि एक पूरी मशीनरी तैयार हो गई।

हिंदी बनाम राजभाषा हिंदी

हिंदी भारत के जनमानस की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है और साथ ही शासकीय प्रयोजनों के लिए भारत संघ की राजभाषा भी है। अपने प्रथम तीन रूपों में हिंदी पल–पल परिवर्तित प्रकृति–वेश की भांति बदलते रहने के लिए स्वतंत्र है। उसका प्रयोग करने वाले अपनी आवश्यकतानुसार देश–काल–पात्र के अनुसार, उसका प्रयोग करने को स्वतंत्र हैं। उन पर कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। तभी तो बिहार की भोजपुरी, मैथिली, मगही और बज्जिका आदि के लेप से लिपी–पुती भाषा भी हिंदी है तो उत्तर प्रदेश में ब्रज की माधुरी, अवध की ठेठ और हरियाणा की कड़कदार भाषा भी हिंदी ही है। पंजाब की 'मैंने जाना है'। दिल्ली की 'आप चलोगे' तथा राजस्थान की 'ण' की सांसत में फंसी भाषा भी हिंदी ही है। वैसे ही ओड़िसा, असम और बंगाल की अपनी हिंदी है तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की अपनी हिंदी और मुम्बईया हिंदी तो एक अनूठी हिंदी है ही। इतनी व्यापक और स्वतंत्र सत्ता वाली सर्वग्राही हिंदी के प्रयोग एवं प्रयोक्ता सीमातीत हैं। न व्याकरण का कोई बंधन, न शैली की कोई रोक–टोक, न शब्दों के लिए अटकना, न उच्चारण के लिए भटकना। सब कुछ निर्बंध, निर्द्वन्द्व समरसता के साथ चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। उसमें एकरूपता की मांग की न आवश्यकता रही है और न ही उसका औचित्य।

हिंदी का एक रूप भारत संघ की राजभाषा का भी है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, अपना देश और परिवेश है। देश–काल–पात्र, चाहे जो भी रहे, हिंदी के इस रूप में एकरूपता की आवश्यकता महसूस की जाती रहेगी। इसके प्रथम तीन रूपों में स्वाभाविक रूप से व्याप्त निर्बन्धता इस चौथे रूप में ज्यों–की–त्यों नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि एक ही संस्था या एक ही कार्यालय में इन तमाम रूपों को अपनाने से भाषा की अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो उसकी अस्वाभाविक मौत की जिम्मेवार होगी। इसीलिए यह शतरूपा हिंदी अपने अलग–अलग रूपों में तो भारत संघ की राजभाषा नहीं है किंतु वह राजभाषा हिंदी, शतरूपा हिंदी की प्रतिनिधि अवश्य है। राजभाषा हिंदी की परिमितता को व्यापकता प्रदान करने के लिए, उसके प्रथम तीनों रूपों का अनुकूल प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारी सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित साज–शृंगार की आवश्यकता भारत की संविधान सभा ने भी महसूस की थी और स्वतंत्र भारत की लोकप्रिय सरकार ने भी। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 343

में जहां यह कहा गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है, वहीं अनुच्छेद 351 में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार हिंदी का विकास इस रूप में करेगी कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न आयोगों, समितियों आदि का भी गठन हुआ।

राजभाषा से संबंधित आयोग और समितियों का काम सांविधानिक प्रावधानों के तहत सरकारी नीति–रीति तय करना था तो शब्दावलि–आयोग आदि का काम राष्ट्र की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकने लायक हिंदी को एक व्यापक स्वरूप के साथ–साथ एकरूपता प्रदान करना था, उसके लिए आवश्यक एवं ग्राह्य शब्दावली तैयार करना था।

राजभाषा से संबधित आयोग और समितियां अपना काम करती रहीं। उनके सुझावों और सिफारिशों के फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम एवं नियम बनें, विभिन्न कार्यक्रम बनें जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी, अनुवादक आदि नियुक्त हुए, यानी कि एक पूरी मशीनरी तैयार हो गई। उन्हें साधन संपन्न बनाया गया। उन साधनों के रूप में उन्हें वे ही शब्दावलियां सौंपी गईं, जो संबंधित विषयों के तत्कालीन श्रेष्ठ विद्वानों की मंडलियों ने तैयार कराई थीं। अब कार्यान्वयन मशीनरी के लिए आवश्यक हो गया कि वे देशव्यापी संस्थाओं के कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली राजभाषा के स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करें। इस प्रकार एक ऐसी हिंदी उपजी जिसे सरकारी हिंदी कहा जाने लगा।

सरल हिंदी का प्रयोग हो

सुझाव अच्छा और उपयोगी है। लेकिन साथ ही, एक विचारणीय तथ्य यह भी है कि उत्तर पश्चिम भारत में उर्दूनिष्ठ हिंदी और दक्षिण–पूर्व भारत में संस्कृतनिष्ठ हिंदी तो मध्य भारत में खड़ी बोली हिंदी सरल हिंदी मानी जाती है। हिंदी अधिकारी, अनुवादक भारत सरकार की ऐसी संस्थाओं में नियुक्त होते हैं, जिनकी शाखाएं/कार्यालय देश के भिन्न–भिन्न प्रदेशों में स्थित होती हैं, जिनमें काम करने वाले लोग भी भिन्न प्रदेशों के होते हैं, जिनकी हिंदी की जानकारी भी भिन्न स्तर की होती है और सबके काम की प्रवृत्ति भी भिन्न–भिन्न होती है, परंतु उन सबके लिए समान आदेश–अनुदेश जारी होते हैं। अतः उन सबमें प्रयुक्त होने वाली हिंदी में एकरूपता का होना अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य भी है और इसके लिए एकमात्र उपाय है, आयोगों द्वारा निर्मित एवं सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावलियों को ही काम में लाना, वरना दफ्तरों में भाषिक अराजकता फैल जाएगी।

इसके अलावा किसी सरकारी कार्यालय का अनुवादक किसी साहित्यिक कृति के अनुवादक की भांति शब्दों के प्रयोग में स्वतंत्र नहीं होता है। खासकर तकनीकी साहित्य के अनुवाद के मामलों में शब्द विशेष के लिए स्वीकृत प्रति शब्द का प्रयोग ही बाध्यकारी होता है। ऐसा नहीं होने पर विधिक कागजातों के अनुवाद में तो अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं, तो फिर शब्दों के लिए दोष उन अनुवादकों को क्यों दिया जाए? हां, तकनीकी दस्तावेजों को छोड़कर सामान्य कागजातों के अनुवाद में स्वाभाविकता यदि नहीं आती है तो संबंधित अनुवादक और उसके हिंदी अधिकारी दोषी हैं, लेकिन यहां तो एक चलन–सा हो गया है हिंदी अधिकारियों की हिंदी या सरकारी हिंदी कह कर व्यंग्य बाण छोड़ने का।

हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी

राजभाषा के संबंध में संविधानिक प्रावधानों और उनके तहत पारित राजभाषा अधिनियम और नियमों का अध्ययन–मनन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि राजभाषा नीति पूरी तरह प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है तथा राज्यों के विधानमंडलों में निहित है और संघ की राजभाषा का कार्यान्वयन कार्यक्रम केन्द्रीय कर्मियों के हिंदी ज्ञान के स्तर पर आधारित है। यदि किसी केन्द्रीयकर्मी को हिंदी का अपेक्षित ज्ञान नहीं है तो उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान सरकारी खर्च पर कार्यालय अवधि के दौरान है।

इतिहास गवाह है कि हिंदी के विकास में हिंदीतरभाषियों का योगदान हिंदी भाषियों से किसी भी रूप में कम नहीं रहा है और किसी भी भाषा के विद्वानों और साहित्यकारों से कमतर विद्वान हिंदी में भी नहीं है। आवश्यकता है छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति त्यागने की, हीन भावना से मुक्त होकर रचनात्मक–प्रयोगात्मक मानसिकता विकसित करने की। तभी हिंदी के ये विद्वान हिंदी भाषा या राजभाषा हिंदी के लिए कुछ कर पाएंगे और हिंदी भी सही मायने में राजभाषा बना पाएगी। देश के अन्य भागों और भाषा–भाषियों को दोष देने के बजाय यदि हिंदी के विद्वान, हिंदी भाषी लोग, हिंदीभाषी व्यवसायी, हिंदीभाषी–प्रदेशों की सरकारें और केंद्रीय कार्यालयों के हिंदीभाषी अधिकारी–कर्मचारी ही हिंदी के प्रयोग, परिष्कार और प्रचार–प्रसार में पूरी ईमानदारी से काम करें तो शेष लोग और कर्मचारी–अधिकारी भी वैसा ही करने लगेंगे?, तब निश्चय ही हिंदी मादरे हिंदी के माथे पर बिंदी की तरह शोभेगी।

मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,
नई दिल्ली–110008

भाषा बहता नीर - राजभाषा हिंदी के संदर्भ में

❖ ओम मल्होत्रा ❖

साहित्य मनीषियों ने भाषा को बहता नीर कहा है। भाषा विज्ञानियों की दृष्टि में वही भाषा जीवित रह सकती है, जिसमें अन्य भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता हो। जिस प्रकार अपने उदगम स्थल गंगोत्री से चलकर गंगा कन्याकुमारी तक अपने विलय स्थल तक की लंबी यात्रा तय कर अंत में सागर में विलय होकर सागर ही हो जाती है। ठीक उसी तरह किसी भी भाषा की यात्रा होती है। भाषा एक व्यक्ति के अंतस से निकल कर दूसरे व्यक्ति के अंतस तक पहुंचती है और फिर पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व के जनमानस में पैठ जाती है। यही भाषा की अभिव्यक्ति है। इसलिए भाषा को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कहा जाता है। आदि काल से भाषा के अनेक रूप दिखाई देते हैं। आंखों के रंग, चेहरे के हावभाव तथा हाथों के इशारे आदि मानव की अभिव्यक्ति के पहले भाषा संकेत रहे हैं, जिसे मूक भाषा कहा गया। यह मूक भाषा भूख, प्यास, भय, हर्ष और रूदन जैसे प्राकृतिक भावों को अभिव्यक्त करती थी। फिर मिट्टी पर अंगुलियों से बनाये गए चित्र और पत्थरों पर उकेरे गए संकेत भी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांकेतिक भाषा को अभिव्यक्त करते रहे। शनैः शनैः मानव ने आवश्यकतानुसार स्वरों और व्यंजनों को अभिव्यक्त कर बोलना सीखा तो उसकी अभिव्यक्ति ने अक्षरों, संयुक्त अक्षरों और शब्दों का रूप धारण किया। इस प्रकार किसी एक मानव समूह के बीच जो मुखाभिव्यक्ति होने लगी उसे समूह विशेष की बोली के रूप में पहचान मिली।

सैंकड़ों वर्षों में अनेक पीढ़ियों के बीच प्रयोग की जाने वाली बोलियों ने जब अपनी लिपियों का आविष्कार कर लिया और लिपियों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को सुरक्षित रखना शुरू किया तो वे बोलियां भाषाओं के रूप में विकसित होने लगीं। पहले पत्थर की शिलाओं, पेड़ों के पत्तों (भोज पत्र) और फिर कपड़े और कागज पर लिखित दस्तावेज भाषाओं के अस्तित्व और पहचान के साक्ष्य बने।

बाल मनोविज्ञान के इस तथ्य को भी स्वीकारना होगा कि मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जब पहली किलकारी मारता है तो उसके अंतर्मन में सुषुप्त भाषा प्रवाह का पहला शब्द प्रकट होता है, जिसकी अभिव्यक्ति केवल मां को सम्प्रेषित होती है। फिर अबोधपन में जब–जब वह रोता है तो उसका रोना अपनी भूख को अभिव्यक्त करता है। फिर माँ की नजरों से नज़रे मिलाकर वह हंसना, मुस्कराना और खेलना सीखने लगता है। इसीलिए कहा है कि मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है और मां की बोली भाषा से ही बच्चे के संस्कार बनते चले जाते हैं। आज संसार भर में लगभग 5000 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। उनमें से लगभग 1652 भाषाएं और बोलियां भारत में सूचीबद्ध की गई हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में जनसामान्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषाएं प्रादेशिक भाषाएं हैं क्योंकि इनका प्रयोग बोलने और लिखने में होता है। लिखित प्रयोग में जहां विचारों का आदान–प्रदान होता है वहीं साहित्य सृजन में भी इन प्रादेशिक भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के तौर पर पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी और राजस्थान की राजस्थानी के साथ–साथ अवधी, गढ़वाली, कुमाऊंनी तथा बृज भाषाएं भी अपने–अपने क्षेत्र में समृद्ध साहित्य की अधिकारिणी रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न गांवों–कस्बों और अंचलों में असंख्य बोलियां अभिव्यक्ति का माध्यम बनती हैं। यहां यह उक्ति भी चरितार्थ होती है कि भारत के हर बीस कोस पर पानी और बानी या बोली बदल जाती है।

भाषा शास्त्र में विश्व स्तर पर किए गए विभाजन के आलोक में भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा गया है– आर्य भाषा परिवार की भाषाएं और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। द्रविड़ भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व का रहा है। इनमें दक्षिण प्रांतों की भाषाएं तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाएं हैं। आर्य भाषा परिवार की उत्पत्ति प्राचीन काल की संस्कृत भाषा को माना जाता है। भारत के प्रथम लिखित दस्तावेज वेद कहलाते हैं और इन वेदों की रचना संस्कृत में हुई। संस्कृत यानी परिमार्जित अथवा शुद्ध भाषा, जिसमें अन्य किसी भाषा बोली की मिलावट नहीं है। यह मौलिक भाषा है। संस्कृत का अर्थ संस्कारवान होना भी है। सभ्य होना भी है, विशिष्ट होना भी है। इसलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। चूंकि संस्कृत व्याकरण के कठोर नियमों में आबद्ध थी और उच्चारण की कठिन विशिष्ट शैली के कारण यह केवल अभिजात्य या विशिष्ट अथवा शिक्षित–दीक्षित वर्ग की भाषा बनकर रह गई थी।

संस्कृत का एक सामान्य रूप भी प्रचलन में आने लगा था, जिसमें तत्कालीन कई लोक बोलियों का समावेश हो गया था। परिणामस्वरूप प्राकृत व अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। कुल 7 अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। इनमें से शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता रहा। अन्य अनेक भारतीय भाषाओं–बोलियों के योग से बने हिंदी के स्वरूप को खिचड़ी भाषा भी कहा गया। इस प्रकार आधुनिक आर्यभाषाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी भाषा हुई। मध्य काल में

कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, गुरुनानक और स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक संतों–महात्माओं और समाज सुधारकों ने जहां समूचे भारत के जनमानस में अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम हिंदी को बनाया वहीं मुगलकाल के शासकों ने हिंदी–फारसी के मिलेजुले रूप हिंदवी को अपने दरबार का प्रश्रय दिया। मध्यकाल के साहित्य साधकों ने भी श्रृंगार रस से हिंदी को खूब सजाया–संवारा। अमीर खुसरो और जायसी जैसे सूफी संतों ने भी आध्यात्मिक विरह और मिलन की भाषा के रूप में हिंदी का खुलकर प्रयोग किया। अंग्रेजी दासता काल में एक ओर हिंदी अपना साहित्य समृद्ध करती रही, वहीं शैक्षिक स्तर पर वह पिछड़ती भी रही क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से फूट डालो और राज करो जैसी अंग्रेजी शासन की कलुषित भावना फलीभूत होने लगी थी। भारतीय जन मानस जहां स्वदेश की आजादी के लिए उद्वेलित हो रहा था वहीं उनकी विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भी स्वदेशी भाषा की आवश्यकता महसूस करने लगा था। चूंकि विभिन्न भाषाओं–बोलियों में से हिंदी को बोलने और समझने का विशाल समुदाय उपलब्ध था, अतः राजनैतिक स्तर पर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के यत्न प्रारंभ हुए। समाज सुधारकों, लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और राजनैतिक चिंतकों–विचारकों ने अपने विचारों और संदेशों के बहुल आदान–प्रदान के लिए हिंदी माध्यम को सर्वश्रेष्ठ पाया। मराठी भाषी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। गुजराती भाषी महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदी ही देश को एक सूत्र में बांध सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोलाचार्य जैसे अनेक अहिंदी भाषी नेताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की पैरवी की। ऐसे में नवयुवकों से हिंदी सीखने की अपील की गई और नागरी प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इसके परिणामस्वरूप लाखों अहिंदी भाषियों ने न केवल हिंदी को सीखा बल्कि अपने जीवन में आत्मसात भी किया। ''सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा'' जैसी औजपूर्ण हिंदी रचनाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को बढ़ाया तथा ''निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल...'' कहकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे हिंदी काव्य शिल्पियों ने हिंदी को ही भारत के विकास का एकमात्र साधन कहा। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी जनभाषा और राष्ट्रभाषा के सशक्त रूप में उभरती चली गई तथा भीतर–ही–भीतर हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के ताने–बाने बुने जाते रहे।

आजादी के बाद संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तीन दिनों तक लगातार बहस और विचार–विमर्श के पश्चात अंततः 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर सुशोभित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। किंतु दक्षिण प्रांतों की भाषाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए एवं शासन–प्रशासन के अंग्रेजी अभ्यास को धीरे–धीरे कम करने के उद्देश्य से अगले पंद्रह वर्षों तक हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी को जारी रखने का 'परंतुक' भी जोड़ दिया गया, जो दुर्भाग्य से आज तक जारी है।

इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से लागू हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने में हिंदी के पक्षधर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया है।

हिंदी के राजभाषा स्वरूप की यात्रा तो यहां से प्रारंभ हो गई किंतु अब तक के समय काल तक पहुंचने में हिंदी को बहुत समय लगा और यदि कहें कि यह सुदीर्घ विकास यात्रा अब भी जारी है तो कोई अतिशयोक्ति या अनुचित न होगा। 1950 में संसद में पारित राजभाषा संकल्प के परिणामस्वरूप हिंदी के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए एक 15 वर्षीय योजना बनी। राजकाज में प्रयोगार्थ हिंदी शब्दावली के निर्माण के लिए 1950 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बोर्ड बनाया गया और हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की योजना लागू की गई। 1956 में राजभाषा आयोग गठित हुआ, जिसने हिंदी का क्रामिक प्रयोग बढ़ाने की सिफारिश की। हिंदी के विरोध में उठ खड़े हुए तमिलनाडु आंदोलन के परिणामस्वरूप संसदीय समिति की सिफारिशों पर अंग्रेजी को अनंतकाल तक हिंदी को सहभाषा के रूप में राजनैतिक संरक्षण भी देना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तब कहा कि अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषा के तौर पर तब तक रखना चाहूंगा जब तक लोग चाहेंगे और इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार मैं हिंदीतर भाषियों को देना चाहूंगा, हिंदी भाषियों को नहीं।

1963 में इस आशय के संसद में रखे गए राजभाषा विधेयक के आलोक में 1965 में राजभाषा अधिनियम लागू किया गया। इस राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार 1976 में राजभाषा नियम बनाए। इसी नियमावली के अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति जारी की गई। इस राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से राजभाषा विभाग

प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। इस कार्यक्रम के तहत देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है– क, ख, एवं ग।

राजभाषा विभाग के अधीन हिंदी शिक्षण योजना चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जो पहले से नहीं जानते। हिंदी अनुवाद ब्यूरो भी हिंदी के असंवैधानिक कार्यों के हिंदी अनुवाद के लिए एवं हिंदी अधिकारियों–निदेशकों एवं अनुवादकों को हिंदी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए प्राधिकृत संस्था है।

हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने और अपने शासकीय दायित्वों में हिंदी के अधिक–से–अधिक प्रयोग और विकास के लिए संवैधानिक दायित्वों से बंधे हैं। इसलिए हमें अपना सारा मौलिक कार्य यानी पत्राचार और टिप्पणियां करना तथा रजिस्टरों आदि में प्रविष्टि का कार्य हिंदी में करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम हिंदी के प्रति समर्पित रहें और अपनी मौलिक सोच हिंदी में करें।

उसके साथ ही साथ यह भी देखना है कि राजभाषा अधिनियम 1965 की धारा 3 (3) का अनुपालन करें। यानी कुछ ऐसे दस्तावेजों या कागजातों को हिंदी और अंग्रेजी यानी द्विभाषी रूप में ही जारी करें, जिनका महत्व स्थाई किस्म का है या फिर जो नीतिगत मामले हैं या जिनका उपयोग कानूनी रूप से कभी भी किया जा सकता है। या फिर जो एक से अधिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये कागजात हैं– संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस तथा टेंडर फार्म आदि। यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी

वह दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा होने का दर्जा मिल जाएगा। देश और विदेशी धरा पर आज तक आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में हुई हिंदी की पहचान और विकास में बराबर यह गूंज सुनाई देती है।

की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इसे जारी करने से पहले आश्वस्त हो लें कि ये द्विभाषी रूप में जारी हो रहे हैं।

राजभाषा के रूप में जहां हिंदी का विकास पुरस्कारों और प्रशस्तियों के बल पर है, वहीं हिंदी का उल्लंघन भी दंडदायक हो सकता है, यह बात भी हमें नोट कर लेनी है। जिस प्रकार किसी भी नियम–अधिनियम की उपेक्षा करने पर नियमों में दंड का प्रावधान है, उसी प्रकार राजभाषा नियमों का उल्लंघन या उपेक्षा करना भी दंड के प्रावधान के अंतर्गत आता है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें हिंदी का विकास करना है न कि इसकी उपेक्षा।

अब अंत में जरा नजर डाले सीमाओं के पार और जानें कि हिंदी कैसे वैश्विक धरातल पर अपना परचम फैला रही है। भारत में जहां हिंदी जानने–समझने और बोलने वालों की संख्या एक अरब तक पहुंच चुकी है, वहीं हिंदी विश्व में तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी जहां प्रथम है और चीन की मंडारिन दूसरे स्थान पर और हिंदी तीसरे स्थान पर। माना यह जा रहा है कि मंडारिन बोलने वालों की संख्या दिनोंदिन घटती जा रही है। इस प्रकार हिंदी का स्थान दूसरा होगा। किंतु भूमण्डलीकरण और बाजारवाद के चलते हिंदी जिस तरह दिन दूनी और रात तिगुनी तरक्की कर रही है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व में पहले स्थान पर होगी।

आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपने नवयुवकों को एशिया की भाषाएं, विशेष रूप से भारत की हिंदी भाषा सीखने का आह्वान करते हुए सुने जाते हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चय ही रोजगार से वंचित रहेंगे।

हिंदी विश्व भर के प्रसारण चैनलों का सशक्त माध्यम बन रही है। मीडिया–विज्ञापन, इंटरनेट, जैसे आधुनिकतम साधन, हिंदी के बिना अधूरे जान पड़ते हैं। सिनेमा और आकाशवाणी तो बहुत पहले से हिंदी के प्रचार में अपना योगदान देते आये हैं। आज हिंदी विश्व के 150 से अधिक देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन और अनुसंधान की भाषा हो गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इराक, इंडोनेशिया, इजराइल, ओमान, फिजी, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, सउदी अरब, पेरू, रूस, म्यांमार, त्रिनिदाद–टोबेगो, यमन आदि देशों में हिंदी ने अपना अच्छा खासा स्थान बना लिया है।

वह दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा होने का दर्जा मिल जाएगा। देश और विदेशी धरा पर आज तक आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में हुई हिंदी की पहचान और विकास में बराबर यह गूंज सुनाई देती है। अस्तु अंत में मैं यही कहूंगा कि चूंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हर भारतीय की भाषा है, अतः हिंदी की महानता को पहचानने–जानने और आत्मसात करने की पहल हमें ही करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन–आंगन में हिंदी के बीज बोयें ताकि हमारे व्यक्तिगत और शासकीय क्षेत्र में हर ओर हिंदी ही लहलहाये, हिंदी के ही फूल खिलें, हिंदी ही महके। हिंदी महकेगी तो हम महकेंगे हम महकेंगे तो समूचा भारत महकेगा।

सहायक निदेशक (राजभाषा),
आकाशवाणी, बीकानेर

मालवीय जी और हिंदी

❖ *विश्वनाथ त्रिपाठी* ❖

बहुमुखी प्रतिभा के धनी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक था। वर्ष 1861 में प्रयाग में उनका जन्म हुआ था। वे एक महान देश भक्त, स्वतंत्रता सेनानी विधिवत्ता, संस्कृत वाडमय और अंग्रेजी के विद्वान, शिक्षाविद्, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। उन्होंने 1886 में 25 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया और उसे संबोधित किया। वे वर्ष 1909, 1918, 1932 और 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेश चुने गए। वर्ष 1931 में उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में अपना पूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से महामना ने 1909 में वकालत छोड दी, यद्यपि उस समय वे सुंदर लाल जैसे प्रथम श्रेणी के वकीलों में गिने जाते थे। लेकिन दस साल बाद उन्होंने चौरा–चौरा कांड के मृत्युदण्ड के सजायाफ्ता 156 वागी स्वतंत्रता सेनानियों की पैरवी की और उनमें से 150 को बरी करा लिया।

महामना अपने द्वारा किए गये कार्यों का न तो स्वयं प्रचार करते थे और न चाहते थे कि उनके द्वारा किए गए सद्कार्यों का कोई दूसरा भी प्रचार करें। वे सही मायने में एक कर्मयोगी थे। मालवीय जी अपने द्वारा शुरू किये कार्य को किसी योग्य व्यक्ति को सौंपकर दूसरे नए कार्य में जुट जाते थे। उनके नाम का कहीं उल्लेख न हो इस बात पर वह इतना ध्यान देते थे कि अपने–अपने घरों के बाहर भी उन्होंने अपना नाम कभी नहीं लिखवाया।

19वीं शताब्दी में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण हो रहा था। एक तरफ

युवकों में राष्ट्रीय चेतना अंकुरित हो रही थी तो दूसरी तरफ मैकाले के जोर देने पर कम्पनी सरकार ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया, एतदर्थ देश में यत्र–तत्र अंग्रेजी के स्कूल खोले जाने लगे। अब प्रश्न उठा अदालती भाषा का और स्कूलों में हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने का। इन दोनों बातों में हिंदी का घोर विरोध हुआ। इस विरोध की कहानी भी बहुत रोचक है। मुगलकाल में अदालतों की भाषा फारसी चली आ रही थी। अंग्रेजी–शासन काल में भी प्रारंभ में यही परम्परा चलती रही किंतु सर्वसाधारण जनता की फारसी–भाषा और उसकी लिपि संबंधी कठिनाइयों को देखकर वर्ष 1836 में कम्पनी सरकार ने आज्ञा जारी की कि सारा अदालती काम देश की प्रचलित भाषाओं में किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त प्रांत में हिंदी खड़ी बोली को वहां की अदालती भाषा स्वीकार कर लिया गया। सारा अदालती कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में होने लगा। कम्पनी सरकार भाषा संबंधी इस नीति पर चिरकाल तक न टिक सकी। केवल एक साल के पश्चात उत्तरी भारत के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। यह सब मुसलमानों के विरोध के कारण हुआ। इस प्रकार मान–मर्यादा और आजीविका की दृष्टि से सबके लिये उर्दू सीखना आवश्यक हो गया और देश–भाषा के नाम पर स्कूलों में छात्रों को उर्दू पढ़ाई जाने लगी। इस प्रकार हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पढ़ने वालों की संख्या दिन–प्रतिदिन कम होने लगी।

उत्तरी भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म–प्रचार और आर्य समाज की स्थापना कर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने हिंदुस्तान को आर्यावर्त तथा हिंदी को आर्य भाषा का नाम दिया तथा प्रत्येक आर्य के लिए आर्यभाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। स्वामी दयानंद तथा उनके द्वारा स्थापित 'आर्य समाज' ने हिंदी भाषा के प्रचार में जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह चिरस्मरणीय है।

अब देश में इस प्रकार का वातावरण बन रहा था कि संयुक्त प्रांत (आज के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) के बुद्धिजीवियों के लिए यह बर्दाश्त करना असंभव होने लगा था कि सुसंस्कृत तथा समृद्ध भाषा हिंदी के होते हुए भी पराधीन होने के कारण प्रांत की जनता को समस्त राजकीय कार्य में विदेशी भाषा फारसी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़े। अंततः 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते–आते अनेक स्वाभिमानी देशभक्त बुद्धिजीवियों ने इस बात का बीड़ा उठाया कि प्रदेश में विदेशी भाषा की जगह निज भाषा के प्रयोग की शासकीय अनुमति मिल जाए। इस कड़ी में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास राजा शिवप्रसाद

द्वारा भी वर्ष 1868 में किया गया। जो उपर्युक्त विदेशी लिपियों के हिमायतियों के विरोध के कारण सफल न हो सका।

वर्ष 1848 में प्रयाग में हिंदी उद्धारिणी–प्रतिनिधि मध्यसभा की स्थापना हुई। मालवीय जी ने इसमें जी खोलकर काम किया, व्याख्यान दिए, लेख लिखे और अपने मित्रों को भी उस काम में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित किया। उन्होंने नए सिरे से अदालतों में नागरी के प्रवेश का प्रयत्न किया। मालवीय जी ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि अब तक इस दिशा में क्यों सफलता नहीं मिली। महामना ने व्यवस्थित ढंग से इस काम को हाथ में लिया। एक ओर तो उन्होंने देवनागरी लिपि के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान की योजना शुरू की दूसरी ओर बहुत–सी सामग्री एकत्रित कर कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजूकेशन नाम की पुस्तकें लिखीं। इसमें हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज में क्यों किया जाए इसकी प्रचुर सामग्री थी।

इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र दवारा काशी में स्थापित नागरी प्रचारिणी सभा भी नागरी लिपि के प्रचार–प्रसार में लगी थी। किंतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त न होने कारण उसकी स्थिति बिगड़ रही थी। मालवीय जी ने नागरी प्रचारिणी सभा की गतिविधियों में आरंभ से ही अत्यधिक रुचि ली तथा नागरी प्रचारिणी सभा को भी हिंदी के प्रचार–प्रसार के कार्य में प्रगतिशील बनाकर एसे एक प्रकार से पुनर्जीवित कर दिया।

दिन–रात एक करके अपनी वकालत के सुनहरे दिनों में धुन के साथ मालवीय जी ने गहरी छानबीन के साथ नागरी के पक्ष में प्रमाण और आंकड़े इकट्ठे किये। सैंकड़ों जगह डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी लिपि की सुंदरता, सहजता और उपयोगिता दिखाई गई। मालवीय जी ने वकालत करते हुए भी अपने मित्र मंडित श्रीकृष्ण जोशी के साथ मिलकर घोर परिश्रम किया। अपने पास से रुपये खर्च करके उपरोक्त कोर्ट लिपि का इतिहास, विगत अधिकारियों की सम्मतियां एकत्र करके एक बड़ी सुंदर पुस्तक 'कोर्ट कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ वेस्टर्न प्रौविन्सेज लिखी। यह अभ्यर्थना लेख लेकर 2 मार्च, 1898 को अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण सिंह 'मांडा के राजा रामप्रसाद सिंह' आवागढ़ के राजा बलवंत, डॉ. सुंदर लाल आदि के साथ मालवीय जी का एक दल गवर्न्मेंट हाउस प्रयाग में छोटे लाट साहब सर एंटोनी मैक्डॉलेन से मिला। मालवीय जी की मेहनत सफल हो गई । उनकी सब बातें मान ली गईं। अंत में 18 अप्रैल, 1990 को सर ए पी मैक्डॉलेन ने एक विज्ञप्ति (गवर्नमेंट गजट) निकाली जिससे अदालतों में तथा शासकीय कार्यों में नागरी को भी स्थान मिल गया। लेकिन देश के हिंदी विरोधी लोगों ने इस पर खूब उधम मचाया। इस आदेश के विरोध में जगह–जगह सभाएं की गईं। प्रस्ताव भेजे गए कि हिंदी को इस प्रकार स्वीकार न किया जाए। पर मालवीय जी भी अपने अभियान में डटे रहे। हिंदी के पक्ष में भी सभाएं हुईं प्रस्ताव भेजे गए। अतः लाट साहब तनिक भी विचलित न हुए और अंत में बड़े लाट साहब की अनुमति से यह नियम बन गया कि सभी लोग अपनी अर्जी, शिकायत की दरखास्त चाहे हिंदी या फारसी में दे सकते हैं। अदालतों, शासकीय कार्यालयों को निर्देश दे दिया गया कि सभी कागजात जैसे सम्मन आदि, जो सरकार की ओर से जनता के लिए निकाले जायेंगे वह दोनों लिपियों यानी नागरी लिपि और फारसी में लिखे अथवा भरे होंगे। सरकार ने इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि आगे किसी भी व्यक्ति को तभी सरकारी नौकरी मिल सकेगी जब वह हिंदी भाषा का भी जानकार हो। जो कर्मचारी हिंदी नहीं जानते थे उन्हें एक साल के भीतर हिंदी सीखनें को कहा गया अन्यथा वे नौकरी से अलग कर दिए जायेंगे। इस प्रकार मालवीय जी के अथक प्रयास से हिंदी का प्रवेश संयुक्त प्रांत के शासकीय कार्यालयों में हुआ।

महामना हिंदी के प्रति समर्पित थे। वे चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम भी हिंदी हो। वर्ष 1882 में अंग्रेजों ने एक शिक्षा कमीशन बैठाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यह निर्धारित हो कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और शिक्षा कैसे दी जाये? इस आयोग में साक्ष्य के लिए महामना पंडित मदनमोहन मालवीय तथा 'भारतेंदु हरिश्चंद्र चुने गए थे। भारतेंदु अस्वस्थ होने के कारण आयोग के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाये। महामना आयोग के सामने उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा समस्त क्षेत्रों में दी जाये और वह हिंदी भाषा में हो।

महामना वर्ष 1886 से कांग्रेस से जुड़कर देश की राजनीति में आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। तभी से उनका सम्पर्क देश के बड़े राजनेताओं से हो गया था। धीरे–धीरे उनको देश के बड़े राजनेता के रूप में जाना जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन के वह अध्यक्ष चुने गए। देश के व्यापक भ्रमण और गहन जनसम्पर्क से उन्हें यह स्पष्ट दिखने लगा कि अनेक भाषाओं के इस में भारत के स्वतंत्र होने पर किसी एक भाषा का सम्पर्क भाषा के लिए राष्ट्रभाषा का रूप लेना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि देश के अधिकांश भू–भाग में अधिक–से–अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की हिंदी बोलते और समझते थे। जबकि देश की अन्य भाषाएं यद्यपि उतनी

ही महत्वपूर्ण थी पर उनका दायरा सीमित था। वे इतने विशाल जनसमुदाय के द्वारा बोली और समझी नहीं जाती थीं। एक स्वतंत्र राष्ट्र को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र भाषा के रूप में मालवीय जी ने हिंदी की महत्ता को परखा। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि देश के अहिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों को हिंदी जानने व समझने का मौका मिलना चाहिए। अतः वर्ष 1910 में महामना के प्रयासों से काशी में ''हिंदी साहित्य सम्मेलन'' की स्थापना हुई। मालवीय जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। धीरे–धीरे पूरे देश में हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं खोली गईं। इसके माध्यम से देश के अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को हिंदी पढ़ने व सीखने का अवसर मिला। अपने स्वभाव के अनुरूप मालवीय जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करने के बाद इसे आगे चलाने के लिए बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन को सौंप दिया।

वर्ष 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में हिंदी के प्रचार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी–प्रचार का काम प्रारंभ किया। 1935 में दूसरी बार इंदौर में हुए सम्मेलन के अधिवेशन को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ''मेरा क्षेत्र दक्षिण में हिंदी–प्रचार है। वर्ष 1918 में जब आपका अधिवेशन यहां हुआ था तब से दक्षिण में हिंदी प्रचार के कार्य का आरंभ हुआ है।'' महात्मा गांधी ने मालवीय जी के हिंदी प्रचार की प्रशंसा करते हुए कहा था, सबसे पहला अधिवेशन वर्ष 1910 में हुआ था। उसके सभापति मालवीय जी महाराज ही थे। उनसे बढ़कर हिंदी प्रेमी भारत वर्ष में हमें कहीं नहीं मिलेगा। कैसा अच्छा होता यदि वह आज भी इस पद पर होते। उनका हिंदी प्रचार–क्षेत्र भारतव्यापी है, उनका हिंदी का ज्ञान उत्कृष्ट है।''

महात्मा गांधी मालवीय जी का बड़ा सम्मान करते थे। वे मालवीय जी के राष्ट्रभाषा हिंदी संबंधी विचारों से पूर्णतः सहमत थे। महात्मा गांधी कहते थे कि यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा महत्वपूर्ण है।

अंततः हिंदी के महत्व को सभी ने समझा। कालांतर में कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितम्बर, 1949 के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान में राजभाषा के हिंदी के प्रबंध में अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

आज इस देश के लोगों को शायद इस बात का अहसास भी न होगा कि भारत में हिंदी को विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं थी। मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी को सर्वप्रथम एक विषय के रूप में मान्यता दी। आज हिंदी में पढ़ाई सारे विश्वविद्यालयों में प्रचलित है। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि इसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रत्न थे। मालवीय जी को हिंदी के अखबारों का जनक कहना भी अतिशयोक्ति न होगी। कालाकॉकर (प्रतापगढ़) से हिंदुस्तान का संपादन करने के बाद उन्होंने प्रयाग से वर्ष 1907 में प्रकशित 'अभ्युदय' और उसके बाद 'मर्यादा' का संपादन किया। इन समाचारपत्रों और इनके संपादकीय को जो सफलता और लोकप्रियता मिली वह अन्य समाचार पत्रों के लिये मार्गदर्शक बनी।

(पसूका से साभार)

देवनागरी लिपि: गुण, दोष एवं वैज्ञानिकता

❖ डॉ. राजवीर सिंह ❖

नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं एवं 9वीं सदी से आरंभ हुआ। 10वीं सदी से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों की दो शाखाएं हैं– पश्चिमी नागरी तथा पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी की प्रमुख या प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है।

देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है। भारतीय संविधान ने इस लिपि को 'राजलिपि' का दर्जा प्रदान किया है। आज संपूर्ण महाराष्ट्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि को बायीं ओर से दायीं ओर लिखा जाता है। हालांकि देवनागरी लिपि मूलतः वर्णाक्षरी लिपि है, लेकिन व्यवहार (उपयोग) में यह आक्षरिक लिपि है। देवनागरी में लिखित प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है। यही रेखा शिरोरेखा कहलाती है।

देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी (हिंदी की समस्त बोलियां), नेपाली बोडो, मराठी, कोंकणी तथा सिंधी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णु प्रिया (मणिपुरी) तथा उर्दू आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।

देवनागरी लिपि के लगभग एक हजार वर्षों के इस जीवनकाल में इसके लिपि चिह्नों के रूपों में न्यूनाधिक रूप से परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित उल्लेखनीय बातें भी देवनागरी लिपि में आई हैं–

अ) सबसे महत्वपूर्ण बात देवनागरी लिपि पर फारसी का प्रभाव है। देवनागरी लिपि में नुक्ते या बिंदु का प्रयोग फारसी लिपि का प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिंदु प्रधान लिपि कही जा सकती है, क्योंकि फारसी लिपि के अनेक लिपिचिह्न (जैसे– बे–पे–ते–से, रे–जे–फे, ढाल–जाल, तोय–जोय, स्वाद–ज्वाद, ऐन–गैन, सीन–शीन) बिंदु के कारण ही उसमें अलग–अलग हैं। फारसी लिपि के प्रभाव के कारण कुछ परंपरागत तथा नवागत ध्वनियों के लिए देवनागरी लिपि में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा है, जैसे–ड–ड़, ढ–ढ़, क–क़, ख–ख़, ग–ग़, ज–ज़, फ–फ़।

ब) देवनागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है। पुराने ञ्र तथा ल लिपिचिह्नों के स्थान पर अ तथा ऒ या ओ, अु आदि रूपों में सभी स्वरों के लिए 'अ' लिपिचिह्न का ही कुछ लोगों द्वारा प्रयोग वस्तुतः मराठी तथा गुजराती का प्रभाव है।

स) कुछ लोग देवनागरी लिपि को बिना शिरोरेखा के लिखते हैं। यह गुजराती लिपि का प्रभाव है। गुजराती लिपि शिरोरेखा विहीन लिपि है।

द) अंग्रेजी के ऑफिस, कॉलिज आदि शब्दों में 'आ' को स्पष्टतः लिखने के लिए देवनागरी लिपि में 'आ' का प्रयोग होने लगा है। इसका अर्ध चंद्र तो पुराने चंद्रबिंदु से ग्रहीत है, लेकिन देवनागरी में यह अंग्रेजी के प्रभाव से आया है।

य) देवनागरी लिपि में पहले मुख्यतः एक खड़ी पाई या दो खड़ी पाइयों का विराम चिह्न के रूप में प्रयोग करते थे। इधर अंग्रेजी के विराम–चिह्नों आदि ने प्रभावित किया है तथा पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिह्न हमने अंग्रेजी से लिए हैं। कुछ लोग अब पूर्ण विराम के स्थान पर लिपि में अंग्रेजी की तरह बिंदु का प्रयोग करने लगे हैं। यह स्पष्टतः अंग्रेजी का प्रभाव है।

व) उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण देवनागरी में कभी–कभी ह्रस्व 'ऍ' 'ऑ' के द्योतन के लिए अब 'ऍ' तथा ऑ का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी तथा ध्वनियों के ज्ञान ने भी देवनागरी लिपि को प्रभावित कर न्यूनाधिक रूप में परिवर्तित तथा विकसित किया है।

देवनागरी लिपि के गुण–दोष

दुनिया की कोई भी वस्तु सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं होती। इसी प्रकार प्रत्येक लिपि की कुछ–न–कुछ विशेषताएं हैं, साथ ही कुछ–न–कुछ सीमाएं भी निश्चित रूप से होती हैं। देवनागरी लिपि के भी निम्नलिखित गुण–दोष हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि देवनागरी लिपि की काफी विशेषताएं उसके गुण हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं, जिन्हें देवनागरी लिपि के अवगुण (दोष) मानना पड़ेगा। देवनागरी लिपि के गुण–दोष निम्नवत हैं–

1) लिपिचिह्नों के नाम ध्वनियों के अनुरूप

देवनागरी लिपि का यह प्रमुख गुण है कि देवनागरी लिपि का जो लिपिचिह्न जिस ध्वनि का द्योतक हैं, उसका नाम भी वही है, जैसे–आ, ओ, क, प, त इत्यादि। देवनागरी लिपि की यह सर्वप्रमुख विशेषता है–

यथा उच्चरते तथा लिख्यते।
यथा लिख्यते तथैव पठ्यते।

अर्थात देवनागरी लिपि में वर्णअंकन ध्वनि के अनुसार ही होता है। इसमें 'जैसा बोला जाता है, वैसा ही लिखा जाता है तथा जैसा लिखा जाता है उसे वैसा ही पढ़ा जाता है।'' यह गुण देवनागरी लिपि के अतिरिक्त अन्य किसी लिपि में नहीं है। रोमन लिपि में ऐसा न होने के कारण भाषा सीखने वाले व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है तथा उसे याद करना पड़ता है कि कौन–सा लिपिचिह्न किस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए देवनागरी लिपि को सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि माना गया है।

देवनागरी लिपि में वर्ण–अंकन ध्वनि के अनुसार होता है, जबकि रोमन लिपि में Talk, Knife, Knowledge, Walk, Calf तथा Depot आदि शब्दों में अनुच्चरित ध्वनियां भी हैं। रोमन लिपि में लिपिचिह्न शब्द में आई किसी भी ध्वनि का कार्य न कर किसी अन्य ध्वनि का कार्य करता है, जैसे–एच (ह), ए (अ, आ, ऐ), सी (क), डब्ल्यू (व), वाई (य) का कार्य करता है। इसलिए यह सर्वाधिक अवैज्ञानिक है। फारसी (उर्दू) लिपि में यह अवैज्ञानिकता इतनी अधिक तो नहीं है, किंतु देवनागरी लिपि की तुलना में अधिक है। इसलिए उर्दू में भी कुछ–का–कुछ पढ़े जाने की संभावना बनी रहती है। इसे इस उदाहरण की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है– ''अब्बा अजमेर गए।'' को उर्दू में लिखने पर इस तरह भी पढ़ा जा सकता है– ''अब्बा आज मर गए।'' देवनागरी लिपि में इस प्रकार की विसंगतियां होने की गुंजाइश या संभावना नहीं है।

(2) एक ध्वनि के लिए एक लिपिचिह्न

देवनागरी लिपि का यह प्रमुख गुण है कि इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न है, एक से अधिक नहीं है। देवनागरी लिपि के अलावा रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में तो एक ही ध्वनि के लिए कई–कई लिपिचिहनों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए 'क' ध्वनि के लिए कभी CH (Chemist), कभी CK (Back), कभी Q (Cheque) तथा कभी आंशिक रूप से X (Box) का प्रयोग होता है। यह गुण फारसी लिपि में भी नहीं है। उदाहरण के लिए उर्दू में 'स' ध्वनि के लिए तीन लिपिचिह्न हैं– 'से', स्वाद, सीन। इसी प्रकार उर्दू में 'ज' ध्वनि के लिए जे, जाल, जोय तथा ज्वाद चार लिपिचिह्नों हैं। यही कारण है कि कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी की वर्तनी उस रूप में रटने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार अंग्रेजी या उर्दू में रटनी पड़ती है।

(3) एक लिपिचिह्न से एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति

देवनागरी लिपि का यह प्रमुख गुण है कि इसके एक लिपिचिह्न से केवल एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है। देवनागरी लिपि के अलावा रोमन आदि लिपियों में यह गुण नहीं है। रोमन लिपि के अनेक लिपिचिह्न ऐसे हैं जो एक से अधिक ध्वनियों की अभिव्यक्ति करते हैं। उदाहराणार्थ C=स तथा क ध्वनियां, G = ग, ज:, A = अ, आ, ऐ आदि, E= ए, इ (पैकिट), u = उ, इत्यादि। यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा में उच्चारण सिखाना पड़ता है तथा याद करना पड़ता है, जैसे Put (पुट), But (बट), Cut (कट), Bus (बस), Gun (गन), Busy (बिजी), Business (बिजनेस), Cat (कैट), Pen (पैन) इत्यादि।

उर्दू में भी एक से लिपिचिह्न एक–से अधिक ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ – अलिफ 'अ' को भी व्यक्त करता है तथा 'आ' को भी व्यक्त करता है तथा कभी–कभी 'ई' (बिलकुल) को भी व्यक्त करता है। इसी प्रकार वाव लिपिचिह्न 'व' 'ऊ' 'ओ', औ ध्वनियों को व्यक्त करता है। इसी कारण से कभी–कभी उर्दू पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि में शब्द की वर्तनी और उसके उच्चारण का वह सहज एवं वैज्ञानिक संबंध नहीं है, जो देवनागरी लिपि में है।

4 लिपिचिह्नों की पर्याप्तता

देवनागरी लिपि का प्रमुख गुण है कि यह लिपि लिपिचिह्नों की पर्याप्तता की दृष्टि से संपन्न व समृद्ध लिपि है। देवनागरी लिपि में 10 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग चिह्नों के होने के कारण संसार की समस्त भाषाओं की ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की क्षमता है, जबकि रोमन लिपि में अंग्रेजी की 40 से अधिक ध्वनियों के लिए केवल 26 लिपिचिह्नों से ही काम चलाना पड़ता है। उर्दू में भी ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि ध्वनियों के लिए कोई लिपिचिह्न नहीं है। इसमें 'हे' से मिलाकर इन ध्वनियों का काम चलाते हैं। उदाहरण के लिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, आदि सभी महाप्राण ध्वनियों को रोमन में के, जी आदि में एच मिलाकर तथा उर्दू में काफ़, गाफ़ आदि में 'हे' मिलाकर लिखते हैं। ऐसी स्थिति में इन लिपियों में एक ध्वनि के दो पढ़े जाने की संभावना बनी रहती है, जैसे Aghan अघन भी है तथा अगहन भी।

देवनागरी लिपि के व्यंजन (वर्ण) सात वर्गों में विभाजित हैं।– 1 कंठ्य 2, तालव्य, 3 मूर्धन्य 4 दंत्य 5, ओष्ठ्य, अर्ध स्वर 7 ऊष्म तथा अंतस्थ व्यंजन। देवनागरी लिपि में 10 स्वर, अनुस्वार तथा विसर्ग के 12 लिपिचिह्नों से बारह खड़ी तैयार की जाती है, जैसे–

क	का	कि	की	कु		कू
के	कै	को	कौ	कं		कः
च	चा	चि	ची	चु	चू	चे
चै	चो	चं	चः			
प	पा	पि	पी	पु	पू	पै
पो	पं	पः आदि				

व्यंजनों में 'श' और 'ष' के स्थान पर मध्यकाल में केवल 'स' का प्रयोग होता था, किंतु अब श, ष, स तीनों की लिपिचिह्नों का प्रयोग होता है। हिंदी में अनुस्वार के अतिरिक्त अनुनासिक ध्वनि भी आ गई है, जिसके लिए अर्ध चंद्र बिंदु (ँ) लिपिचिह्न का प्रयोग अक्षर के रूप में होता है।

अरबी–फारसी की अलिजिह्वीय ध्वनियों क, ख, ग के नीचे नुक्ता लगाकर क़, ख़, ग़ तथा तालव्य संघर्षी और दंत्योष्ठ्य संघर्षी ध्वनियों के लिए 'ज' तथा 'फ' के नीचे नुक्ता लगाकर 'ज़' और 'फ' लिखा जाता है। अतः लिपिचिह्नों की पर्याप्तता की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि रोमन या उर्दू आदि से बहुत संपन्न है।

(5) ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र लिपिचिह्न

हिंदी स्वरों में ह्रस्व तथा दीर्घ का भेद है। इन ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों की अपनी–अपनी मात्राएं भी निश्चित हैं। हिंदी के ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के लिए देवनागरी लिपि में अलग–अलग स्वतंत्र लिपिचिह्न हैं। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि तथा रोमन आदि लिपियों में कोई समानता नहीं है। रोमन लिपि में 'ए' (A) लिपिचिह्न से 'अ' का भी काम लेते हैं तथा आ का भी काम लेते हैं, जैसे Kam 'कम' भी है तथा 'काम' भी है। 'Kala' 'कला' भी है तथा 'काला' भी है। इसी प्रकार 'यू' (u) 'उ' भी है तथा 'ऊ' भी है। इसके साथ u 'ऊ', But में u = 'अ' तथा Busy में u = 'इ' भी है जबकि देवनागरी लिपि में अ–आ, इ–ई, उ–ऊ में ह्रस्व तथा दीर्घ का स्पष्ट अंतर है। इसलिए रोमन की तरह देवनागरी लिपि में भ्रम की गुंजाइश नहीं है।

6) लेखन और उच्चारण में समानता

देवनागरी लिपि का यह गुण है कि देवनागरी लिपि में लेखन और उच्चारण में समानता या एकरूपता है, जबकि रोमन लिपि में लिखित Psychology को 'साइक्लोजी' Pneumonia को 'न्यूमोनिया', 'Colonel' को कर्नल तथा Lieutenant को 'लेफ्टीनेंट' बोला जाता है, जबकि इनके लिखित रूप और उच्चारित रूपों में समानता नहीं हैं।

7) लिपिचिह्नों की आकृति की समानता

देवनागरी लिपि का यह गुण है कि इसमें लिपिचिह्न आकार की दृष्टि से छोटे या बड़े नहीं होते, उनकी आकृति प्रायः समान बराबर होती है, जबकि रोमन लिपि में कोई लिपिचिह्न ऊपर लिखा जाता है, तो कोई लिपिचिह्न नीचे लिखा जाता है। रोमन लिपि में Captial Letters आकृति की दृष्टि से समान होते हैं, जबकि Small Letters आकृति की दृष्टि से समान नहीं होते। कोई वर्ण छोटा होता है, तो कोई वर्ण काफी छोटा होता है तथा कोई वर्ण काफी बड़ा होता है, जैसे–c, e, i, k,h, g, j, p, f आदि।

(8) मात्राओं का प्रयोग

देवनागरी लिपि में यदि स्वर स्वतंत्र रूप में आते हैं, तो पूरे लिपिचिह्न वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे आग, ईद, गाउन आदि। लेकिन व्यंजन के साथ 'अ' को छोड़कर अन्य सभी स्वरों का मात्रा वाला रूप प्रयुक्त होता है, जैसे–नाग, सीख, चतुर, मूर्ख, दिन, नोट, चौक आदि। यदि देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग नहीं होता, तो 'काला' को क्आल्आ, 'कुली' को 'क्उल्ई', 'नाली' को 'न्आल्ई' तथा 'चौकीदार' को 'च्औक्आद्आरई' लिखना पड़ता। रोमन लिपि की तुलना में भी इससे प्रायः स्थान कम ही घिरता है; जैसे–'काला' = 'Kala', 'बाबू' = 'Baboo' आदि। लेकिन देवनागरी लिपि में ऊपर–नीचे, आगे–पीछे मात्राओं के कारण असुविधा अवश्य होती है।

9 व्यंजन लिपिचिह्नों की आक्षरिकता

देवनागरी लिपि का प्रत्येक व्यंजन लिपि चिह्न व्यंजन न होकर 'व्यंजन' तथा 'अ' स्वर का योग है; जैसे– क = क्+अ, ख= ख्+अ, च+अ, त+अ इत्यादि। लिपि का ऐसा होना आक्षरिकता है। अर्थात व्यंजन लिपिचिह्न वस्तुतः अक्षर है। यहां अक्षर का आशय है व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप। देवनागरी लिपि का यह गुण एक दृष्टि से तो अवगुण है, लेकिन स्थान कम घेरने की दृष्टि से गुण भी है। उदाहरणार्थ – कमल Kamala, निर्मल Nirmala तथा केवल = Kewala आदि ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनसे देवनागरी लिपि में रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घिरता है।

(10) अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपिचिह्न

यह भी देवनागरी लिपि का गुण है कि इसमें अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन ध्वनियों के लिए पृथक–पृथक स्वतंत्र लिपि

देवनागरी लिपि का प्रमुख गुण है कि यह लिपि लिपिचिह्नों की पर्याप्तता की दृष्टि से संपन्न व समृद्ध लिपि है। देवनागरी लिपि में 10 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग चिह्नों के होने के कारण संसार की समस्त भाशाओं की ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की क्षमता है, जबकि रोमन लिपि में अंग्रेजी की 40 से अधिक ध्वनियों के लिए केवल 26 लिपिचिह्नों से ही काम चलाना पड़ता है। उर्दू में भी ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि ध्वनियों के लिए कोई लिपिचिह्न नहीं है। इसमें 'हे' से मिलाकर इन ध्वनियों का काम चलाते हैं।

चिह्न हैं; जैसे क, ख, च, छ, त, थ, प, फ आदि। जबकि रोमन लिपि में अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन ध्वनियों के लिए देवनागरी लिपि की तरह पृथक–पृथक स्वतंत्र लिपिचिह्नों की व्यवस्था नहीं है। रोमन लिपि में अल्पप्राण व्यंजन ध्वनि के लिपिचिह्न के साथ h जोड़कर महाप्राण व्यंजन ध्वनि को लिखा जाता है, उदाहरणार्थ– ख = Kh, थ = th, फ = Ph इत्यादि।

(11) वर्णमाला का वर्गीकरण

यह भी देवनागरी लिपि का प्रमुख गुण है कि देवनागरी लिपि की वर्णमाला वैज्ञानिक रूप में विभाजित या वर्गीकृत है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण अलग हैं तथा व्यंजन वर्ण अलग है। स्वरों में भी ह्रस्व तथा दीर्घ के युग्म (अ–आ, इ–ई, उ–ऊ) साथ–साथ हैं। व्यंजन वर्णों में क, च, ट, त, प के वर्ग स्थान पर आधारित हैं तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग के व्यंजन वर्ण घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो व्यंजन वर्ण अघोष तथा अंतिम तीन व्यंजन वर्ण सघोष हैं। इसी प्रकार प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन वर्ण दो प्रकार हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम व्यंजन वर्ण अल्पप्राण हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन वर्ण महाप्राण हैं। अनुनासिक व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ग के अंत में हैं। सबसे अंत में अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। देवनागरी लिपि के अलावा रोमन लिपि या उर्दू में इस प्रकार वर्णमाला का वर्गीकरण नहीं है।

(12) सुपाठ्यता

सुपाठ्यता किसी भी लिपि के लिए अत्यावश्यक गुण है। सुपाठ्यता की दृष्टि से देवनागरी लिपि बहुत वैज्ञानिक लिपि है। इसमें लिखा होता है, उसे वैसा ही पढ़ा जाता है। यह गुण देवनागरी लिपि के अलावा रोमन आदि लिपियों में नहीं है। रोमन लिपि में Mal को 'मल', 'माल' तथा मैल भी पढ़ा जाता है। इसी प्रकार उर्दू में भी 'तर', 'तिर' तूर या 'जूता' को 'जोता', 'जौता' तथा 'जूता' इत्यादि कई रूपों में पढ़े जाने की गलती प्रायः हो जाती है। देवनागरी लिपि में ऐसी अवैज्ञानिकता नहीं है।

यूनिकोड एवं देवनागरी लिपि

यूनिकोड प्रत्येक वर्ण के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो तथा चाहे कोई भी भाषा हो। कंप्यूटर मूल रूप से नंबरों से संबंध रखते हैं। ये कंप्यूटर प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित कर अक्षर और वर्ण संग्रहीत करते हैं। यूनिकोड भाषाओं का एकीकरण करने का प्रयास करता है। इसी नीति के तहत पश्चिम यूरोपीय भाषाओं को 'लैटिन' के अंतर्गत समाहित किया गया है। सभी स्लाविक भाषाओं को सिरिलिक (Cyrilic) के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, सिंधी तथा कश्मीरी इत्यादि भाषाओं के लिए 'देवनागरी' नामक एक ही ब्लॉक दिया गया है। चीनी, जापानी, कोरिया तथा वियतनामी भाषाओं को 'युनिहान' (Unihan) नामक ब्लॉक में रखा गया है। बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाने वाली लिपियों के अतिरिक्त दायीं ओर से बायीं ओर लिखी जाने वाली लिपियों; जैसे–अरबी तथा हिब्रू इत्यादि को भी इस यूनिकोड में शामिल किया गया है। यूनिकोड 16 बिट्स को एक इकाई के रूप में लेकर चलता है। यूनिकोड के माध्यम से एक ही दस्तावेज में अनेक भाषाओं के 'टेक्सट' लिखे जा सकते हैं।

देवनागरी यूनिकोड की रेंज 0900 से 097F तक है। ये दोनों ही संख्याएं 16 बिट्स की हैं। देवनागरी यूनिकोड के माध्यम से किसी भी भाषा के 'टेक्सट' को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया जा सकता है। देवनागरी यूनिकोड में क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त वर्णों के लिए अलग से कोड निर्धारित नहीं है। इन संयुक्त वर्णों को संयुक्त वर्ण मानकर अन्य संयुक्त वर्णों की तरह इनका अलग से कोड नहीं दिया गया है। देवनागरी यूनिकोड की इस रेंज में बहुत–से ऐसे वर्णों के भी कोड दिए गए हैं, जो सामान्य रूप से हिंदी भाषा में प्रयुक्त नहीं होते, लेकिन ये कोड कश्मीरी, सिंधी, तेलुगू, कन्नड तथा मलयालम इत्यादि भाषाओं को देवनागरी लिपि में सम्यक रूप से लिखने के लिए आवश्यक है। देवनागरी यूनिकोड में नुक्ता वाले वर्णों, जैसे– ज़, फ़ इत्यादि के लिए यूनिकोड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नुक्ते के लिए अलग से यूनिकोड दे दिया गया है। अतः नुक्तायुक्त वर्ण यूनिकोड की दृष्टि से दो रूपों में या दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं– (i) एक बाइट यूनिकोड के रूप में तथा (ii) दो बाइट यूनिकोड के रूप में। उदाहरण के लिए 'ज' वर्ण को ज के बाद नुक्ता (.) टाइप करने पर भी लिखा जा सकता है। अतः

देवनागरी यूनिकोड के माध्यम से किसी भी भाषा को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया जा सकता है।

देवनागरी लिपि के उक्त गुणों के आधार पर यह लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है तथा अनेक गुण देवनागरी लिपि के अलावा अन्य लिपियों में दुर्लभ हैं। देवनागरी लिपि लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर तथा वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है।

देवनागरी लिपि में दोष

देवनागरी लिपि में अनेक गुण होते हुए भी इसमें निम्नलिखित कुछ दोष भी हैं–

(1) देवनागरी लिपि में क, ख, ग आदि व्यंजन लिपिचिह्नों में व्यंजन तथा स्वर मिले हुए हैं, जैसे क = क् + अ, ख = ख् + अ, ग = ग् + अ। अर्थात् देवनागरी लिपि वर्णनात्मक नहीं हैं, बल्कि आक्षरिक लिपि है।

(2) देवनागरी लिपि में दंत्योष्ठ्य 'व' तथा न्ह, म्ह, ल्ह आदि के लिए पृथक स्वतंत्र लिपिचिह्न नहीं है।

(3) देवनागरी लिपि में 'व' लिपिचिह्न से दो ध्वनियाँ– द्विओष्ठ्य तथा दंत्योष्ठ्य व्यक्त होती है।

(4) हिंदी भाषा की दृष्टि से एक ही ध्वनि के लिए देवनागरी लिपि में रि–ऋ तथा श–ष लिपि चिह्न आज भी है।

(5) देवनागरी लिपि के कुछ लिपिचिह्नों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जैसे–घ–ध, म–भ, ख–रव आदि।

(6) देवनागरी लिपि में 'ड' तथा 'ञ' लिपिचिह्न निरर्थक हैं, क्योंकि इन दोनों में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होने की क्षमता नहीं है। इनके संयुक्त रूप के लिए अनुस्वार (ं) का प्रयोग होता है, जैसे– गड्गा गंगा, अड्क – अंक, चञ्चल= चंचल, पञ्जा = पंजा इत्यादि।

7 देवनागरी लिपि में 'र' के एक से अधिक प्रकारों (रूपों) का होना भी कठिनाई पैदा करता है, जैसे–रात, प्रकार, कर्म तथा राष्ट्र आदि।

8 देवनागरी लिपि में मात्राओं की दृष्टि से जटिलता है, क्योंकि इसमें मात्राएं या तो शिरोरेखा के ऊपर अथवा वर्ण के नीचे या वर्ण के आगे–पीछे लगने के कारण लेखन, टंकण तथा मुद्रण आदि में यह लिपि जटिल है।

अतः देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अच्छी मानी जा सकती है, जिसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे–वर्णों के लेखन में सुधार की आवश्यकता अपेक्षित है, क्योंकि 'रवाना' लिखने की परंपरा में अब सुधार होकर 'खाना' इस तरह से लिखा जाने लगा है। इसी प्रकार वर्ण को लिखने के पश्चात हमें उसकी शिरोरेखा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है; जैसे–'धन; तथा 'भर; को लिखते समय यदि हम शिरोरेखा खींचने में थोड़ा जल्दबाजी कर दें, तो इन्हें 'घन' तथा 'मर' पढ़ा जाएगा।

वैज्ञानिक लिपि के गुण तथा वैज्ञानिकता की कसौटी पर देवनागरी लिपि

विश्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि नही है, लेकिन एक पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की कल्पना की जा सकती है अथवा उसके गुणों के आधार पर देवनागरी लिपि वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरती है।

1 एक वैज्ञानिक लिपि को वर्णनात्मक होना चाहिए, आक्षरिक नहीं। अर्थात् वैज्ञानिक लिपि में उसके लिपिचिह्न उस भाषा में प्रयुक्त प्रत्येक स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन ध्वनि के लिए पृथक–पृथक स्वतंत्र होने चाहिए। उल्लेखनीय है कि देवनागरी लिपि में क, ख, ग, घ व्यंजन लिपिचिह्नों में व्यंजन तथा स्वर मिले हुए हैं। अर्थात देवनागरी लिपि वर्णनात्मक नहीं आक्षरिक लिपि है।

(2) एक वैज्ञानिक लिपि में भाषा विशेष में प्रयुक्त ध्वनि के लिए लिपिचिह्न होने चाहिए। देवनागरी लिपि में दंत्योष्ठ्य 'व' ध्वनि के लिए कोई लिपिचिह्न नहीं है।

(3) एक वैज्ञानिक लिपि में एक लिपिचिह्न से एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, एकाधिक ध्वनियों की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में 'व' लिपिचिह्न से दो ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है।

(4) एक वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि एक ही लिपिचिह्न होना चाहिए, एकाधिक लिपिचिह्न नहीं। देवनागरी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए रि–ऋ, श–ष आदि लिपिचिह्न आज भी हैं।

5 एक वैज्ञानिक लिपि में लेखन और उच्चारण में समानता होनी चाहिए। अर्थात जैसा लिखा जाए, उसे वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए। यह गुण देवनागरी लिपि में पूर्णतः विद्यमान है। इसमें जैसा लिखा जाता है, उसे वैसा ही बोला या पढ़ा जाता है।

6 एक वैज्ञानिक लिपि में स्वर वर्णों में तथा व्यंजन वर्णों में तर्कसंगत तथा वैज्ञानिक क्रम होना चाहिए। देवनागरी लिपि के वर्णों का क्रमविन्यास उनके उच्चारण स्थान को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। पहले स्वर वर्ण आते हैं तथा उनके बाद व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है।

विश्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि नहीं है, लेकिन एक पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की कल्पना की जा सकती है अथवा उसके गुणों के आधार पर देवनागरी लिपि वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी उतरती है।

7 एक वैज्ञानिक लिपि में लिपिचिह्न पर्याप्त होने चाहिए। न तो लिपिचिह्न कम होने चाहिए और न अधिक होने चाहिए। देवनागरी लिपि का यह प्रमुख गुण है कि उसके लिपिचिह्न पर्याप्त है। लिपिचिह्न ने तो कम है और न ज्यादा।

8 एक वैज्ञानिक लिपि का गुण है कि उसमें लेखन तथा मुद्रण में समानता या एकरूपता होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण में समानता का गुण विद्यमान है, जबकि रोमन अरबी तथा फारसी आदि लिपियों में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग–अलग हैं।

(9) एक वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिह्नों के नाम ध्वनियों के अनुरूप होने चाहिए। देवनागरी लिपि में वैज्ञानिक लिपि का यह गुण पूर्णतः विद्यमान है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। जैसे–रोमन में वर्ण का नाम 'बी' है जबकि ध्वनि 'ब' है।

(10) देवनागरी लिपि में रोमनलिपि की तरह कैपिटल लैटर, स्मॉल लैटर, प्रिंट रूप तथा कार्सिव रूप इत्यादि अवैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। देवनागरी लिपि इस अवैज्ञानिकता से मुक्त है।

निष्कर्ष

देवनागरी लिपि के उक्त गुणों एवं विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक पूर्ण तथा अधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संबंध में कहा जा सकता है कि यह लिपि विश्व की समस्त लिपियों से अच्छी है, वैज्ञानिक तथा पूर्ण है। यद्यपि इसमें कुछ कमियां भी हैं।

अतः देवनागरी लिपि की पूर्णता तथा वैज्ञानिकता के संदर्भ में कुछ महापुरुषों के विचार प्रस्तुत हैं–

(क) हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। –आचार्य विनोबा भावे

ख) देवनागरी लिपि किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। – सर विलियम जोन्स

ग) मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में देवनागरी की सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। –जॉन क्राइस्ट

घ) उर्दू लिखने के लिए देवनागरी लिपि अपनाने से उर्दू उत्कर्ष को प्राप्त होगी। – खुशवंत सिंह

संदर्भ ग्रंथ

1 तिवारी, भोलानाथ (2012), भाषाविज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद।

2 तिवारी, भोलानाथ (2012), हिंदी भाषा, किताब महल, इलाहाबाद।

3 तिवारी, भोलानाथ (2001), हिंदी भाषा की लिपि संरचना, साहित्य सहकार, दिल्ली।

4 पाठक, हरिश्चंद्र (2004) हिंदी भाषाः इतिहास और संरचना, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।

5 बाहरी, हरदेव (2011), हिंदीः उदभव विकास और रूप, किताब महल, इलाहाबाद।

6 भारद्वाज, शशिः संपादक (2006), देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली।

सीनियर लैक्चरर (असिटेंट प्रोफेसर), केन्द्रीय हिंदी संस्थान, मैसूर केंद्र

"अपनी बात को इस देश में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का सरलतम मार्ग है हिंदी। हिंदी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ही नहीं, अपितु उसकी आत्मा तक को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हिंदी आज की जन सामान्य की आत्मा में बसती है।"

– आचार्य केशव चंद्रसेन

हिंदी अनुवाद में उर्दू शब्दावली का प्रयोग

◆ डॉ. शेख़ अब्दुल ग़नी ◆

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ–साथ राज भाषा भी है। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि ''हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।''

यहां विशेष रूप से हिंदुस्तानी का उल्लेख किया गया है। हिंदुस्तानी उसको कहते हैं जिसमें खड़ी बोली के आधारभूत शब्दावली के साथ बहुप्रचलित तद्भव, बहुप्रचलित सरल अरबी–फारसी–तुर्की शब्दावली का प्रयोग होता है साथ–साथ अष्टम अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं से शब्द ग्रहण की बात कही गयी है। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें उर्दू भाषा भी एक महत्वपूर्ण भारतीय भाषा है, हिंदुस्तानी से इसका गहरा संबंध है।

उर्दू भाषा की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य मत यह है कि ग्यारहवीं शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत से जब मुसलमानों का आगमन हुआ तब उत्तर भारत में तथा दिल्ली के आस–पास 'खड़ीबोली' का प्रयोग होता था। खड़ी बोली के साथ अपने विचारों के आदान–प्रदान के लिए तुर्की, अरबी और फारसी भाषा के मिश्रित प्रयोग से उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'छावनी' है। शाहजहां (1628–1658) के काल तक इस भाषा का संपूर्ण विकास हुआ। मुसलमान शासकों और सूफी संतों के माध्यम से दक्षिण में इसका प्रचार–प्रसार हुआ जिसको 'दक्खिनी' कहा जाता है। 'दक्खिनी उर्दू' में स्थानीय एवं संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग दिखायी देता है।

कालांतर में इसका विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। इस भाषा के प्रचार–प्रसार के मुख्य केन्द्र दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, हैदराबाद थे। किंतु आज यह सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है।

उर्दू में लगभग सत्तर प्रतिशत शब्द अरबी–फारसी के हैं। कुछ पश्तो तुर्की के हैं। बाकी तीस प्रतिशत शब्द खड़ीबोली, संस्कृत और अन्य भाषाओं के हैं।

हिंदी और उर्दू भाषा का विकास साथ–साथ हुआ है। अतः लगभग छह हजार शब्दों को हिंदी ने उर्दू से ग्रहण किए हैं। यह उर्दू की अरबी–फारसी, तुर्की शब्दावली भी हिंदी की शब्दावली बन गई है। इस प्रकार हिंदी के बिना उर्दू, उर्दू के बिना हिंदी अधूरी हैं। हिंदी और उर्दू एक सिक्के के दो रूप हैं। अतः इन दोनों के बीच शब्दावली का आदान–प्रदान होता रहा है। भविष्य में इसकी संभावनाएं और अधिक हैं।

हिंदी में आगत शब्दावली

निम्नांकित पश्तो, तुर्की, अरबी–फारसी की शब्दावली अब उर्दू भाषा की शब्दावली के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। यह शब्दावली उर्दू के माध्यम से हिंदी में आई है।

पश्तो : पठान, रूहेला, सराय, रूहेलखंड, अटेरन, गुण्डा, अचार, तड़ाक, ख़र्राटा, तहस–नहस, टसमस, जमालगोटा, चपड़क़नाती, ख़चड़ी अख़रोट, पटाख़ा, डंगर, डेरा, गटगट, गुटरंगू, कलूटा, गड़बड़, गंडेरी, लुच्चा, नगाड़ा, हम–जोली, अटकल, बाड़, भड़ास।

तुर्की: उर्दू, बहादुर, उज़बक, तुर्क, आक़ा, कलगी, चाकू, क़ैंची, क़ाबू, कुली, खां, ख़ातून, गलीचा, चकमक, चिक़, तमगा, तोप, तोपची, दरोग़ा, बख़्शी, बावर्ची, बेग, बेगम, चकल्लस, चम्मच, मुचलका, लाश, सौगात, बीबी, बाबा, बुलाक, चेचक, सुराग, तोशक, हरावल, बारूद, नाग़ा, कुर्ता, कूच, कमची, कुमक, कुर्क, खच्चर, अयाल, ग़नीमत, साहुल, चोग़ा, तातार, मुग़ल।

अरबी–फारसी शब्दावली

धर्म	:	रोज़ा, अल्लाह, मज़हब, दीन, कुरान, खुदा, हज, फ़रिश्ता, वली, सुन्नी, शिया, नबी, पैग़ंबर।
शासन	:	सरकार, तहसीलदार, सदर–ऐ–आला, चपरासी, वकील, मुख़्तार, माल, दीवानी, मुंशी, खज़ांची, हाकिम, इजलास, मुंसिफ़, सिपाही, अमीन, अदालत।
सेना	:	फ़ौज, जमादार, हौलदार, हमला, गोलंदाज, संगीन, कमान, तीर।
पोशाक	:	पाजामा, कमीज, जुराब, दस्ताना, साफ़ा, शलवार, सदरी।
स्थान	:	मुहल्ला, परगना, कूचा, देहात, शहर, तहसील, जिला, कस्बा, जमीन
पत्र–व्यवहार	:	लिफ़ाफा, पता, हरकारा।
अन्न–फल	:	बादाम, सेब, मेवा, खूबानी, अनार, अंगूर,

नाशपाती, आलूचा, मुनक़्क़ा, किशमिश, शहतूत, शफतालू, पिस्ता, शरीफा, तरकारी, सब्ज़ी, पुदीना, चुकंदर, ख़रबूज़ा, तरबूज, कद्दू, कुल्फ़ा, शहद।

मिठाई : बरफ़ी, हलवा, जलेबी, शकरपारा, नमकपारा, कुल्फ़ी, बालूशाही, समोसा।

शृंगार : इत्र, सुरमा, साबुन, हजामत, आईना, शीशा।

व्यवसायी : दर्जी, सर्राफ़, बाबर्जी, दलाल, हलवाई, अत्तार, जिल्दसाज, दफ्तरी, जुलाहा।

मकान : बुनियाद, दीवार, दालान, मंजिल, मियानी, ज़ीना, बरामदा, मेहराब, तहख़ाना, ताक़, ग़र्रा,।

बीमारी : हकीम, नब्ज, बुखार, बवासीर, बदहज्मी, हैज़ा, लक़वा, जुकाम, नज़ला, नासूर, जुलाब, दवा, मरीज़, मर्ज़, बीमार, बीमारी।

विशेषण : आसान, बेईमान, ईमानदार, बदनाम, बारीक, बेहया, दिलेर, बेकार, कम, ज्यादा, सख्त, नरम, मुस्तैद, खुश, परेशान, सादा, तेज, जिंदा, साफ, गंदा, चालाक।

सर्वनाम : खुद, फलाँ।

क्रिया–विशेषण: अक्सर, आख़िर, बेशक, ज़रुर, तरफ, बिल्कुल, हमेशा, ज़बरदस्ती, जल्द, कतई, ख़ामख़ा।

समुच्चय–बोधक: अगर, व, बल्कि, कि, वर्ना, लेकिन।

क्रिया : ख़रचना, तराशना, वसूलना, शर्माना, क़बूलना, ख़रीदना, फ़रमाना, (आज़ाद करना, खर्च करना जैसे यौगिक क्रियाएं भी फारसी से आई हैं।)

अन्य : आदमी, आसमान, उम्मीद, गर्दन, गुलाब, सिफ़ारिश, चेहरा, शरबत, प्याज, जहाज, बग़ीचा, सज़ा। अखबार, आज़ाद, कागज़, कानून, किताब, कुरसी, जुलूस, तबीयत, तारीख़, नुक़सान, फ़ायदा, मुहावरा, रईस, सुबह, हवा, जिल्द, हिसाब।

उर्दू में अनुवाद की परंपरा

वर्ष 1800 में फ़ोर्टविलियम कॉलेज की स्थापना के साथ उर्दू में अनुवाद कार्य आरंभ हुआ। अंग्रेजों के वर्चस्व तक भारत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी। अंग्रेजी के आगमन के बाद उर्दू और अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता गया। विशेषकर जहां मुसलमान शासक थे वहाँ उर्दू का प्रशासन में उत्तरोत्तर विकास होता गया जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, बंगाल, लखनऊ, दिल्ली प्रातों में।

सर सय्यद अहमद खाँ द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसायटी ने भी उर्दू अनुवाद कार्य को आगे बढ़ाया। उर्दू अनुवाद के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद का है, यहां शिक्षा का माध्यम वर्ष 1918 से 1950 तक उर्दू था। इसकी स्थापना के साथ उर्दू में ज्ञान–विज्ञान की पुस्तकों और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए दारूल तरजुमा की स्थापना की गई। इस संस्था ने अपने 45 वर्षीय कार्यकाल में लगभग 500 पुस्तकों का उूर्द में अनुवाद करवाया, जिनमें गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग और वैद्यशास्त्र की पाठ्य पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ हैं।

दारूल तर्जुमा विश्वविद्यालय से हिंदी शब्दावली के दो संग्रह प्रकाशित हुए। एक हिंदी टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री दूसरी हिंदी टर्म्स ऑफ सोशियालोजी हैं। इस शब्दावली के उदाहरण द्रष्टव्य है।

Legalize	कानूनियाना
Standardized	स्टैंडर्डियाना
Atomize	अणुयाना

हिंदी – उर्दू में भेद

उर्दू वर्णमाला में 37 वर्ण हैं, जिनमें चार स्वर हैं (अलिफ, वाव्, इ, ए), 33 व्यंजन हैं। हिंदी में 46 वर्ण हैं। उर्दू दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। उर्दू की लिपि नस्तलिख़ (अरबी है)। हिंदी की लिपि देवनागरी है। उर्दू शब्दावली 70 प्रतिशत अरबी–फारसी की है। दोनों भाषाओं के व्याकरण में समानता है लेकिन कहीं–कहीं भेद दिखाई देता है। वाक्य संरचना और सम्बोधन के लिए उर्दू में Polliteness ज्यादा दिखाई देता है। जैसेः

आप तशरीफ लाइए।

इस महफ़िल को रौनख़ वख़्शिए।

आप की याद हो रही थी।

फ़रमाइए।

जी हाज़िर हूं।

संख्याओं की गिनतीः संख्याओं के संबंध में Multiple के लिए उर्दू में गुना का प्रयोग करते हैं। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचगुना, छहगुना, सातगुना आदि।

वचनः वचन परिवर्तन के संबंध में दोनों भाषाओं में समानता होते हुए भी कुछ उर्दू शब्दों के वचन परिवर्तन के अपने अलग नियम हैं।

द्वितीय वर्ण में दीर्घ का आगम (आ–इ), तृतीय वर्ण में 'इ' का आगम होता है।

मरकज़ (Cenre)	मराकिज़
मकतब (School)	मकातिब
मदरसा (School)	मदारिस

अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ''आत'' प्रत्यय लगता है।

जवाब (Answer)	जवाबात
मकान (House)	मकानात
बाग़ (Garden)	बाग़ात
इनाम (Gift)	इनामात
सवाल (Question)	सवालात

कुछ शब्दों में प्रथम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन होता है और अंतिम वर्ण दीर्घ बन जाता है। हिंदी में वचन परिवर्तन के समय केवल शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है। किंतु उर्दू के विशेषकर अरबी से आगत शब्दों में प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होता है– जैसेः

ग़रीब (Poor)	गुरबा
शरीफ़ (Innocent)	शुरफ़ा
अमीर (Rich)	उमरा

कुछ शब्दों के आरंभ में 'अ' का आगम होकर बहु वचन के शब्द में परिवर्तन होता है।

दवा (Medicine)	अदविया
शजर (Tree)	अशजार
मर्ज (Disease)	अमराज़

कुछ शब्दों में 'उ' का आगम होता है।

किताब (Book)	कुतुब
हख़ (Right)	हुख़ूख

नुक़ता का प्रयोगः

उर्दू शब्दावली में नुक़ता का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उर्दू वर्ण हिंदी में लिखने के लिए वर्ण के नीचे नुक़ता लगाना पड़ता है। जैसेः क़, ख़, ग़, ज़, फ़

नुक़ता का प्रयोग ने करने से अर्थ परिवर्तन हो सकता है। जैसेः

कमर (Waist)	क़मर (Moon)
जंग (War)	ज़ंग (Rust)
फलक (Shield)	फ़लक (Sky)
खाना (Food)	ख़ाना (House)
फन (Hood of a snake)	फ़न (Art)
राज (Rule)	राज़ (Secret)
जरा (Old Age)	ज़रा (Little)

उपसर्गः शब्द संरचना में उपसर्ग और प्रत्ययों का अपना महत्व होता है। उर्दू शब्दों के साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित उपसर्ग आते हैं–

अल – विशेष – अल–विदा, अल–मस्त, अल–ग़रज़।

ग़ैर – विपरीत– ग़ैरकानूनी, ग़ैरजिम्मेदार, ग़ैरहाजिर, ग़ैरजरूरी, ग़ैरमुमकिन।

ना – अभाव–नासमझ, नापसंद, नालायक, नाराज़।

ब– सहित–बनाम, बदस्तूर, बकौल।

बद– बुरा – बदकिस्मत, बदबू, बद्दिमाग, बदनसीब, बदमिज़ाज।

ला– बिना–लाजवाब, लापता, लापरवाह, लावारिस

सर – ऊपर – सरकार, सरदार, सरताज, सरहद, सरपंच

हम – समान, सहित –हमराज़, हमदर्द, हमकिनार, हमसफ़र

बे–पर, नहीं – बेरहम, बेईमान, बेचारा, बेकार, बेदर्द

बर – पर, ऊपर – बरतर, बरतरफ़, (Dismiss)

दर – द्वार, दरबान, दरबार, दरवाज़ा (Gate)

खुश– प्रसन्न, मग्न– खुशख़बर, खुशनसीब, खुशबयान

कम – निचला, थोड़ा–कमजोर, कमनसीब, कमखर्च

प्रत्यय से बनने वाले शब्द

मंद	–	having	दौलतमंद, सेहतमंद, अकलमंद, जरूरतमंद, हुनरमंद, दर्दमंद
दार	–	Holder	ईमानदार, खुद्दार, दीनदार, शानदार, दिलदार, मकानदार, मालदार, दुकानदार
दान	–	Place, stande	फूलदान, पानदान, क़लमदान

ख़ाना – House दवाख़ाना, मुर्गीख़ाना, तोपख़ाना, फीलख़ाना।

स्तान – Place गुल (फूल) इ प्रत्यय–स्तान – गुलिस्तान

स्थान – Place – क़बर (समाधि) इ–स्तान–क़बरिस्तान

उर्दू भाषा में पारिभाषिक शब्द बनाने की योजना

उर्दू भाषा में पारिभाषिक शब्द बनाने की अद्‌भुत क्षमता है क्योंकि प्राचीन काल से अरबी में गणित, खगोल, ज्योतिष और वैद्य–शास्त्र के अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इन अरबी ग्रंथों के आधार पर ज्ञान–विज्ञान के विषयों का प्रचार यूरोप में हुआ। उस अरबी शब्दावली से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ। जैसेः

Al-Khwarizmi को ही Algorithm कहा जाता है।

अस्तरलाब को – Astrolab कहा जाता है।

उर्दू में प्रचलित शब्दों के आधार पर अनेक पारिभाषिक शब्द बनाये जा सकते हैं। इसमें शब्द निर्माण की अद्‌भुत क्षमता है। जैसेः कतब (लिखना), किताब (पुस्तक), कातिब (लिखने वाला), कुतुब (पुस्तकें), कुतुबख़ाना (पुस्तकालय), फ़लक (Sky), फलकियात, (Asronomy), फ़लकी (Astrologer), नजम (Planet), नुजूम (Astrology), नुजूमी (Astrologer), तिब्ब (Medicine), तबीयत (Health), तबीब (Doctor)।

कुछ अंग्रेजी शब्दों के मूल में भी फ़ारसी शब्द हैं। जैसेः–

Balcony	–	बाला ख़ाना
Cash	–	कार्ष
Abkari	–	आब (पानी को कहते हैं)

परमाणु शब्दावली के कुछ उर्दू पारिभाषिक शब्द द्रष्टव्य हैं। जैसेः–

Atom	–	जौहर, साल्मा
Atomic	–	जौहरी, साल्मी
Atomic Energy	–	जौहरी, तवानाई
Atom Bomb	–	जौहरी बम
Mineral	–	मादनी, धात
Explosion	–	धमाका
Nuclear	–	एटमी, जौहरी
Radiation	–	ताबानी, ताबकारी

उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संपूर्ण विधि–शब्दावली तथा राजस्व शब्दावली अभी भी उर्दू की है। जैसे, कानून, अदालत, तहसील, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, आदि। आंध्र प्रदेश में भी लगभग यही शब्दावली प्रयुक्त होती है।

अतः एक हिंदी अनुवादक के लिए आवश्यक है कि वह उर्दू भाषा और उसकी शब्द संरचना से परिचित होकर उर्दू पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने का प्रयत्न करें क्योंकि सभी हिंदी भाषी, हिंदीतर भाषी उर्दू की शब्दावली से काफी परिचित हैं। भारतीय सिनेमा जगत और जनसंचार माध्यम ने तो उर्दू का प्रचार सभी प्रांतों में किया है। 1960 के राष्ट्रपति आदेश में कहा गया कि शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए।

1–3–257/1, पहाड़ी नगर, भुवनगीर
जिला–नलगोण्डा, आंध्र प्रदेश–508116

राष्ट्र के आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका

❖ चंद्र प्रकाश ❖

वित्तीय समावेशन आखिर है क्या? वित्तीय समावेशन को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवायें समाज के वंचित समूह जैसे कि कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को एक सस्ते दर पर साफ–सुथरे और पारदर्शी तरीके से मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं के ज़रिये आसानी से उपलब्ध कराया जा सकें तथा उनको मुख्य धारा में लाया जा सके।

कुछ चौंकाने वाले तथ्य नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं....

- आबादी के बहुत बड़े हिस्से के पास कोई बैंक खाता न होने के मामले में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- आबादी के लगभग 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई बैंक खाता नहीं है।
- 90 प्रतिशत लोग कभी कोई बैंक लोन नहीं ले पाते हैं।
- मात्र 43 प्रतिशत लोगों के ही पास कोई–न–कोई बैंक खाता है और मात्र 10 प्रतिशत लोगों के पास बीमा सुरक्षा कवर है।
- मात्र 0.6 प्रतिशत लोगों के ही पास गैर–जीवन बीमा कवर है। लगभग 73 प्रतिशत कृषक परिवार ऐसे हैं जिनके पास ऋण पाने को कोई औपचारिक माध्यम नहीं है।
- 51.4 प्रतिशत कृषक परिवार औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही माध्यमों से ऋण संबंधी सुविधाओं से वंचित हैं।

ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कुछ प्रयास नहीं किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों ने विभिन्न योजनायें बनायीं और उनका क्रियान्वयन भी कराया परंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो सके। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं लेकिन इनकी हालत जस–की–तस रही और इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी। ऐसे में तमाम विचार–विमर्शों के उपरांत सुदूर ग्राम वासियों तथा अन्य उपेक्षित समुदायों के लोगों को बैंकिंग दायरे में लाने की आवश्यकता तीव्र रूप से महसूस की गयी। आर बी आई तथा भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व इसीलिये दिया जा रहा है क्योंकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपने–अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किये जाने के बावजूद अभी भी हमारी कुल आबादी के लगभग 57 प्रतिशत लोगों का किसी भी बैंक में कोई बैंक खाता नहीं है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या – एफ न. 21/13/2009/एफ आई (पीटी), दिनांक 21.10.2011 के माध्यम से विस्तार रूप से एक कार्य योजना तथा दिशानिर्देश जारी किये, जिससे कि वित्तीय समावेशन की योजना को प्रभावी, समग्र एवं सक्षम रूप से लागू किया जा सके। इसके कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं–

बैंकिंग उत्तरदायित्व

1) ग्रामीण किसानों और अन्य वंचित लोगों के लिये चलाई जा रही विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और उनका लाभ इन लोगों तक पहुंचाने में ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण धुरी होते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांस्फर योजना के भी क्रियान्वयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतएव बैंकों के कार्य क्षेत्र को ग्राम पंचायतों के तारतम्य में नये स्वरूप में परिभाषित किया जाना आवश्यक है।

2) प्रत्येक ज़िला सलाहकर समिति (डीसीसी) एक ग्राम पंचायत आधारित वित्तीय समावेशन ग्राम निर्धारण योजना तैयार होगी। जहां आवश्यक हो वहां ऐसे पूर्ववर्ती निर्धारणों में परिवर्तन/संशोधन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की अगली बैठकों में किया जा सकता है। सभी बैंक अपनी–अपनी ग्राम पंचायतों के अधीन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन सम्बंधी क्रिया कलापों के लिये उत्तरदायी होंगे। परंतु निवासी किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिये किसी भी बैंक में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। उन पर सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण लागू नहीं होता है।

3) ऐसे सभी क्षेत्रों को वर्तमान एवं नयी खुलने वाली शाखाओं द्वारा कवर किया जाना है तथा शेष अन्य क्षेत्रों को ग्राम पंचायतों के अनुसार, जैसा कि ऊपर बताया गया है बिज़नेस करेस्पोन्डेंस मोडेल के अंतर्गत कवर किया जाना है।

समावेशी योजना

1) वित्तीय समावेशन की वर्तमान योजना के अंतर्गत ऐसे सभी गांव, जिनकी आबादी 2000 या उससे अधिक है, चिह्नित किये गये हैं तथा उनका बंटवारा एसएलबीसी द्वारा किया जाना है।

2) कुछ ऐसे उप क्षेत्र भी हैं जिनमें स्थित गांवों की आबादी 1000–2000 के मध्य हैं। ऐसे गांवों की संख्या लगभग 1.20

लाख है। ये गांव भी वित्तीय समावेशन हेतु एसएलबीसी द्वारा समस्त बैंकों के मध्य वितरित किये गये हैं। इन सभी गांवों को बिजनेस करस्पोन्डेंट द्वारा ग्राम पंचायतों से तारतम्य बैठा कर कवर किया जाता है।

3) इन सभी प्रयासों का महती उद्देश्य यही है कि ऐसे सभी बैंकिंग से अछूते गांवों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जाये तथा निम्नांकित तरीकों से बैंकिंग गतिविधियों में ग्रामवासियों की रुचि बढ़ायी जाये। सभी गृहस्वामियों का एक बचत खाता खोला जाये। प्रत्येक कृषक परिवार को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाये। प्रत्येक गृहस्वामी को जनरल क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाये। सभी को माइक्रो पेंशन की योजनाओं के अंतर्गत वृहद स्तर पर लाया जाये। किसानों को ग्रामीण भंडारण हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने की जरूरतों पर भी नज़र रखी जाये।

शाखायें

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कम बैंकिंग सुविधाओं वाले जिलों की सूची के अनुसार ऐसे जिलों के उन क्षेत्रों में जहां आबादी 5000 और उससे अधिक है, बैंकों द्वारा एक सामान्य ब्रिक और मोर्टार शाखा खोली जानी है। यह कार्य उन सभी बैंकों द्वारा किया जायेगा, जिनके कार्य क्षेत्र में ऐसे गांव आते हैं तथा ये गांव एस एल बी सी द्वारा उनको आबंटित किये गये हों। इस प्रकार खोली गई प्रत्येक शाखा को एक कार्य क्षेत्र डी सी सी/एस एल बी सी द्वारा दिया जायेगा जो कि एक या अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करेगा।

ख) अन्य जिलों में, जिन–जिन स्थानों की आबादी 10000 और उससे ऊपर है, वहां पर बैंकों को अपने–अपने कार्य क्षेत्रानुसार अधिक–से–अधिक शाखायें (ब्रिक और मोर्टार शाखायें) अवश्य खोलनी है।

ग) बैंकों द्वारा शाखा विस्तार की अपनी योजना बनाते समय यह अवश्य ध्यान रखना है कि बैंकिंग रहित क्षेत्रों में उनकी शाखाओं की उपलब्धता प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर सुनिश्चित हो।

बिजनेस करस्पोन्डेंट (बीसी)

1) ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई बैंक शाखा नहीं हैं, वहां लोगों को विभिन्न बैंकिंग सेवायें प्रदान करने में ग्राहक सेवा प्रदाता (कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर) मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिशिचित किया जाना आवश्यक है कि बी सी मॉडल व्यावसायिक रूप से ठीक है तथा यह भी कि ग्राहक सेवा प्रदाता एक उचित समय में जैसे 2 वर्षों में वित्तीय रूप से सक्षम हो जाये। इसके लिये आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक ग्राहक सेवा प्रदाता भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक उचित संख्या में ही ग्राहकों के खातों का रख–रखाव करें।

2) विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह महसूस किया गया है कि बिजनेस करस्पोंडेंट/एजेंट सीएसपी सामान्यतः 1000–1500 घरों के साथ कारोबार करते हैं या यह भी कह सकते हैं कि एक बिजनेस करस्पोंडेंट द्वारा 5000 से 8000 के लगभग की आबादी कवर की जानी चाहिये। पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय तथा मरूस्थलीय इलाकों, जहां दूरियां अधिक हैं, में भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए बैंकों के पास ज्यादा खाते मिल पाना संभव नहीं है।

3) ग्राहक सेवा प्रदाता की आवश्यकता को इस प्रकार कार्य रूप दिया जाना चाहिये जिससे कि उसकी उपलब्धता प्रत्येक 2 किलोमीटर के दायरे में सुनिश्चित की जा सके।

लगभग 1 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (कामन सर्विस सेंटर) की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा की गयी है। साथ ही साथ ग्राहक सेवा प्रदाता नेटवर्क का भी विस्तार होगा।

वित्तीय समावेशन की इस महत्वकांक्षी योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर योजना को शामिल किया गया है, जिसके लाभ इस प्रकार हैं–

क) भारत सरकार द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि को लाभार्थियों के खातों में सीधे अंतरित कर दिया जायेगा। इससे अनुदान राशि अतिशीघ्र लाभार्थियों के पास पहुंच जायेगी।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भली प्रकार लागू कराने के लिये जरूरी दिशा–निर्देश दिनांक 12.08.2011 को जारी कर दिया गया है, इसके अंतर्गत एक जिला बहुत सारे बैंक–एक अग्रणी बैंक का मॉडल अपनाया जाना होगा।

ग) भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सभी विभाग इस संबंध में केवल एक बैंक अग्रणी बैंक से ही संपर्क रखेंगे। अग्रणी बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह धनराशि को उचित माध्यम से प्राप्त करे तथा उस धनराशि को अंतर बैंक अंतरण के माध्यम से अन्य बैंकों में वितरित करे जिससे कि यह राशि संबंधित लाभार्थियों के खातों में जमा की जा सके।

घ) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वतंत्र रूप से ऐसे बैंकों का चुनाव करने का अधिकार होगा जिनके माध्यम से वह लाभ की राशि अपने खातों में मंगाना चाहते हैं और ये बैंक अपने–अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में इलेक्ट्रानिक बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिये लाभ राशि को उपयुक्त लाभार्थियों के खातों में अंतरित करने के लिए जवाबदेह होंगे।

केनरा बैंक की भूमिका

केनरा बैंक को ऐसे 1573 गांव आबंटित किये गये हैं जिनकी आबादी 2000 से अधिक है तथा जिन्हें वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है। यह लक्ष्य लगभग प्राप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 8425 ऐसे गांव भी केनरा बैंक को आबंटित हुए हैं जिनकी आबादी 2000 से कम है ऐसे सभी गांवों में वित्तीय समावेशन योजना में शामिल करने की प्रक्रिया में हैं। अगले तीन वर्षों के दौरान 607 शाखायें खोलने, लगभग 3500 बी सी एक वित्तीय समावेशन ग्रामों में नियुक्त करने तथा लगभग 21 लाख बेसिक सेविंग्स बैंक डिपाजिट खातों को खोलने की योजना बनाई है। इस महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण कार्य करने हेतु केनरा बैंक ने बी एस बी डी खाताधारकों को प्रोत्साहन देने हेतु कई कदम उठाये हैं:–

- बी एस बी डी खातों (नो फ्रिल खाते) में अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा (रुपए 500.00 डी आर आई ब्याज दर पर और उससे अधिक रुपए 10000.00 तक आधार दर ब्याज दर पर ओवर ड्राफ्ट की समय सीमा एक वर्ष)
- केनरा बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8 लाख परिवारों को नो फ्रिल खाते खोलने और स्मार्ट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है।
- यह एक प्रशंसनीय कदम ही कहा जायेगा कि वित्तीय समावेशन योजना के आरंभ से अब तक हमारे बैंक ने 39 लाख नो फ्रिल खाते खोल लिये हैं।
- प्रोत्साहन स्वरूप केनरा बैंक ने 31 जुलाई 2014 बी एस बी डी खातों में दिये जाने वाले स्मार्ट कार्ड की लागत शुल्क तथा सेवा प्रभार माफ कर दिया है और एक वर्ष के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जायेगी।
- केनरा बैंक ने शहरी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों और ठेलेवालों/फेरी वालों में बचत की आदत विकसित करने तथा बैंकिग सुविधा मुहैया कराने के लिए उनके बैंक खाते खोलने हेतु भी वित्तीय समावेशन अभियान चलाया है।
- ऐसे छात्रों के नो फ्रिल खाते खोले जा रहे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तथा जो छात्रवृत्ति संबंधी चैकों को भुगतान आदि चाहते हैं।
- हमारे बैंक दूरस्थ बैकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में अपनी अधिक से अधिक शाखाएं खोल रही है, जिससे कि उसे अधिक–से–अधिक लोगों को बैंकिंग दायरे में लाया जा सके तथा उनकी उन्नति के लिये विभिन्न सरकारी अथवा हमारे बैंक की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके।

लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिसनेस करस्पेंडेंट (बी सी ए) को भी विभिन्न प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। ये प्रोत्साहन/सुविधायें मेसर्स इंटेग्रा सिस्टम्स (प्रा) लिमिटेड तथा मेसर्स फिनो पेटेक लिमिटेड के अधीन आने वाले बी सी एजेंटो को 5 वर्षों अर्थात 31.03.2018 तक प्रदान की जायेगी बशर्ते ऐसे बी सी एजेंट न्यूनतम 25 लेनदेन प्रति माह करते हों।

उपसंहार

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाज के एक बड़े वंचित तथा बैंकिंग सुविधाओं से अछूते और अनभिग्य वर्ग को वित्तीय समावेशन योजना के दायरे में लाने तथा उनको समस्त सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ बिना किसी बिचौलिये के माध्यम से दिये जाने से यह सभी लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाकर ये लोग अपना जीवन स्तर तो सुधारेंगे ही साथ–ही–साथ समाज और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। राष्ट्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हमारे ग्राम वासियों, हमारे कृषक, हमारे मजदूर भाइयों, हमारे भूमिहीन कृषकों और मजदूरों का विकास होगा। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब गांवों और शहरों में बसने वाली हमारी गरीब जनता खुशहाल होगी। विश्व मानचित्र पर हमारे भारत देश की छवि तब कुछ और ही होगी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।

(साभार – केनरा ज्योति)
प्रबंधक, लेखा अनुभाग, आगरा

हिंदी दिवस समारोह 14 सितंबर, 2014

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार विजेता (वर्ष 2012-13)

कर्मचारियों की संख्या 300 से कम वाले मंत्रालय/विभाग

प्रथम पुरस्कार, श्री अफजल अमानुल्लाह, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

द्वितीय पुरस्कार, श्री बिमल जुल्का, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

तृतीय पुरस्कार, डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक वाले मंत्रालय/विभाग

प्रथम पुरस्कार, सुश्री अजंता दयालन, उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

द्वितीय पुरस्कार, श्री अरुनेंद्र कुमार, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं पदेन प्रमुख सचिव, रेल मंत्रालय

तृतीय पुरस्कार, श्री प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

'क' क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

प्रथम पुरस्कार, श्री आर.एस.टी.शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश

द्वितीय पुरस्कार, श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक)

तृतीय पुरस्कार, श्री रजनी रंजन रश्मि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पीईसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

'ख' क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

प्रथम पुरस्कार, श्री बी.के. मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई

द्वितीय पुरस्कार, श्री भानु प्रकाश तायल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई

तृतीय पुरस्कार, श्री जी श्रीनिवासन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई

'ग' क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

प्रथम पुरस्कार, अनिल कुमार वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल (सेवानिवृत्त)
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, वीएसएम कोलकाता

द्वितीय पुरस्कार, श्री अमरेन्द्र कुमार दुबे, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता

तृतीय पुरस्कार, श्री पी मधुसूदन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम

'क' क्षेत्र के भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि

प्रथम पुरस्कार, प्रो. एस.जी. देशमुख, निदेशक एवं अध्यक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर

द्वितीय पुरस्कार, श्री अविनाश दीक्षित, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली

तृतीय पुरस्कार, प्रो. जयंत दास, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य व
एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली

'ख' क्षेत्र के भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि

प्रथम पुरस्कार, श्री एन.एन. कुमार, अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई

द्वितीय पुरस्कार, श्री संग्राम चौधरी, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद

तृतीय पुरस्कार, श्री ए.बी. अग्रवाल, अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, चण्डीगढ़

'ग' क्षेत्र के भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसाइटी आदि

प्रथम पुरस्कार, श्री एन. मुरूगेशन, महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू

द्वितीय पुरस्कार, श्री ए. जय तिलक, अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम

तृतीय पुरस्कार, डॉ. ए. गोपाल कृष्णन, निदेशक, केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि

क क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थान

प्रथम पुरस्कार, श्री के.आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक

द्वितीय पुरस्कार, श्री एन.के. मैनी, प्रभारी उप प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,

ख क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थान

प्रथम पुरस्कार, श्री पि. श्रीनिवास, कार्यपालक निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा

द्वितीय पुरस्कार, श्री अरूण तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

ग क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थान

प्रथम पुरस्कार, श्री राजीव किशोर दुबे,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक

द्वितीय पुरस्कार, श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक

'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित प्रथम स्थान पर आने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ (बैंक)
नराकास अध्यक्ष, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक श्री कर्नम शेखर ('क' क्षेत्र)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर (बैंक)
नराकास कार्यपालक निदेशक, विमल प्रसाद शर्मा ('ख' क्षेत्र)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन
समिति, चेन्नै (बैंक)
नराकास अध्यक्ष तथा अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन बैंक,
श्री तेजेन्द्र मोहन भसीन
('ग' क्षेत्र)

वर्ष 2013–14 में प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए पुरस्कार क, ख एवं ग क्षेत्र

प्रथम पुरस्कार, 'विद्युत स्वर' एनटीपीसी, नई दिल्ली,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरूप राय चौधरी ('क' क्षेत्र)

द्वितीय पुरस्कार, 'इक्षु', भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ,
संपादक, डॉ. प्रवीण कुमार सिंह ('क' क्षेत्र)

'ख' क्षेत्र

प्रथम पुरस्कार, 'प्रेरणा', दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री विनोद कुमार जैन ('ख' क्षेत्र)

द्वितीय पुरस्कार, 'सेन्ट्रलाइट', सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव ऋषि ('ख' क्षेत्र)

'ग' क्षेत्र

प्रथम पुरस्कार, 'स्पन्दन', सी.एस.आई.आर., चेन्नै, हिन्दी अधिकारी
श्री टी.वी. राजेन्द्रन

द्वितीय पुरस्कार, 'सुगंध', राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम,
निदेशक (कार्मिक) डॉ. जी.बी.एस. प्रसाद ('ग' क्षेत्र)

इंदिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना वर्ष 2012

प्रथम पुरस्कार, 'मौन मगध में', लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद

द्वितीय पुरस्कार, 'ग्राम नियोजन', लेखक डॉ. महीपाल

तृतीय पुरस्कार, 'ओडिशी नृत्य और भारतीय संस्कृति'
लेखिका श्रीमती सुप्रभा रविनारायण मिश्र

प्रोत्साहन पुरस्कार 'आर्किड्स परिदृश्य एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी' लेखक
डॉ.एन.के.मीणा

प्रोत्साहन पुरस्कार 'आर्किड्स परिदृश्य एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी' सह लेखक डॉ.आर.पी. मेधी

राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

प्रथम पुरस्कारः 'भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र' लेखिका डॉ. (श्रीमती) शुभ्रता मिश्रा

द्वितीय पुरस्कार, 'नीली दिल्ली प्यासी दिल्ली', लेखक श्री आदित्य अवस्थी

तृतीय पुरस्कार, 'भारत में माइक्रो फाइनैस', लेखक श्री प्रवीण भारद्वाज

प्रोत्साहन पुरस्कारः 'गन्ना आधारित फसल पद्धतियां बदलता परिदृश्य एवं तकनीकी विकास' लेखक डॉ. अनिल कुमार सिंह

प्रोत्साहन पुरस्कारः 'गन्ना आधारित फसल पद्धतियां बदलता परिदृश्य एवं तकनीकी विकास सह–लेखक डॉ. सुशील सोलोमन

प्रोत्साहन पुरस्कारः आम के रोग तथा विकार –एक संक्षिप्त विवरण डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय

प्रोत्साहन पुरस्कारः आम के रोग तथा विकार –एक संक्षिप्त विवरण सह–लेखक डॉ. ए.के. मिश्र

पत्रिकाओं में उत्कृष्ट लेखों के हिंदी भाषी लेखकों को पुरस्कार 2013–14

प्रथम पुरस्कार, 'हिंदी का साहित्यिक, एतिहासिक, तकनीकी एवं वैधानिक स्वरूप अतीत और वतर्मान परिदृश्य', लेखक श्री श्याम किशोर वर्मा

प्रथम पुरस्कारः 'हिंदी का साहित्यिक, एतिहासिक, तकनीकी एवं वैधानिक स्वरूपः अतीत और वर्तमान परिदृश्य, सह–लेखक श्री बी.यू. दुपारे

तृतीय पुरस्कार, 'बदलते बैंकिंग परिवेश में युवाओं की अपेक्षाएं',
लेखक श्री हृषीकेश मिश्र

पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के हिंदीतर भाषी लेखक 2013–14

प्रथम पुरस्कार, 'प्रकृति का वरदानः गेहूं का ज्वारा',
लेखक डॉ. राकेश शर्मा

द्वितीय पुरस्कार, 'कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व',
लेखक श्री मिहिर पटनायक

तृतीय पुरस्कार, 'देश में बसा प्रवासी मन', लेखक डॉ. संदीप रणभिरकर

हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों का व्यतिरेकी विश्लेषण

❖ डॉ. रश्मि मिश्रा ❖

व्यतिरेकी विश्लेषण का प्रारंभ 1945 में Fries' की पुस्तक Teaching and Learning of English as a foreign language से माना जाता है। व्यतिरेकी व्याकरण से सिद्धांतों की झलक हमें वाइनरिक (1953) और संगेन (1953) के द्वारा किए गए अमेरिकी द्वि–भाषी अप्रवासियों की मिश्रित भाषा में दिखाई पड़ता है। व्यतिरेकी विश्लेषण पद्धति का औपचारिकी प्रतिपादन Robert Lado [2] ने 1957 में अपनी पुस्तक "Linguistics Across Cultures" में किया था और इसी का विस्तार उन्होंने अपनी पुस्तक "Language Teching: The construction and use uf Foreign Langugage Tests" में किया था।

'व्यतिरेक' का अर्थ सामान्यता अंतर या विरोधात्मक स्थिति से लगाया जाता है। दो या दो से अधिक भाषाओं की संरचनाओं का विभिन्न स्तरों (ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि) पर तुलना पर उनके समान एवं असमान तत्वों का विश्लेषण करना व्यतिरेक विश्लेषण कहलाता है। व्यतिरेकी विश्लेषण का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि ''विश्व की सभी भाषाएं संरचना के स्तर पर एक–दूसरे से भिन्न हैं।''

व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में दो भाषाओं की तुलना करके दोनों की असमानताओं का पता लगाते हैं। व्यतिरेक का अर्थ है– असमानता या विरोध। उन दो भाषाओं में एक दूसरी में अनुवाद करने में ये व्यतिरेक की अनुवादक के सामने समस्या खड़ी करते हैं। जब अनुवादक एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने चलता है तो जो संरचना की बातें दोनों भाषाओं में समान होती हैं उनके अनुवाद में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु जो बातें समान नहीं होती अर्थात जिनकी दृष्टि से दोनों भाषाओं में व्यतिरेक होता है वहां अनुवादक को अनुवाद करने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजना पड़ता है। इस तरह व्यतिरेकी विश्लेषण से अनुवादक के रास्ते में आने वाली सारी संभावित कठिनाइयों का पहले से पता चल जाता है तथा अनुवादक सर्तक हो जाता है। इस प्रकार व्यतिरेकी भाषा–विज्ञान में किया जाने वाला दो भाषाओं का व्यतिरेकी विश्लेषण अनुवाद के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है।

दो भाषाओं में व्यतिरेक–ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और यदि लेखन को भी शामिल कर लें तो लिपि–अर्थात पांच–छः स्तरों पर मिलता है।

ध्वनियों का व्यतिरेक प्रायः व्यक्तिवाचक नामों में अनुवादक के सामने समस्या उत्पन्न करता है, मुख्यतः तब जब अनुवादक दुभाषिए का काम कर रहा हो। एक व्यक्ति अरबी से हिंदी में अनुवाद कर रहा है। अरबी में 'अरबी', अरब आदि शब्दों के प्रारंभ में हिंदी की 'अ' की तरह 'अ' नहीं है, 'ऐन' है। ऐसे व्यतिरेक में प्रायः निकटतम ध्वनि में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात अनुवाद में यदि अरबी स्रोत भाषा है तथा हिंदी लक्ष्य भाषा है तो ऐन की जगह 'अ' या 'अ' की जगह 'अ' कर देंगे। अंग्रेजी से ऐसे ही संघर्षी 'थ', 'द' को स्पर्श 'थ', 'द' में परिवर्तित कर देते हैं। विश्व में अनुवाद सबसे अधिक अंग्रेजी तथा रूसी में हुआ है किंतु इन भाषाओं ने हमेशा निकटतम में परिवर्तन वाले सिद्धांत को ही माना है, एक भी नई ध्वनि नहीं स्वीकारी है।

शब्दों के स्तर पर भी भाषाओं में कई प्रकार के व्यतिरेक मिलते हैं। सबसे स्पष्ट व्यतिरेक तो वहां मिलता है जहां एक भाषा में शब्द हैं, किंतु उसका ठीक पर्याय दूसरी भाषा में है ही नहीं। प्रेमचंद की कहानी 'शतरंज के खिलाड़ी' के अंग्रेजी में तीन अनुवाद हुए। उसमें 'हुक्का' शब्द आता है, हिंदी 'हुक्का' का अंग्रेजी में ठीक पर्याय नहीं है, अतः इस व्यतिरेक का समाधान तीनों अनुवादकों ने ती अलग–अलग ढंग से किया है। एक ने हुक्का को अंग्रेजी में Incleginous Pipe कहा है तो दूसरे ने Earthen pipe और तीसरे न 'हुक्का' शब्द को ही इटेलिक्स में दे दिया है तथा पाद टिप्पणी में उसे समझा दिया है। होना यह चाहिए कि 'हुक्का' का प्रयोग करके पुस्तकांत में उसे सचित्र समझा दिया जाए जैसा कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी कई पुस्तकों ('पद्मावत' तथा 'हर्षचरित' आदि) में किया है।

वाक्य–स्तर पर– व्यतिरेक यों तो पदक्रम अन्वय, लिंग तथा वचन आदि का भी मिलता है, किंतु इनका समाधान–अनुवादक के लिए बहुत कठिनाई पैदा नहीं करता।

कुछ भाषाओं में काल व्यतिरेक भी मिलता है। जैसे हिंदी में

जाता है (सामान्य)

जा रहा है (सातत्य)

किंतु संस्कृत तथा उज्बेक आदि बहुत–सी भाषाओं में दोनों के लिए एक ही काल है, उसी का संदर्भ के अनुसार 'सामान्य' या 'सातत्य' अर्थ लेना पड़ता है। ऐसे ही फ्रांसीसी में–

ज़ ज़ा प्राँ

'मैं पढ़ता हूँ' भी है और 'मैं पढ़ रहा हूँ' भी। ऐसे व्यतिरेकों में अनुवादक को भाषा की संरचना से अधिक वाक्य का संदर्भगत

अर्थ देखना पड़ता है।

तुलनात्मक–व्यतिरेकी विश्लेषण से हमें निम्न जानकारी मिलती है।

(क) मूल पाठ के गठन (भाषा–प्रयोग पाठ की बुनावट) पक्ष में क्षति हुई है या संदेश पक्ष में, और वह कौन–सा अंश है जो क्षतिग्रस्त हुआ।

ख) अनूदित पाठ में मूल क्षति की पूर्ति हुई या नहीं। यदि पूर्ति हुई तो किस युक्ति से और यदि नहीं हुई तो उससे पाठक को कोई हानि हुई या नहीं।

इन प्रक्रियाओं से मूलभूत जानकारी भी मिलती है और अनूद्यता का आकलन भी होता जाता है। अनुवाद समीक्षा के दो आयाम हैं– वर्णनात्मक और तुलनात्मक। वर्णनात्मक आयाम में मूल पाठ के एक अनुवाद की समीक्षा की जाती है– यह द्विपक्षीय प्रक्रिया है। [5]तुलनात्मक आयाम में मूल पाठ के न्यूनतम दो अनुवादों की समीक्षा होती है, यह त्रिपक्षीय प्रक्रिया है– एक ओर मूलपाठ से तुलना और दूसरी ओर से दूसरे अनुवाद से तुलना, जैसे–

वर्णानात्मक आयाम

मूल पाठ ..... अनूदित पाठ

तुलनात्मक आयाम

मूल पाठ ..... अनूदित पाठ

अनूदित पाठ

तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मूल भाषा की सारी ध्वनियों, शब्दों रूपों तथा भाषा–विषयक अन्य नियमों का पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निमाण की सफलता तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्राप्त सामग्री की प्रचुरता और निश्चितता पर निर्भर करती है। जहां सामग्री कम या अनिश्चित होती है, पुनः निर्मित ध्वनियों या रूपों आदि के विषय में प्रायः विद्वानों में मतैक्य नहीं होता।

हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का व्यतिरेकी विश्लेषण

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का निकट संपर्क रहा है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के जितने प्रसंग आते हैं उतने अन्य विदेशी भाषाओं से अनुवाद के नहीं आते। अंग्रेजी, यूरोप की एक भाषा है जिसकी शब्दावली में अनेक शब्द लैटिन और ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न है। अंग्रेजी ने अपना व्याकरण गठित कर लिया है। भारत में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेजी भाषा के व्याकरण की प्रणाली को भारतीय भाषाओं ने भी कुछ–कुछ स्वीकार किया है। व्यतिरेकी विश्लेषण में निम्न बिंदुओं को देखा जाता है

1. संज्ञाएं– संज्ञा के लक्षण और भेदों का अनुवाद पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग, वचन, कारक के प्रसंग में इस विश्लेषण को देखा जा सकता है।

व्यक्तिवाचक संज्ञा

व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रति सम्मान सूचित करने के लिए उसका प्रयोग बहुवचन में करने की प्रवृत्ति अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं होती। यह प्रवृत्ति हिंदी की प्रकृति का अंग है, जैसे–

Dasaratha was a great king.

दशरथ एक बड़े राजा थे।

समूहवाचक संज्ञा

सामान्यतः यह एक वचन में प्रयुक्त होती है लेकिन जहां समूहवाचक संज्ञा के दल के सदस्यों से मतलब होता है वहां अंग्रेजी में बहुवचन का प्रयोग होता है और वहाँ अनुवाद हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार करना होता है, जैसे–

The Committee were divided in their opinion.

समिति के सदस्य भिन्न–भिन्न मत के थे।

2. लिंग व्यवस्था– अंग्रेजी में तीन लिंग होते हैं –पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सामान्यतः निर्जीव वस्तुएं नपुंसकलिंग मानी जाती है। रूढ़ि के कारण निर्जीव वस्तुएं भी कहीं–कहीं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। परंतु हिंदी में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दो ही लिंग हैं। निर्जीव वस्तुओं के बोध शब्द शब्दरूप के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की कोटि में आते हैं, जैसे–

Cloth कपड़ा (पु.)

Comb कंघी (स्त्री)

Earth जमीन (स्त्री)

3. वचन– वचनों की संख्या के विषय में अंग्रेजी एवं हिंदी समान हैं लेकिन नित्य बहुवचन के विषय में अंग्रेजी की अपनी रूढ़ि व परंपरा है, जैसे–

Drapery (कमरे की सजावट के कपड़े),

Imagery (बिंबगण)

ये अर्थ में बहुवचन होते हुए प्रयोग में एकवचन होते हैं।

अंग्रेजी के कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं– यद्यपि एकवचन का अर्थ होता है। Scissors- 'कैंची, Spectacles चश्मा इत्यादि। कुछ विषयों के नाम, रूप में बहुवचन हैं, पर अर्थ

में एकवचन हैं–

Mathematics गणित

Physics भौतिकी

Politics राजनीति

4. कारक

कारक और विभक्ति के विषय में अंग्रेजी और हिंदी अलग–अलग पथ पर चलती हैं। प्राचीन अंग्रेजी, संस्कृत के समान कई विभक्तियों का प्रयोग करती थी। आधुनिक अंग्रेजी में तीन मुख्य कारकों का ही प्रयोग होता है– Nominative. Objective, Possessive (कर्ता, कर्म और संबंध कारक)। हिंदी ने संस्कृत व्याकरण से कारक–व्यवस्था को उत्तराधिकार में पाया तभी तो हिंदी व्याकरण में कर्त्ता, कर्म, कारण, अपादान, संबंध एवं अधिकरण कारक की चर्चा है। इन कारकों के अर्थ में विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग होता है। हिंदी विभक्तियाँ संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। वे संस्कृत से प्राकृत–अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आई हैं– ने, को, का (के, की), में (पर), से। अंग्रेजी में कर्त्ता को छोड़कर शेष दोनों कारकों में Preposition (संबंधबोधक अव्यय) का ही प्रयोग होता है, शेष कारकार्थों एवं विभक्त्यर्थों में भी Preposition का प्रयोग होता है। To, for, from, in आदि इन संबंधबोधक अव्ययों के प्रयोग से मूल संज्ञा, सर्वनाम आदि का रूप विकृत नहीं होता, जैसे–

Of the boy, in the festival लड़के का, मेले में

Of the boys लड़कों का, in the houses घरों में

Possessive case में अंग्रेजी में 'S' 'of' दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा अंतर नहीं होता।

Cow's milk- गाय का दूध

5. विशेषण

अंग्रेजी में विशेषणों का लिंग, वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, हिंदी में यह जरूरी होता है–

Harilal is a good athlete.

हरिलाल एक अच्छा खिलाड़ी है।

गुणवाचक विशेषणों की संरचना में अंग्रेजी भाषा की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं यथा Siamese cats यह एक मुहावरा है इसलिए सयानी बिल्लियां कहने के बजाये उसका भाव बताना ही ठीक होगा।

6. सर्वनाम (Pronouns)

सर्वनामों का भाव अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समान ही होता है लेकिन सामाजिक रिवाज के कारण और मुहावरे के अनुसार फरक पड़ता है।

First person I/We

अंग्रेजी के 'I' शब्द का अनुवाद हिंदी में 'मैं' है। अंग्रेजी में अपने लिए 'We' शब्द का प्रयोग तभी होता है जबकि कई लोगों से संबंध हो। सरकार, पत्रिका, कंपनी आदि अनेक लोगों की प्रतिनिधि संस्था की तरफ से जब कुछ कहा या लिखा जाता है तब भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में राजा, समाज के उच्च पद वाले और कभी–कभी सामान्य स्थिति के लोग भी अभ्यासवश एक ही सूचना 'हम' से करते हैं।

Hari said, 'I like music'

हरि ने कहा, 'मैं संगीत पसंद करता हूं'।

The King said, 'I like music'.

राजा बोले, 'हम संगीत पसंद करते हैं।

Second Person- You (Thou, thee)

वर्तमान अंग्रेजी में Thou और Thee लुप्त हो चुके हैं। You एकवचन और बहुवचन के अर्थ से प्रयुक्त है। You बहुवचन में बहुवचन क्रिया मांगता है– You are a nice man. हिंदी में तू, तुम और आप–तीन सर्वनाम हैं। इसका प्रयोग सामाजिक स्तर, घनिष्टता, सम्मान, आदि के अनुसार होता है, जैसे–

Father to child - You are naughty.

तू नटखट है।

Friend to Friend - You are late today.

तुमने आज देर कर दी।

He, She, it-

अंग्रेजी में ये (Third person) अन्य पुरूष सर्वनाम क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। हिंदी में इनके लिए अलग–अलग सर्वनाम शब्द नहीं है।

7. क्रिया (Verb)

हिंदी में क्रियाओं में तीन मुख्य काल माने जाते हैं– भूत, वर्तमान और भविष्य। उनमें से प्रत्येक के कई उपभेद भी माने गए हैं। इनके अलावा आज्ञार्थ का अलग विधान है। संस्कृत में इन सबकी प्रस्तुति दस लकारों से की जाती थी। संस्कृत से हिंदी तक आते–आते काफी सरलीकरण हो गया। भेद–विभाजन की कसौटी भी बदलती गई। आधुनिक हिंदी ने अंग्रेजी गद्य की शैली से बहुत कुछ ग्रहण किया है। उसमें व्याकरण को भी

कुछ–कुछ स्वीकार किया है। व्यावहारिक भाषा होने के नाते अंग्रेजी में अनेक बारीक उक्तियां और अपनी अभिव्यक्तियां बन गई हैं।

उदाहरण के लिए–अंग्रेजी में Indicative, Imperative और Subjunctive तीन प्रकार के mood हैं। हिंदी में Indicative और सामान्य क्रिया वाक्य में कोई अंतर नहीं है। Imperative आज्ञार्थक है। Subjunctive को भविष्यत् की एक विधा संभाव्य भविष्यत् के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है लेकिन संभाव्य भविष्यत के रूपों से भिन्न प्रकार के रूप भी अंग्रेजी के subjunctive mood के अंतर्गत आते हैं।

विभिन्न कालों का प्रयोग अंग्रेजी में करते समय भी भूलें होती हैं। कारण यह है कि भारतीय भाषाओं में ऐसे रूपों का अभाव है।

8. वाक्य–संरचना

वाक्य–संरचना सागर जैसे अनंत और गहरा विषय है, व्यतिरेकी विश्लेषण के लिए जिसका ज्ञान आवश्यक है।

1) Simple sentences (English)

Order-

Subject	Predicate	Object
Raj	Built	a house
कर्ता	कर्म	क्रिया

2) Complement **(विशेषण–तत्व)**

अंग्रेजी – The red rose looks beautiful.

इसमें कर्ता का विशेषण उसके पहले आता है। अकर्मक क्रिया के बाद कर्ता का अनंतर विशेषण आता है।

हिंदी–लाल गुलाब सुंदर लगता है।

3) जहां कई उपवाक्य होते हैं, वहां संरचना की समस्या जटिल होती है। वाक्यांशों के विषय में भी संरचना का क्रम कभी–कभी अलग होता है।

a) संज्ञा उपवाक्य (Noun Clause), (b) विशेषण उपवाक्य (Adjective Clause), (c) क्रिया विशेषण उपवाक्य (Adverb Clause)

a) उदाहरण – I told him that he had failed.

हिंदी में परोक्ष कथन और प्रत्यक्ष कथन के क्रिया पदों में कालैक्य की अनिवार्यता नहीं है। मुख्य वाक्य और उपवाक्य के काल भिन्न हो सकते हैं।

मैंने उसे बताया कि तुम हार गए हो।

मैंने उसे बताया कि वह हार गया।

इन वाक्यों का स्पष्ट अर्थबोध कई प्रकार का हो सकता है।

b) This is the student who got the first prize.

इसी छात्र ने पहला पुरस्कार पाया।

There was time when I could sing well.

एक जमाना था जबकि मैं अच्छी तरह गा सकता था।

(एक जमाने में मैं अच्छी तरह गा सकता था)

वाक्य का भाव और हिंदी भाषा की प्रवृत्ति दोनों में सामंजस्य बैठाना आवश्यक है।

c) क्रिया विशेषण उपवाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें कई अंग्रेजी की संरचना हिंदी की वाक्य संरचना से मिलती है। भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार थोड़ा–सा अंतर भी होता है।

9. वाच्य (Voice)- Active and Passive

अंग्रेजी में दो मुख्य वाच्य हैं। हिंदी में तीन वाच्य होते हैं– कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य प्रायः अकर्मक क्रियाओं का होता है और असमर्थता सूचित करता है। वाच्य का प्रयोग यह दिखाता है कि अमुक वाक्य के किस अंग पर हम जोर देना चाहते हैं। यह सामान्य भाषा की बात है। कार्यालय की भाषा विधि की भाषा आदि में वक्ता व श्रोता का व्यक्तिगत महत्व नहीं है। वहां विषय का, यानी सरकारी आदेश आदि का महत्व है। इसलिए ऐसी भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग अधिक होता है।

हिंदी में आश्चर्यसूचक वाक्यों के प्रारंभ में कभी–कभी वाह! हाय! आदि का प्रयोग अर्थ पुष्ट करता है।

अंग्रेजी के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्रिया–प्रयोग खास होता है।

10 लिंग– अंग्रेजी में निर्जीव वस्तुओं के लिए Neuter gender है लेकिन हिंदी में निर्जीव वस्तुएं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत ही आती हैं। 'फूल रखे हैं', 'किताबें रखी हैं, में फूल पुल्लिंग हैं, किताब स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग हैं तथा अंग्रेजी में स्त्रीलिंग, जैसे– Spring', ship, moon- अंग्रेजी में स्त्रीलिंग हैं किंतु हिंदी में पुल्लिंग। [7]

हिंदी में लिंग बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये क्रिया, आकारांत विशेषण और सम्बंध कारक के परसर्ग को प्रभावित करते हैं–

लड़का आया है– The boy has come.

लड़की आई है– The giral has come.

यहां अंग्रेजी के वाक्यों में कर्त्ता के लिंग के अनुसार क्रिया प्रभावित नहीं हुई किंतु हिंदी के वाक्यों में क्रिया, कर्ता के लिंग से प्रभावित हुई। अंग्रेजी के वाक्यों में –

He is a good boy.

She is a good girl.

लड़का और लड़की दोनों के लिए good शब्द का इस्तेमाल किया गया लेकिन हिंदी में 'अच्छा' और 'अच्छी' लड़की होगा।

11. पदक्रम

हिंदी और अंग्रेजी में पदक्रम की निश्चित–व्यवस्था है। पदक्रम में सभी पदों का ध्यान रखा जाता है किंतु प्रधानता कर्म और क्रिया की ही होती है। जैसे हिंदी का पदक्रम है कर्ता, कर्म और क्रिया 'वह पत्र लिखता' है। 'सीता पानी पीती है।' इन दोनों वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग है। अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया आती है और फिर कर्म अर्थात कर्ता+क्रिया + कर्म, जैसे– He writes the letter, Sita drinks water. संस्कृत में क्रम का कोई कठोर बंधन नहीं है। 'वह पुस्तक पढ़ता है' का अनुवाद वहां–

'सः पुस्तकं पठति'
'पुस्तकं सः पठति'
'पठति पुस्तकं सः'

इस प्रकार हिंदी में 'हम, तुम और वह जाएंगे'। अंग्रेजी के पदक्रम में इसे कहेंगे– You he and I Shall go. पदक्रम बदल जाने से कभी–कभी अर्थ बदल जाता है।

कविता में छंद के पदक्रम को बदल देने से नया अर्थ पैदा होता है–

देखे मैंने वे शैल श्रृंग – को यदि लिखा जाए 'मैंने वे शैलश्रृंग देखे हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि पहली पंक्ति में जो विशेष अर्थ लक्ष्य किया गया है वह दूसरी पंक्ति में समाप्त हो गया।

12. कर्ता तथा कर्म की व्यापकता– संस्कृत के कर्ता और कर्म जितने प्रबल कारक हैं उतने प्रबल कारक अन्य भाषाओं में नहीं हैं। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनमें प्रेरणाहीन धातु का कर्ता प्रेरणावान बनाने पर कर्म होकर द्वितीया विभक्ति ग्रहण करता है। शेष स्थलों में अनुक्त रहने से तृतीया विभक्ति होती है जैसे– 'वेद पठति' या 'वेद पाठयति' हिंदी में हो जाएगा, वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है। अंग्रेजी में जहां प्रेरणार्थकता बनने पर धातु बदलती है वहां तो यही क्रिया है किंतु अधिकांश तथा प्रेरणार्थकता को दो क्रिया शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। Shyam makes the boy drink milk' या Makes him sleep हिंदी में इसका अनुवाद होगा 'श्याम लड़के को दूध पिलाता है', या 'उसे सुलाता है।' हिंदी में यह कार्य जैसे 'सुलाता' एक शब्द में ही हो जाता है। अंग्रेजी में प्रेरणात्मक क्रिया होती ही नहीं लेकिन अंग्रेजी ने प्रेरणा के लिए बहुत–सी स्वतंत्र क्रियाएं निर्मित की हैं।

अंग्रेजी भाषा की तुलना में हिंदी भाषा को शब्द क्रम की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त क्रम की भाषा माना Ram killed Ravan अंग्रेजी के इस वाक्य में यदि शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो अर्थ ही बदल जाता है -Ravan killed Ram. लेकिन हिंदी में शब्दों का क्रम बदलने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, जैसे–

राम ने रावण को मारा।
रावण को राम ने मारा।
मारा रावण को राम ने।
मारा राम ने रावण को।

अंग्रेजी में ऐसा करने पर अर्थ का अनर्थ होने की आशंका रहती हैं। स्पष्ट है कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का व्यतिरेकी अध्ययन अनुवाद हेतु महत्वपूर्ण योगदान देता है।

"संस्कृत माँ, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है।"

–फादर कामिल बुल्के

तमिलनाडु के केन्द्र सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की समस्याएं एवं संभावनाएं

❖ डॉ. विट्टी. अन्नपूर्णा ❖

राजभाषा का सामान्य अर्थ है– ''राजकाज चलाने की भाषा'' अर्थात भाषा का वह स्वरूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हों। यह शब्द State Language के अनुवाद के रूप में प्रस्तुत है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम राजाओं के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी के लिए ''राजभाषा'' शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता। स्वाधीन भारत के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल सी. राजगोलाचारी ने राष्ट्र भाषा के समानांतर राजभाषा शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्रवाही के हिंदी शब्द में State Language का अनुवाद राजभाषा के रूप में किया गया है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला प्रस्ताव दक्षिण भारतीय विद्वान श्री गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा रखा गया, जो 14 सितंबर, 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। इसी आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा हिंदी के बारे में विस्तृत जानकारी भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेदों में मिलता है।

अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) दवारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने विभिन्न राजभाषा समितियों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए 27 अप्रैल, 1960 को निदेश जारी किये, जिसमें हिंदी शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्य विधि–साहित्यिक, अनुवाद, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी प्रशिक्षण, केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी भाषा में अंकों का स्वरूप, अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि के भाषा का स्वरूप, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना या कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन के अनुसार भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 1967 को लोकसभा में 'राजभाषा विधेयक के स्वरूप की व्याख्या करते हुए गृहमंत्री यशवंतराव चौहान ने 13 सितंबर 1967 को लोकसभा में कहा था कि ''जब हम एक लोकतंत्रीय शासन की, एक राजभाषा के बारे में बात करते हैं, तो वह एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो देश की जन–जन की भाषा हो, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों के हृदय में स्थान हो और यही बुनियादी बात है, जिसकी वजह से हमने हिंदी को संपर्कभाषा के रूप में स्वीकार किया... हम निश्चय ही सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना चाहते हैं, वे हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं और पहले ही काफी विकसित हैं। वे समृद्ध हैं और उन सभी की अपनी–अपनी महान परम्पराएं हैं लेकिन देश को एक संपर्क भाषा की भी जरूरत है और मुझे वह हिंदी के अलावा कोई और दिखायी नहीं देती। लेकिन फिलहाल हमारी जो अंग्रेजी संपर्क भाषा है, उसे ही कुछ समय तक इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जब तक कि हर व्यक्ति यह न कहने लगे, मुझे हिंदी आती है, मैं इस भाषा के जरिए इस देश के प्रशासन में, राजनीति में तथा देश के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लूंगा। इस कार्य के लिए हर व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमने इस विधेयक में यह व्यवस्था रखी है कि जब तक कि हर राज्य इसे स्वीकार कर नहीं लेता तब तक अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहिए।''

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत केंद्रीय सरकार ने जो नियम वर्ष 1976 में बनाये उनमें 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्रों का उल्लेख इसी के आधार पर सुनिश्चित किया गया। केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, इनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों के अधिकांश अधिकारी तथा कर्मचारी इस वर्गीकरण से अच्छी तरह से परिचित हैं। इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कितना–कितना होना अपेक्षित है, उसका वर्णन करते समय कभी–कभी यह कहा जाता है कि देश को तीन भाषाई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से मोटे रूप से देश के 3 प्रकार के क्षेत्र सामने आते हैं–

1) यह क्षेत्र जहां के राज्यों में संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपनी राज्य भाषा हिंदी बनाने का निर्णय लिया हुआ था। (हिंदी क्षेत्र)

2 ये राज्य जिनकी राज्य भाषा हिंदी में ही कोई और भाषा बनाए हुए थे किंतु इन्होंने हिंदी भाषी राज्य तथा केंद्रीय सरकार के साथ परस्पर पत्र व्यवहार हिंदी में करना स्वीकार किया था।

3 ये राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं थी तथा जो ऊपर के विचारों से सहमत नहीं थे। मुख्यतः पूर्व पश्चिम और दक्षिण के अनेक राज्य इन विचारों के हैं।

तमिल द्रविड़ भाषाओं की जननी मानी जाती है। द्रविड़ संस्कृति उतनी ही प्राचीन कही जा सकती है, जितनी आर्य संस्कृति मानी जाती है। आर्य संस्कृति और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा यदि संस्कृत मानी जाती है, तो द्रविड़ संस्कृति और समाज को प्रतिबिंबित करने वाली भाषा तमिल ही कही जा सकती है। दोनों भाषा साहित्यों में अभिव्यक्त संस्कृतियां भिन्न अवश्य हैं।

किंतु सुसंस्कृत संस्कृतियों के उच्च आदर्श कही जाने वाली मानवीयता दोनों में समान हैं। कालांतर में संस्कृत से विभिन्न भाषाओं और बोलियों का उद्‌भव हुआ, जिसे आज हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, जिसमें हिंदी को बहुल जनता की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी तरह तमिल भाषा से दक्षिण की तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाओं का प्रादुर्भाव होने की बात अधिकतर विद्‌वान स्वीकार करते हैं, जिन्हें आज हम दक्षिण के हिंदेतर भाषी क्षेत्रों के रूप में मानते हैं।

तमिलनाडु ऐसे जन समूह का राज्य है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसे धर्मावलंबी रहते हैं। यहां की जनता की विशेषता यह रही है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई – सबकी अधिकतर मातृभाषा तमिल ही रही है। यहां के 90 से अधिक प्रतिशत मुसलमान दक्खिनी या उर्दू भाषा से अनभिज्ञ हैं। यह सामाजिक वातावरण प्राकृतिक रूप से हिंदी भाषा से बिल्कुल अलग है। तमिल भाषा का स्वरूप भी हिंदी भाषा से मेल नहीं खाता। अक्षर, शब्द, वाक्य इत्यादि की दृष्टि से एवं व्याकरण की दृष्टि से भी हिंदी और तमिल भाषा में काफी अंतर है। तमिल भाषाओं के लिए हिंदी और तमिल भाषा में काफी अंतर है। तमिल भाषाओं के लिए हिंदी पढ़ने और लिखने में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिंदी के लिए तमिलनाडु का सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई वातावरण अनुकूल नहीं है। फिर भी यहां की जनता हिंदी सीखने के लिए उत्सुक है। इनकी पठन–पाठन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रचार–प्रसार करना हिंदी सेवियों का कर्तव्य होना चाहिए।

तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को आत्मसात करते हुए गांधी जी ने पहली बार 1917 में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना कराने में मुख्य भूमिका अदा की थी और 1928 में चेन्नै के टी. नगर में उपस्थित दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा के प्रांगण का स्वयं प्रारंभ किया था। तब से आज तक दक्षिण में मुख्यतः तमिलनाडु में हिंदी के प्रचार–प्रसार से हिंदी का वातावरण निर्मित होने लगा। लेकिन यह वातावरण केवल लिखने और पढ़ने तक ही अधिक सीमित रह गया है अर्थात जनता के बीच हिंदी में बोलचाल का वातावरण आज भी बहुत कम है। इसके लिए हिंदी और तमिल के अक्षरों के उच्चारण में भिन्नता होना ही मूल कारण कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी में जो 'फल' वह तमिल में 'पल' के रूप में उच्चरित होता है और हिंदी में 'खाना' तमिल में 'काना' के रूप में।

संसद के दोनों सदनों ने जनवरी 1968 में राजभाषा हिंदी के विकास के लिए नीति निर्धारण का एक संकल्प पारित किया जिसमें मूल रूप से यह का गया है कि संघ की सरकार का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार करें, उसके विकास को इस तरह निर्धारित करें कि उसके माध्यम से समसामयिक संस्कृति का व्यक्तीकरण हो। इसी के आधार पर 1976 में राजभाषा नीति का निर्धारण किया गया है। इसके आधार पर देश में आठ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गये, ताकि इनके माध्यम से राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन किया जा सके। तमिलनाडु के लिए कार्यालय कोच्चिन में कार्यरत है। इस कार्यालय के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देना, पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन और साहित्यिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन कर हिंदी का प्रचार–प्रसार करने की संकल्पना की गई थी। तमिलनाडु में इस तरह के कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं। किंतु इस कार्यक्रम को और भी प्रभावोत्पादक बनाने के लिए राजभाषा हिंदी से जुड़े अधिकारियों की कमी है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के इकाइयों, निगमों तथा बैंकों इत्यादि कार्यालयों में सैकड़ों हिंदी अधिकारियों एवं अनुवादक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में निरंतर प्रयत्नशील है। वे अपने इकाईयों की एवं दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों को राजभाषा नीतियों को अवगत कराने के साथ–साथ हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रचार–प्रसार करने का कार्य भी करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, पत्रिकाओं का प्रकाशन, कम्प्यूटरों में हिंदी के माध्यम से काम करने का प्रशिक्षण, अनुवाद की नयी–नयी पद्धतियों का अनुकरण इत्यादि कार्यों से अपने इकाईयों के दफ्तरों में राजभाषा के लिए निर्धारित नीतियों को क्रमशः कार्यान्वित कर रहे है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किंतु आज के परिवर्तित वातावरण में जहां हर बिंदु के प्रति वाणिज्यिपरक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, वहां के हिंदी अधिकारियों के लिए राजभाषा के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा पाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। दूसरी विशेषता जो स्वागत योग्य है कि पूर्व हिंदी अधिकारी एवं अनुवादक जिस पद पर नियुक्त हुआ करते थे अंत तक उन्हें उसी पद पर बने रहते थे उन्हें आजकल पदोन्नति के जरिए उस इकाई या बैंकों के अन्य कर्मचारियों के समान पदोन्नति मिल रही है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा विकास के लिए हिंदी प्रशिक्षण योजना की भी सुविधा है। इस योजना के तहत किसी भी केंद्र सरकार के दफ्तर में कम–से–कम पच्चीस कर्मचारी कार्यरत है उन्हें हिंदी प्रशिक्षण दिलाना राजभाषा नीति का एक नियम है। इसका सही तरीके से अनुपालन आज भी कुछ कार्यालय नहीं कर रहे हैं। यह एक चिंता की बात है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का एक बहुत बड़ा दायित्व है। तमिलनाडु में चेन्नै, मदुरै, कोयम्बत्तूर, तिरूच्ची जैसे इने–गिने नगरों में ऐसी समितियों हैं। चेन्नै, तमिलनाडु की राजधानी होने के कारण केन्द्र सरकार की अनेक इकाइयां तथा निगम तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय या शाखाएं सैंकड़ों की संख्या में है। यहां मुख्यतः दो प्रकार की नगर राजभाषा समितियां कार्यरत हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से एक समिति और दूसरी केन्द्रीय इकाइयों, निगमों एवं शाखाओं से एक समिति का गठन हुआ है। इसी तरह तमिलनाडु में उल्लिखित नगरों में भी छोटी–मोटी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं। ये सभी राजभाषा कार्यान्वयन की समस्याओं पर विचार करती हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियां घटित हैं। राजभाषा नीति के तहत ये हिंदी सलाहकार समितियां हर तीन महीनों में एक बार उस मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों, इकाइयों, निगमों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों की समीक्षा करती हैं और भविष्य के कार्यक्रमों का सुझाव भी देती हैं। उन्हें अमल करना हिंदी अधिकारियों का कर्तव्य है। राजभाषा हिंदी की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए राजभाषा नीति के अनुसरण में संसद समितियों का भी गठन किया गया है। यह संसदीय राजभाषा समिति सभी संबंधित कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं, और उसका प्रतिवेदन केंद्रीय हिंदी समिति को सौंपती हैं, जिसको अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं। इस तरह की विभिन्न प्रक्रियाएं अन्य हिंदीतर राज्यों के बराबर ही तमिलनाडु में भी सक्रिय हैं।

तमिलनाडु में कार्यरत हिंदी अधिकारियों को राजभाषा के अधिनियम भाग 7 के अनुच्छेद 351 पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि... ''संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।''

हिंदी भाषा चाहे संपर्क भाषा हो या राजभाषा के विकास का मार्गदर्शन इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है। इस अनुच्छेद का मूल उदेश्य भारत की सभी भाषाओं का अपना–अपना अस्तित्व इसमें सुनिश्चित करना ही है। अर्थात हिंदी भाषा के विकास में युग–युगों से प्रचलित हिंदुस्तानी, आठवीं अनुसूचि में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करना राजभाषा नीति का एक नियम है। किंतु इस पर राजभाषा या हिंदी प्रचार–प्रसार में जुड़े अधिकारी इस नियम का पल कहां तक कर रहे हैं, स्वयं उन्हीं को आत्मावलोकन करना चाहिए। हिंदुस्तान और आठवीं अनुसूचि में उल्लिखित भाषाओं में हजारों शब्द ऐसे हैं, जो हिंदी भाषा में समाहित किये जा सकते हैं। इन शब्दों का संकलन हिंदी अधिकारियों को यदि करने में कोई भाषाई समस्या हो अर्थात जो तमिल भाषा की जानकारी न रखते हों, वे तमिल और हिंदी के विद्वानों के साथ संपर्क संगोष्ठियों के माध्यम से बना सकते हैं और इस नियम के अनुसार समानार्थी तमिल शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग पर्याय के रूप में कर सकते हैं।

शायद हिंदी अधिकारियों को यह शंका होगी कि प्रशासनिक शब्दों का निर्माण केंद्रीय गृह मंत्रालय से सम्बद्ध 'शब्दावली' आयोग कर रहा है, उसी का प्रयोग हमें भी करना होगा। इस संदर्भ में उन्हें यह कहना भी आवश्यक है कि अपने–अपने मंत्रालयों से संबंधित प्रशासनिक शब्दावली चयन मंत्रालय ही बता सकता है और उन शब्दों का अनुमोदन शब्दावली आयोग से ही प्राप्त कर सकता है। ऐसे उदाहरण अनेक हैं। उदाहरण के लिए कृषि मंत्रालय का एक ऐसा शब्द है, जो तमिल और मलयालम दोनों भाषा–भाषियों के लिए सुपरिचित है, जो देश भर की जनता के लिए भी आमोद योग्य बन चुका है। वह शब्द है– COIR BOARD हिंदी में भी इसे कयर, कयिर से जानते हैं। इसका अर्थ है– रस्सी, यह रस्सी नारियल के ऊपर के पदार्थ से बनायी होती है। ऐसे अनेक शब्द हैं इनकी पहचान करना राजभाषा अधिकारियों का कर्तव्य होगा।

किसी भी भाषा के विकास के लिए उसकी सरलता का गुण नितांत आवश्यक है। अनुच्छेद 351 में प्रमुख रूप से हिंदुस्तानी भाषा का जिक्र किया गया है। हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जो युग–युगों से सभी क्षेत्रों के भाषा शब्दों को आत्मसात् करते हुए सरल भाषा के रूप में उभर चुकी है। हिंदुस्तानी भाषा के शब्दों का भी राजभाषा में प्रयोग होना जरूरी है। तहसील, तहसीलदार आदि हिंदुस्तानी के ऐसे शब्दों में हस्तक्षेप करके मंडल, मंडलीधिकारी जैसे शब्दों का प्रयोग करना तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजभाषा कार्यान्वयन की असफलता का कारण बन सकता है, जो भावी पीढ़ियों के लिए असमंजस में धकेलने का मूल कारण बन सकता है। तमिलनाडु के राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में संलग्न हिंदी अधिकारियों को इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि राजभाषा कार्यान्वयन की समस्या का समाधान संभव है।

असोसिएट प्रोफेसर एवं विभागध्यक्ष, हिंदी विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय, मेरीना कैम्पस, चेन्नई–5

शोर के विरुद्ध शोर, मगर शोर न हो

❖ प्रो. योगेशचंद्र शर्मा ❖

लगभग एक शताब्दि पूर्व नोबल पुरस्कार विजेता तथा जीवाणु वैज्ञानिक राबर्ट काक ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आयेगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में क्रूर शोर के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। शहरी वातावरण में बढ़ते हुए आज के शोरगुल को देखकर लगता है कि वह दिन अब आ पहुंचा है। शोर–शराबे से पीड़ित आज का मनुष्य शांति की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है। मगर लगता है जैसे शोर ने उसके साथ–साथ चलने की प्रतिज्ञा ले ली हो। अगर वह कुछ समय के लिए परिजन और मित्रों के शिकवे–शिकायतों से मुक्ति प्राप्त कर भी ले तो तरह–तरह के मशीनी उपकरण उसकी शांति भंग करने के लिए तैयार रहते हैं। रेडियो, टी. वी, पंखा, कूलर तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक साधन जहां उसके थके शरीर और मस्तिष्क को कुछ राहत देते हैं, वहां दूसरी ओर शोर पैदा करके उसके मस्तिष्क के तंतुओं पर दुष्प्रभाव भी डालते हैं। यदि मनुष्य इन विभिन्न मशीनी उपकरणों को बंद करके, शांति प्राप्त करने के लिए कुछ असुविधा उठाने को तैयार हो जाए तो भी उसे चैन मिलना सरल नहीं। उसके मकान के इर्द–गिर्द चलने वाले तरह–तरह के वाहनों की आवाज, आने–जाने वाले लोगों का शोरगुल, फैक्टरियों से निकलने वाली आवाज, लाउडस्पीकरों से आने वाले फिल्मी गीत, हरिकीर्तन और इसी प्रकार के अन्य अनेक साधनों से उत्पन्न शोर उसे शांति का अनुभव नहीं करने देता। यदि शहर से दूर, कहीं समुद्र के किनारे, पहाड़ी की गोद में अथवा बाग की हरियाली पर भी मनुष्य शांति प्राप्त करने की कोशिश करे तो वहां भी उसे अपने जैसे अनेक व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे, जिनकी जोर–शोर से चल रही पारस्परिक वार्ता उसकी शांति भंग करने के लिए पर्याप्त होगी। ऐसे स्थानों पर भी ट्रांजिस्टर की आवाज किसी–न–किसी कोने से या झुण्ड से निकल कर उसे शहरी शोर का स्मरण दिलाती रहेगी। अवश्य की ग्रामीण क्षेत्र, शोर के इस विकृत रूप से अभी तक कुछ बचे हुए हैं। मगर यह धीरे–धीरे अब वहां भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करने लगा है।

लंबे समय तक शोर–शराबे वाले वातावरण में रहने वाला सामान्य मनुष्य कभी–कभी शोर का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह उसे खलता नहीं। इसके विपरीत, यदि उसे अपेक्षाकृत किसी शांत वातावरण में ले जाया जाए तो वहां की शांति उसे खलने लगेगी और शोर का अभाव उसे महसूस होगा; यह अभ्यस्त हो जाना लगभग वैसा ही है, जैसा किसी नशीले पदार्थ का अभ्यस्त हो जाना। आदत पड़ जाने पर व्यक्ति को नशीली वस्तु के उपयोग से कोई हानि दृष्टिगत नहीं होती, मगर अंदर–ही–अंदर उसके शरीर में जो विष फैलता रहता है, उसका अहसास उसे काफी विलंब से ही हो पाता है। यही स्थिति शोर के साथ है। अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य सामान्यतः उसकी हानि को महसूस नहीं कर पाते, मगर वास्तव में शोर अंदर–ही–अंदर हमारे शरीर और मस्तिष्क को रोगग्रस्त करता रहता है।

शोर के कारण सामान्य बातचीत या अन्य गतिविधियों में तो बाधा पड़ती ही है, इसके साथ ही हम किसी विषय पर गंभीरता से विचार भी नहीं कर पाते। लगातार शोर में रहने से स्थायी श्रवण–दोष उत्पन्न हो जाता है और रक्तचाप, श्वास गति तथा नाड़ी तथा रक्त संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शोर के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है और उसमें विभिन्न प्रकार के मनोरोग जन्म ले लेते हैं। चिकित्सकों के मतानुसार आजकल स्नायु रोग के हर चार मामलों में एक कारण शोर होता है। इसी प्रकार से सिरदर्द के अधिकांश मामलों में शोर ही जिम्मेदार होता है। शोर हृदय–रोग को भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दिनों नशीली वस्तुओं के प्रति तथा नींद की गोलियों के प्रति जो रुचि बढ़ रही है, उसका उत्तरदायित्व भी मुख्यतः शोर पर ही है। पश्चिमी–जर्मनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे जार्ज शिम्टे का तो यहां तक कहना है कि आज के युग में होने वाले असामयिक मृत्युओं में लगभग पचास प्रतिशत मामलों में शोर भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है।

भारत में शहरी सभ्यता के अपेक्षाकृत कम विकास के बावजूद प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्ति शोर के कारण ही विभिन्न प्रकार के मानसिक और हृदय रोगों के शिकार बन जाते हैं। स्पष्ट है वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक विकास की उपलब्धि के साथ–साथ शोर का यह संकट भी हमारे चारों ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। शोर के कारण मनुष्य में चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। तनिक–सा कार्य करने पर वह अपने को थका हुआ महसूस करने लगता है। जीवन में। एक अजीब नीरसता और उखड़ापन घर कर लेता है। सोचने –समझने की शक्ति कम होने लगती है। सड़कों पर तथा कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं में से भी अनेक का मूल कारण शोर ही होता है। इससे पाचन शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य असमय में ही बूढ़ा होने लगता है।

शोर के संबंध में अनेक परीक्षण किये गए हैं, जो शोर से होने वाले दुष्प्रभावों को प्रमाणित करते हैं। एक मुर्गीपालन केंद्र के निकट भारी मशीनों से लंबे समय तक शोर किया गया तो वहां पर मुर्गियों ने अण्डे देना बंद कर दिया।

ओहियो के डॉ. लैस्टर ने गर्भवती माताओं के ऊपर शोर का परीक्षण किया तो पता चला कि तीखे शोर से गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कनें यकायक बढ़ जाती हैं और उससे उसे हानि का खतरा रहता है। तेज ध्वनि से चलने वाली मशीनों के बीच काम करने वाले मजदूरों की श्रवण–शक्ति में अक्सर दोष पाया गया है। इस प्रकार की मशीनों के बीच से लगातार काम करके लौटे हुए व्यक्ति को कुछ समय तक हल्की फुसफुसाहट या घड़ी की टिकटिक जैसी हल्की आवाजें सुनाई नहीं देतीं।

आज विज्ञान के युग में शोर या ध्वनि को नापना भी कोई कठिन काम नहीं रहा। इससे हम सरलता से यह जान सकते हैं कि कहां पर और किस साधन के द्वारा कितना शोर उत्पन्न होता है और उससे मनुष्य को कितनी हानि होती है। शोर की इकाई डेसीवल है, जिससे उसे नापा जा सकता है। शून्य डेसीवल वह स्थिति है, जिसे पूर्ण शांति कहा जा सकता है। इसके बाद आवाज के साथ–साथ डेसीवल की इकाई बढ़ती चली जाती है। सामान्य फुसफुसाहट से बीस डेसीवल आवाज उत्पन्न होती है। एक मीटर दूर रखी दीवार घड़ी से तीस डेसीवल की आवाज आती है। टाइप राइटर की खटखट 50 तथा टेलीफोन या मोबाइल की घनघनाहट 60 डेसीवल शोर पैदा करती है। साधारण बातचीत से 50 और गलियों के शोरगुल से सामान्यतः 70 डेसीवल आवाज उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न उपकरणों से होने वाले शोर की मात्रा डेसीवल में साधारणतः इस प्रकार होती है– अलार्म घड़ी का अलार्म–70, कार का हार्न 90–95, मोटर साइकिल 120, छोटे पिस्टन इंजन वाला विमान– 120, जेट विमान–140, अंतरिक्ष में छोड़ा गया राकेट–170, रेमजेट इंजन–180।

विशेषज्ञों के अनुसार एक मनुष्य अपनी स्वाभाविक निद्रा में 30 डेसीवल से अधिक शोर सहन नहीं कर सकता। जागृत अवस्था में 60 से 70 डेसीवल का शोर उसकी सहनशक्ति के अंदर है। इससे अधिक शोर उसके लिए कष्टदायक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। व्यस्त शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आज के नागरिकों को सामान्यतः 70 से 80 डेसीवल तक शोर के बीच में रहना पड़ता है। विशेष वातावरण और परिस्थितियों में इस शोर की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 130 से अधिक डेसीवल के वातावरण में लंबे समय तक रहना पड़े तो वह उसके लिए अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बहरापन, पागलपन तथा अनेक मनोवैज्ञानिक बीमारियों के होने की आशंका रहती है।

शोर के संभावित खतरों से प्राचीन युग के अधिकारी भी संभवतः परिचित थे। शायद इसीलिए रोम शहर के अधिकारियों ने यह नियम बना रखा था कि अंधेरा होने के बाद शहर की सीमाओं में वाहनों का प्रवेश निषिद रहेगा। भारत की प्राचीन व्यवस्था में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। कभी–कभी मौन धारण करने की परंपरा के पीछे भी संभवतः यही भावना रही हो कि कुछ सयम के लिए शोर–शराबे से मुक्ति प्राप्त की जाए। भारत में शोर के संबंध में अनेक सर्वेक्षण किये गए हैं, जिनसे पता चलता है कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा अहमदाबाद आदि बड़े शहरों में शोर खतरे की सीमा तक पहुंच चुका है। दिल्ली में शोर सामान्यतः 105 डेसीवल के आस–पास रहता है। वहां पर कुछ क्लब तथा मनोरंजन गृहों में शोर 114 डेसीवल तक पहुंच जाता है। दिल्ली के कुछ व्यस्त क्षेत्रों में रात्रि में भी शोर का स्तर लगभग 80 डेसीवल तक रहता है, जो निश्चित ही पर्याप्त रूप से हानिकारक है। दीपावली तथा गरबा जैसे त्योहारों पर शोर की मात्रा 80 से लेकर 120 डेसीवल तक पहुंच जाती है।

प्रश्न उठता है कि शोर की समस्या का समाधान क्या हो? स्पष्ट ही शहरीकरण और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति को रोका नहीं जा सकता। देश के विकास के लिए उनकी आवश्यकता असंदिग्ध है। वास्तव में शोर की समस्या का समाधान तो हमें अपनी प्रगति की रफ्तार को बनाये हुए ढूंढ़ना है। विभिन्न देशों में इसके लिए प्रयत्न चल रहे हैं। इंग्लैंड में इस संदर्भ में अनेक कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं। रूस में ध्वनिशोषक यंत्रों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। अमरीका में इस समस्या के समाधान के लिए करोड़ों डालर व्यय किये जा रहे हैं। भारत में भी इस क्षेत्र में 1960 से कार्य प्रारम्भ किया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान आदि संस्थाएं कार्य कर रही हैं। फिर भी समस्या की गंभीरता को देखते हुए इस कार्य में और अधिक तीव्रता तथा शीघ्रता अपेक्षित है।

समस्या के समाधान के लिए कुछ बातें इस प्रकार कही जा सकती हैं:

1. अनेक छोटी–छोटी बातें ऐसी हैं, जिनसे पर्याप्त शोर बढ़ता है तथा जो पूर्णतः हमारे अपने नियंत्रण में हैं। उदाहरणार्थ जोर–जोर से चीखकर बातें करना, बर्तनों की अनावश्यक उठापटक, फर्नीचर को इधर–उधर घसीटना आदि बातें ऐसी हैं, जो नित्य परिवारों में होती रहती हैं। इन पर हम सरलता से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इससे निश्चित ही घरों में होने वाला शोरगुल कम होगा, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और घर अधिक शांतिदायक बन सकेगा।
2. ज्यादा आवाज करने वाली मशीनों और वाहनों में साईलैंसर लगाये जाएं।
3. अधिक व्यस्त और शोरगुल वाले मार्ग या कारखाने आदि में ध्वनिशोषक यंत्रों का उपयोग किया जाएं।

4. जो मशीनें अधिक घिसी हुई हों, उनके पुर्जे बदल दिये जाएं तथा उनकी सफाई करके उनमें नियमित रूप से तेल या ग्रीस आदि लगाया जाए।
5. पुराने और बिगड़े हुए वाहनों के सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
6. अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध हो।
7. स्कूल, कॉलेज तथा अस्पताल आदि के क्षेत्र 'शांति क्षेत्र' घोषित किये जाएं, जहां पर हॉर्न बजाना या अन्य किसी प्रकार का शोरगुल करना अपराध माना जाए।
8. लाउडस्पीकर का प्रयोग केवल विशेष स्थानों पर ही किया जाए। यह प्रयोग भी विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। रात्रि को लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
9. बढ़ते हुए शोर के विरुद्ध जनमत को जागृत किया जाए तथा उससे होने वाली हानियों के बारे में जनता को बतलाया जाए।
10. नई मशीनों या नये वाहनों के आविष्कारों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे न्यूनतम आवाज पैदा करने वाले हों।
11. हवाई अड्डे के आस–पास बस्तियां न बनायी जाएं।
12. रेडियो को जोर से बजाना अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बजाना निषिद्ध हो।
13. शोर के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी आन्दोलन चलायें जाएं ताकि जनसहयोग उपलब्ध हो सके। इस संदर्भ में हमें यह ध्यान अवश्य रखना है कि हमारा यह आन्दोलन, अन्य अनेक आन्दोलनों के समान केवल शोर का ही प्रतिरूप बनकर न रह जाए। हमारा यह आन्दोलन लीक से अलग हटकर यथासंभव मौन, शांत मगर ठोस और प्रभावशाली होना चाहिए।

10/611, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान

प्रपत्र–4 (देखिए नियम – 8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार–पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम 'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	पारस ऑफसेट, नई दिल्ली
4. क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5. प्रकाशक का नाम व पता	राकेश शर्मा 'निशीथ', सहायक संपादक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एन.डी.सी.सी.–2, भवन, चौथा तल बी विंग, नई दिल्ली–110001 दूरभाषः 011–23438137
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	हरिन्द्र कुमार निदेशक (कार्यान्वयन/पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.–2, भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली–110 001
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, राकेश शर्मा 'निशीथ' घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./

प्रकाशक का हस्ताक्षर

विविध राजभाषा गतिविधियां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

राजकोट

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोठी कंपाउन्ड, राजकोट के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 69वीं बैठक का आयोजन दिनांक 07.08.2014 को किया गया। बैठक के प्रारंभ में श्री पी. बी. सिंह, सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक, श्री विनय बाबतीवाले, अपर मंडल रेल प्रबंधक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग पश्चिम क्षेत्र नवी मुंबई से पधारे उपनिदेशक कार्यान्वयन, श्री विनोद कुमार शर्मा एवं विभिन्न कार्यालयों, निगमों से पधारे कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया। अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि मुझे बताया गया है कि राजकोट शहर के केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का प्रचार–प्रसार अच्छा हो रहा है। कैलेंडर के अनुसार वर्ष में दो बार निर्धारित बैठकें आयोजित की जाती हैं। ''राजप्रभा'' नाम से वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है और प्रति वर्ष केन्द्र सरकार तथा निगम कार्यालयों से दो–दो कार्यालयों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अंविरास के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

गुवाहाटी

नराकास (के.का.) गुवाहाटी की वर्ष 2014–15 की प्रथम छमाही बैठक 29 अगस्त , 2014 को श्री टी.एम. दास, आयकर आयुक्त, गुवाहाटी–1, की अध्यक्षता में आयकर भवन, क्रिश्चियन बस्ती, जी.एम. रोड, गुवाहाटी के प्रथम तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। श्री रामलाल शर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, गुवाहाटी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए अध्यक्ष सहित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। श्री बी.के. सिंह, उपनिदेशक (कार्यान्वयन), पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी ने वार्षिक कार्यक्रम 2014–15 में ''ग'' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी दी और हिंदी पत्राचार, हिंदी में टिप्पणी का लक्ष्य, नियमित रूप से कार्यशालाओं और त्रैमासिक बैठकों का आयोजन आदि के बारे में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए उपस्थित कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध किया। श्री एम.एल. पूर्ती, उपनिदेशक (पूर्वो.), हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी ने हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी आशुलिपि और टंकण प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि गुवाहाटी में कई केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

गुड़गांव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुड़गांव की वर्ष 2014–15 की प्रथम बैठक 25 जुलाई, 2014 को कार्यालय के सभागृह में आयोजित की गई। नराकास की इस बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करने के उपरांत श्री अवनीन्द्र कुमार, सदस्य सचिव ने कार्यसूची के प्रथम बिन्दु नराकास की वर्ष 2013 की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, जिन निर्णयों पर कार्रवाई पूर्ण हो गई है, उसके संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने सदस्य कार्यालयों को अवगत कराया कि नराकास की हिंदी पत्रिका ''राजभाषा अनुराग'' के पंचम अंक का विमोचन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.2.2014 को किया गया तथा पत्रिका के प्रकाशन के लिए लेख एवं रचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित सदस्यों कार्यालयों के सहयोग की सराहना की गई। उन्होंने जानकारी दी कि नराकास की वेबसाइट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वेबसाइट का पता है– www.narakasgurgaon.in वेबसाइट के प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रचालन हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो समय–समय पर बेवसाइट को अपडेट एवं अपलोड की जाने वाली विषय सामग्री की जॉच करके वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।

छतरपुर, मध्यप्रदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आकाशवाणी, छतरपुर के (सहायक उपनिदेशक कार्यक्रम) नराकास अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। दिनांक 10 सितम्बर 2014 को आकाशवाणी, छतरपुर के सभागार में इस वर्ष की द्वितीय बैठक में हिंदी नराकास के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया। सबसे पहले आकाशवाणी, छतरपुर के नराकास सचिव, श्री दिनेश रजक ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और एजेण्डा प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि सदैव हिंदी में अधिक–से–अधिक कार्य करें और हिंदी राजभाषा को प्रचारित एवं प्रसारित कराने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें । नराकास अध्यक्ष ने कहा कि जिन कार्यालयों में हिंदी का सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है वे यूनिकोड का

इस्तेमाल कर सकते हैं और डाउनलोड के लिये बीएसएनएल के हिंदी अधिकारी की सेवाएं ली जा सकती हैं। साथ में ऑनलाइन रिपोर्ट जो भेजी जानी है उसकी भी जानकारी हिंदी अधिकारी से उनके कार्यालय में जा कर या अपने कार्यालय में बुला कर ली जा सकती है। नराकास को विस्तृत करने के लिये केन्द्रीय और बैंकों के कुछ नये विभागों को भी नगर राजभाषा की बैठक में शामिल करने की पहल करनी चाहिए।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रॉची–835303

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रॉची में 30 सितम्बर, 2014 को समाप्त तिमाही के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 16.9.2014 को केन्द्र के वैज्ञानिक–डी डॉ. मो. मजहर आलम की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे केन्द्र के सभाकक्ष में आयोजित की गई। समिति को अवगत कराया गया कि इस तिमाही में धारा 3(3) के अन्तर्गत सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, टेन्डर, परिपत्र, नोटिस आदि सभी केन्द्र में द्विभाषी अथवा हिंदी में जारी किये गये हैं। धारा 3(3) का उल्लंघन नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार के क, ख, एवं ग क्षेत्र के कार्यालयों में ज्यादा–से–ज्यादा पत्र हिंदी में ही भेजे गये।

दूरदर्शन केंद्र, भोपाल 462013

केंद्र में राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार बढ़ाने, तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने एवं हिंदी पखवाड़े के सुअवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम/प्रतियोगिताओं के संबंध में चर्चा करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष महोदय श्री पी सेतुमाधवन की अनुमति से प्रारंभ हुई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दूरदर्शन केंद्र, भोपाल में दिनांक 25.8.2014 को सम्पन्न हुई। बैठक का शुभारंभ समिति के सदस्य सचिव, श्री आर.एम. पोरवाल के स्वागत कथन द्वारा हुआ। सर्वप्रथम पिछली तिमाही बैठक के कार्यवृत की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तत्पश्चात श्री पोरवाल ने पिछली तिमाही बैठक का कार्यवृत पढ़कर उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में उपस्थित समिति सदस्यों को अवगत कराया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हैदराबाद – 500001

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, हैदराबाद की वर्ष 2014–15 की प्रथम तिमाही की ''राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक'' दिनांक 26.6.2014 अपराह्न 10.30 बजे सम्पन्न हुई। राज्य निदेशक श्री आर. प्रभाकर राव जी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों को धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजातों का संक्षिप्त विवरण दिया तथा निर्देश दिया कि उन्हें ये कागजात द्विभाषी में ही भेजे जाने चाहिए। कार्यालय में संपन्न होने वाली प्रशासनिक बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाइयां यथासंभव हिंदी में करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों को निर्देश दिया कि प्रशासनिक बैठकों के संबंध में कार्यसूची/वार्तालाप/कार्यवृत्त हिंदी में करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आयकर आयुक्त कार्यालय, पटियाला – 147001

पटियाला प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री सुरेश कुमार, आयकर आयुक्ता, पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 24.6.2014 को आयकर आयुक्त, पटियाला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में की गई। समिति द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और 31.3.2014 को समाप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा उत्तर–पश्चिम क्षेत्र, चण्डीगढ़ की राजभाषा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों तथा वार्षिक कार्यक्रम 2014–15 में निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा की गई। अपने समापन संबोधन में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हर क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। प्रमुख मुख्य आयकर आयुक्त महोदय अपने अर्ध सरकारी पत्र हिंदी में ही भेज रहे हैं। हम सभी को भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अपना कार्य हिंदी में करना है। छोटे–छोटे मसौदे और टिप्पणियां आसानी से हिंदी में की जा सकती हैं। निर्धारण आदेश हिंदी अग्रेषण पत्रों के साथ भेजे। पटियाला प्रभार का कार्य पहले की तरह सबसे अच्छा होना चाहिए। गोबिन्दगढ़ में निर्धारण आदेश हिंदी में पारित करने की शुरुआत की गई है। इसे अन्य कार्यालयों में भी अपनाया जाए। तिमाही रिपोर्ट समय पर और ठीक भर कर भेजी जाएं।

दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी

दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी के सभाकक्ष में दिनांक 3.7.2014 को अपराह्न 03.30 बजे बैठक का आयोजन किया गया। उप महानिदेशक (का.), महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बैठक में स्वागत कर बैठक की कार्यसूची के संचालन का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। उन्होंने सदस्य सचिव

को कहा कि कुछ अनुभागों में एवं सेवापंजी की प्रविष्टियों में भी द्विभाषिक मोहरों की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी मोहरों को जल्द–से–जल्द द्विभाषिक बनाया जाए। उन्होंने सभी आदेशों, अंतःप्रसारित ज्ञापन आदि को द्विभाषिक करने के लिए कहा, ताकि द्विभाषी पत्राचार में वृद्धि हो। सदस्य सचिव ने इस बार हिंदी कार्यशाला का विषय–कंप्यूटर टंकण की शिक्षण का प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय ने ''गरिमा'' पत्रिका के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को अंतःप्रसारित ज्ञापन देकर पत्रिका के लिए लेख आमंत्रित करने के लिए कहा।

दूरदर्शन केन्द्र, ईटानगर

श्री सुघर लाल, सहायक अभियंता एवं निदेशक (अभि.) की अध्यक्षता में दूरदर्शन केन्द्र, ईटानगर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कार्यालय के सभा कक्ष में दिनांक 23.6.2014 में आयोजित की गई। उन्होंने सभी सदस्यों' को हिंदी में काम तथा हिंदी में हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया। स्याम पट्ट तैयार करके हिंदी में प्रत्येक दिन एक शब्द को लिखने के लिए तथा द्विभाषी रूप में हिंदी के कार्यों को करने के लिए अनुरोध किया। श्री शैलेन चौधुरी, वरिष्ठ लिपिक ने भी राजभाषा से संबंधित जानकारी सभी सदस्यों को दी। श्री बिनय कुमार सिंह, हिंदी अनुवादक ने पत्राचार पाठयक्रम में नामांकन भेजने के लिए सभी सदस्यों को अवगत कराया तथा अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सरकारी कामकाज हिंदी में टिप्पणी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना चलाई जाती है तथा इस वर्ष भी जारी रखने का निदेश दिया गया है, जिसमें नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, मुख्यालय भोपाल–462013

आयुक्तालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भोपाल में राजभाषा हिंदी की कार्यान्वयन समिति की समीक्षा हेतु आयुक्त श्री दिनेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 30.6.2014 को संपन्न हुई। इस बैठक का आयोजन मुख्यालय स्थित सभागार में हुआ। अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों के समक्ष पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त रखे गए, जिनकी पुष्टि समिति के सदस्यों द्वारा की गयी। तिमाही के आकड़ों की समीक्षा की गई और पाया गया कि आयुक्तालय में हिंदी में कार्य करने के प्रतिशत की संतोषजनक रूप से वृद्धि हुई है। समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में यूनीकोड पर एक कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव है। कार्यालयीन ग्रंथालय के लिए नवीन पुस्तकों की सूची चयनित की जा चुकी है और कुछ पुस्तकें क्रय की जा चुकी हैं। आयुक्त महोदय ने कुछ स्तरीय शब्दकोश भी क्रय करने का आदेश दिया।

आयकर निदेशक (अन्वे.),लुधियाना प्रभार – 141001

आयकर निदेशक (अन्वे.), कार्यालय, लुधियाना प्रभार की बैठक दिनांक 19.5.2014 को श्री एच.एस. सोही, आयकर निदेशक (अन्वेक.), लुधियाना की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी प्रशासनिक कार्य, वित्तीय स्वीकृतियां तथा छुट्टियों के स्वीकृति आदेश इत्यादि में पहले की तरह हिंदी का ही प्रयोग किया जाए। सदस्य सचिव ने कहा कि सभी डाटा एंट्री आप्रेटर को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आयकर उप निदेशक (अन्वे.), श्री आदित्य शुक्ला ने सूचित किया कि आयकर महानिदेशालय (अन्वे.), चण्डीगढ़ कार्यालय द्वारा प्रेषित मानक मसौदों की सी.डी. की मदद से कार्यालय में काफी कार्य हिंदी में किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अधिकारी रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि इस कॉलम में आंकड़े सही भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के आंकड़ों को सही दर्शाने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी की पावती रजिस्टर अलग–अलग लगा लें। रिपोर्टों में टिप्पणी की संख्या के कॉलम में फाइलों की संख्या नहीं बल्कि फाइलों पर कुल टिप्पणियों की संख्या दिखाई जाए। उप आयकर निदेशक (अन्वे.), सुश्री प्रियंका सिंगला ने जानकारी दी कि सेवापंजियों में प्रविष्टियां केवल हिंदी में ही की जा रही हैं एवं सारी नोटिंग भी हिंदी में ही हो रही है।

कार्यशालाएं

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता – 700040

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोलकाता में दिनांक 23.8.2014 को हिंदी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री आर.डी. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में ''भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन'' विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सत्राध्यक्ष श्री आर.डी. शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी प्रतिभागियों तथा हिंदी विशेषज्ञ डॉ. रमेश मोहन झा, हिंदी

प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत किया। डॉ. झा ने प्रतिभागियों की हिंदी भाषा संबंधी अड़चनों से अवगत होते हुए उनकी व्याकरणिक कमियों को दूर करने के गुर सिखाए तथा प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ से राजभाषा नीति विषयक एवं व्याकरण में आने वाली दिक्कतों से संबंधित सवाल किये, जिसका विशेषज्ञ ने सरल तरीके से समझा कर उनका समाधान किया।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, पूर्वो क्षेत्र, गुवाहाटी –781005

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, पूर्वो क्षेत्र, गुवाहाटी में 20 जून, 2014 में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । उपर्युक्त कार्यशाला में गुवाहाटी प्रभार के कार्यालयों से कुल 10 पदाधिकारियों को नामित किया गया था, जिन्हें कार्यशाला के उद्देश्य एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई और अभ्यास कार्य करवाया गया–हिंदी पत्राचार, टिप्पणी तथा मसौदा लेखन (व्याख्याता – श्री रामलाल शर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक), कंप्यूटर पर यूनिकोड का प्रयोग (व्याख्याता – सुश्री निलिमा देवी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक)।

केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता – 700014

केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता में श्री प्रियंकर घोष, निदेशक–सह–अध्यक्ष महोदय एवं श्री विनोद कुमार, सरकारी परीक्षक–सह–उपाध्यक्ष महोदय, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मार्गदर्शन में हिंदी के व्यापक प्रसार–प्रचार करने के संकल्प को दोहराते हुए दिनांक 24.6.2014 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महोदया, श्रीमती पुनम दीक्षित, सहायक निदेशक राजभाषा विभाग, भारत सरकार, निजाम पैलेस, कोलकाता द्वारा विस्तृत रूप से अतिथि व्याख्यान ''कार्यालय में नारी उत्पीड़न और विशाखा दिशा निर्देश'' (''कार्यालय में नारी प्रकोष्ठ'') एवं ''हिंदी राजभाषा के प्रचार–प्रसार में उपयोगी सुझाव'' दिये गये।

एनएचपीसी लिमिटेड, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नराकास, अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों के साथ दिनांक 25.7.2014 को आयोजित की गई विचार – विमर्श बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नराकास के विभिन्नं सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के लिए दिनांक 21.8.2014 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

नराकास के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री ए.के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) महोदय ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाषा की महता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी का प्रचार व प्रसार करना हम सबका संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है। इससे पूर्व डॉ. राजबीर सिंह, प्रमुख (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नराकास, फरीदाबाद ने कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) महोदय तथा डॉ. पूरन चंद टंडन, प्रख्यात लेखक एवं एसोशिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा नराकास के विभिन्न सदस्य कार्यालयों से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉ. पूरन चंद टंडन, प्रख्यात लेखक एवं एसोशिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी के स्वरूप और प्रयोग विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला के अंतिम दो सत्रों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आमंत्रित वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण जी ने उपस्थित प्रतिभागियों को अधुनातन हिंदी सॉफ्टवेयरों के बारे में विशेष रूप से यूनिकोड तथा मंत्रा एवं श्रुतलेखन हिंदी सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी दी।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली – 110016

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 5 सितम्बर, 2014 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संस्थान में आयोजित हिंदी पखवाड़े की एक गतिविधि के रूप में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन निदेशक महोदय ने किया। संस्थान की संयुक्त निदेशक (सा.से.) डॉ. नीलम भाटिया भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। निदेशक महोदय ने उपस्थित सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे संस्थान में पर्याप्त् कार्य हिंदी में हो रहा है और यह कार्यशाला इसे और बढ़ावा देने में सहायक होगी। उन्होंने आशा व्यक्त् की कि कार्यशाला सहभागियों के लिए उपयोगी रहेगी और इससे हिंदी में कार्य करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रांची

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रांची में आयोजित हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 8.9.2014 को किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक

निदेशक (रा.भा.), केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची तथा केन्द्र के वैज्ञानिक–सी डॉ. मो. मजहर आलम ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, नगड़ी, रांची के सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं इस केन्द्र के अधीनस्थ इकाईयों के प्रभारी/वैज्ञानिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। राजभाषा नियम एवं अधिनियम पर सविस्तार प्रकाश डाला एवं ऑनलाईन रिपोर्टिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. रामकुमार, वैज्ञानिक–सी, अनुसंधान प्रसार केन्द्र, गुमला ने हिंदी कार्यशाला पर विशेष तौर पर प्रकाश डालते हुये राजभाषा के विकास पर बल दिया। केन्द्र के वैज्ञानिक–सी डॉ. मो. मजहर आलम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में केन्द्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार शत–प्रतिशत कार्य हिंदी में किये जाने की प्रशंसा की तथा भविष्य में राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया। कार्यशाला का सफल संचालन श्री डी.के. सिन्हा, तकनीकी सहायक के द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अनीता जे. कुजूर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के द्वारा सम्पन्न किया गया ।

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग–793001

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग में दिनांक 9.7.2014 को समूह ''क'' एवं ''ख'' (राजपत्रित) अधिकारियों के लिए एक दिवसीय ''राजभाषा'' कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत आमंत्रित व्याख्याता व प्रतिभागी अधिकारियों के स्वागत के साथ हुई। कार्यशाला दो सत्र में आयोजित की गई। प्रथम सत्र का विषय था –''राजभाषा नियम, 1976'', जिस पर कार्यालय के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री जीवन छेत्री ने राजभाषा से संबंधित संवैधनिक प्रावधान को समझाते हुए पावर पॉइंट प्रस्तुति द्वारा राजभाषा नियम, 1976 पर विस्तारपूर्वक चर्चा–परिचर्चा की। प्रथम सत्र का विषय था ''हिंदी में टिप्पणी लेखन व प्रारूपण''। आमंत्रित व्याख्याता श्री अरूण कुमार प्रधान, हिंदी अधिकारी, नीपको, शिलांग ने टिप्पणी क्या है, कैसे लिखी जाती है, पर विस्तार से व्याख्यान दिया व टिप्पणी लेखन व प्रारूपण के कई रोचक, ज्ञानदायक, उपयोगी उदाहरण भी पेश किये।

एमसीएफ, हासन

30 जून, 2014 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान एमसीएफ–हासन में कार्यरत कार्यालय परिचरों, तकनीकी परिचरों, रसोइयों एवं वाहन चालकों के लिए दिनांक 23 जून 2014 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सत्र संचालन के लिए आई जैक, बेंगलूर से सेवानिवृत हुए वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ. जी.आर. श्रीनाथ को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला सत्र संचालन के दौरान उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से हिंदी कार्यान्वयन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताईं एवं ''हिंदी को कहां और कैसे प्रयोग करना है'' इस पर भी प्रकाश डाला।

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी एवं अनुसंधान सहायकों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से दिनांक 24–6–2014 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला के आरंभ में प्रभारी सहायक निदेशक श्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए कार्यशाला का उद्देश्य एवं उसके रूपरेखा की जानकारी दी। कार्यशाला का उद्घाटन संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री आर.एस. जगताप के कर–कमलों द्वारा हुआ। श्री राजेन्द्र अस्वले, मुख्य प्रशासन अधिकारी ने सरकारी कार्यालयों में हिंदी की उपयोगिता बताई। कार्यशाला में व्याख्याता की हैसियत से श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में 21 अनुसंधान सहायकों ने भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को 'हिंदी कार्यशाला' नामक पुस्तिका का वितरण किया गया।

कोयला खान भविष्य निधि, कोथगूडेम

कोयला खान भविष्य निधि, कोथगूडेम कार्यालय में दिनांक 19 जून, 2014 को राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ''हिंदी कार्यशाला'' का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम संचालक श्री प्रसाद ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय श्री पी.एल.के. रेड्डी ने कार्यशाला में अपने अध्यक्षीय भाषण में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे दैनिक जीवन में भाषा का विशेष महत्व है। हम अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम का सहारा लेते है। हिंदी और अंग्रेजी केंद्रीय प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए दो राष्ट्रीय भाषा हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रीय, सरकारी और मुख्य संपर्क भाषा है। अंग्रेजी एक सहयोगी अधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान में भी आधिकारिक तौर पर शासकीय प्रयोजनों के लिए बाईस क्षेत्रीय भाषाओं को मंजूरी दी गई है।

आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.7.2014 को हुई तिमाही बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कार्यालय में दिनांक 15.9.2014 से 30.9.2014 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाए तथा हिंदी पखवाड़ा के दौरान कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मलटी टास्क स्टाफ के लिए अलग–अलग से एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएं । इस निर्णय के अनुपालन में कर्मचारियों के लिए दिनांक 15.9.2014 को, मल्टी टास्क स्टाफ के लिए दिनांक 16.9.2014 को तथा अधिकारियों के लिए दिनांक 17.9.2014 को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में उन्होंने कार्यालयीन कामकाज में नेमी रूप से प्रयुक्त अंग्रेजी के कुछ वाक्यांशों और उनके हिंदी रूपांतरों पर जानकारी के साथ–साथ हिंदी भाषा में सम्मिलित संस्कृत तथा उर्दू शब्दों की लिंग पहचान के तौर–तरीकों पर व्याख्यान दिया एवं प्रतिभागियों से अभ्यास भी करवाया। इन तीनों कार्यशालाओं का संचालन यू. गायत्री देवी, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने श्री डी.के.एस. रेड्डी हिंदी अनुवादक और श्रीमती वाई. लक्ष्मीबाई, हिंदी अनुवादक के सहयोग से किया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, भंडारा कार्यालय के परिसर में दिनांक 27.6.2014 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री जे.एम. पटेल महाविद्यालय भंडारा की प्राध्यापिका श्रीमती अनिता जायसवाल भंडारा थी। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री के.बी. चौहान, वैज्ञानिक–सी, बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भंडारा एवं श्री पी.जे. कोलारकर, सहायक निदेशक (नि), प्रदर्शन सह तकनीकि सेवा केन्द्र, भंडारा थे । कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एन. आर. सिंघवी, वैज्ञानिक–डी ने की। कार्यक्रम में भंडारा स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड की तीन इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन श्री जी.आर. सावरकर तकनीकि सहायक द्वारा एवं श्री अनिल बालापुरे द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव किया गया।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, पटना के तत्वावधान में दिनांक 9.8.2014 को हिंदी की कार्यशाला आयोजित की गई। पटना अंचल के अंचल प्रबंधक श्री ए.के. कंठवाल ने अपने संबोधन में कहा कि विविधता में एकता वाले हमारे देश में राजभाषा हिंदी जोड़ने का कार्य करती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता व अखंडता की कड़ी है। यह हमारे देश की अस्मिता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय निरीक्षणालय के सहायक महाप्रबंधक श्री ए.के. त्रिपाठी ने कहा कि बेहतर ग्राहक सेवा एवं बैंकिंग व्यवसाय के संवर्धन में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यशाला में उप अंचल प्रमुख श्री जी.के. सिन्हा भी उपस्थित थे। कार्यशाला मुख्यतः यूनीकोड पर आधारित थी। कार्यक्रम का सफल संचालन व समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री सुभाष चंद्र साह ने किया।

आकाशवाणी, नई दिल्ली

आकाशवाणी, नई दिल्ली के सभागार कक्ष में दिनांक 27.6.2014 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का प्रमुख विषय 'कार्यालयीन कार्य व राजभाषा नीति की अनुपालना' था। कार्यशाला के मुख्य वक्ता–जानेमाने लेखक डॉ. इन्दर सैंगर थे। कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत करते हुए उप–महानिदेशक महोदय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने कार्यालय कर्मियों से आह्वान किया कि सभी लोग मनोचित ढंग से राजभाषा हिंदी में अपना कार्य करने का संकल्प लें। अंत में, सहायक निदेशक (राजभाषा) डी.डी. मीना ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कार्यशाला तभी सफल मानी जाएगी जब सभी प्रतिभागी अपनी–अपनी सीट का अधिक–से–अधिक कार्य हिंदी में करने का प्रयास करेंगे।

आकाशवाणी, जगदलपुर

आकाशवाणी, जगदलपुर में 23 जुलाई, 2014 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय 'राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा हिंदी का महत्व' रखा गया। कार्यशाला का संचालन करते हुए शशांक शेन्डे, स्टेनोग्राफर, ग्रेड–दो ने बताया कि महानिदेशालय के निर्देशानुसार प्रति तीन माह में एक हिंदी कार्यशाला किया जाना अनिवार्य है और इसी तारतम्य में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। केन्द्राध्यक्ष महोदय जी आर.एस. परिछा, कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। श्रीमती नारायणी सिंह ने कहा कि हिंदी का प्रचार–प्रसार टी.वी. चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हो रहा है। व्यवसायी इस भाषा का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं इसलिए वे हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी आज भारत के व्यवसाय की मुख्य भाषा हो गई है।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केन्द्र द्वारा दिनांक 29.5.2014 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में ''कम्प्यूटरों में यूनिकोड की स्थापना व हिंदी में कार्य'' विषय पर व्याख्यान एवं अभ्यास की जानकारी तकनीकी रूप से देने के लिए हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, हिंदी शिक्षण योजना '1' कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता कार्यालय के श्री अनूप कुमार, सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को आमंत्रित किया गया था। केन्द्र के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री उत्तम चंद साह ने उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों से विनम्र निवेदन किया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने यूनिकोड सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया है, अतः यूनिकोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजभाषा में टंकण कार्य को सभी प्रशिक्षणार्थी भली–भांति समझें एवं दिन–प्रतिदिन के पत्राचार कार्य में अनिवार्य रूप से प्रयोग भी करें।

आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद में दिनांक 11.6.2014 को लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्राध्यक्ष श्री एम.एस.एस. प्रसाद, उप महानिदेशक (कार्यक्रम) ने की। कार्यशाला में व्याख्यान देने हेतु श्री मोहम्मद कमालुद्दीन, वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद आमंत्रित थे। कार्यशाला का विषय हिंदी व्याकरण रखा गया था। सर्वप्रथम श्रीमती यू. गायत्री देवी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने आमंत्रित व्याख्याता सहित सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा आकाशवाणी महानिदेशालय के अनुदेशों के अनुसार वर्ष में चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जानी हैं। अपने उद्घाटन भाषण में राजभाषा हिंदी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उप महानिदेशक (कार्यक्रम) महोदय श्री एम.एस. एस. प्रसाद ने कहा कि प्रसन्नता की बात यह है कि कार्यालय में प्रति तिमाही हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती रही है और राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है ।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, गुवाहाटी

अपर महानिदेशक (अभियांत्रिकी) का कार्यालय (उत्तर पूर्व क्षेत्र), आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, गुवाहाटी में दिनांक 4.6.2014 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन श्री चंद्र भानु सिंह मौर्य, अपर महानिदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया। कार्यशाला में व्याख्याता के तौर पर डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय नेशनल इंस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, गुवाहाटी आमंत्रित थे। अपने उद्घाटन भाषण में राजभाषा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपर महानिदेशक (अभि) महोदय ने कहा कि कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है और कार्यालय द्वारा समय–समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती रही हैं ताकि अधिकारी और कर्मचारीगण अपना कार्यालयीन काम–काज कुछ हद तक हिंदी में करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला के विषय ''हिंदी में टिप्पण आलेखन'' और ''हिंदी पत्राचार'' बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके द्वारा हिंदी कार्यान्वयन को एक नवीगति प्राप्त होगी। इसके पूर्व श्रीमती उदिता जैन, प्रभारी सहायक निदेशक (राजभाषा), ने आमंत्रित व्याख्याता सहित सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत करते हुए सभी प्रतिभागियों से इसका भरपूर लाभ उठाते हुए इस कार्यशाला को सफल बनाने का निवेदन किया।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 9.9.2014 को किया गया। कार्यशाला में केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की सहायक निदेशक (रा.भा.) डॉ. नरेश बाला ने राजभाषा नीति एवं उस का कार्यान्वयन विषय पर व्याख्यान दिया। डॉ. बाला ने राजभाषा अधिनियम, नियम एवं राजभाषा से संबंधित सांविधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति के अनुपालन के साथ–साथ कार्यालय में प्रतिदिन हिंदी में सहज रूप से होने वाले कार्यों का अभ्यास करवाया। यह कार्यशाला प्रशासन एवं लेखा अनुभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रखी गयी थी। कार्यशाला के प्रारंभ में सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री एन.एल. शर्मा ने डॉ. नरेश बाला का परिचय देते हुए कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी/सम्मेलन

नराकास (बैंक), बेंगलूर

केनरा बैंक ने दिनांक 4.7.2014 को केनरा बैंक, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, चिक्कबल्ला पुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के तत्वावधान में सभी सदस्य कार्यालयों के लिए ''राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की व्यवहारिक समस्याएं'' एवं हिंदी और आई.टी. अनुप्रयोग'' विषय पर ''राजभाषा संगोष्ठी'' का आयोजन किया जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव, सुश्री नीता चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केनरा बैंक के कार्यपालक, निदेशक श्री प्रद्युमन सिंह रावत ने की। कार्यक्रम में केनरा बैंक के प्राथमिकता ऋण व वित्तीय समावेशन विभाग, प्रधान कार्यालय के महा प्रबंधक श्री एस.एस. भट, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री हरिन्द्र कुमार, नराकास (बैंक), बेंगलूर की सदस्य–सचिव व उप महा प्रबंधक श्रीमती सुलेखा मोहन उपस्थित थे। इसके अलावा सदस्य बैंकों के कार्यपालक व राजभाषा अधिकारी भी उपस्थित थे।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक, श्री हरिन्द्र कुमार ने यूनिकोड की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यूनिकोड की वजह से आई टी में हिंदी व भारतीय भाषाओं के उपयोग में सरलता आई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सुश्री नीता चौधरी ने केनरा बैंक राजभाषा अनुभाग द्वारा अनूदित ''के.वाई.सी., आंतरिक नियंत्रण व निवारक सतर्कता'' विषय संबंधी अध्ययन सामग्री का विमोचन किया।

सुश्री नीता चौधरी, सचिव ने अपने संबोधन में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में केनरा बैंक द्वारा किए जा रहे राजभाषा कार्यान्वयन की प्रशंसा करते हुए कहा कि केनरा बैंक 'ग' क्षेत्र में अवस्थित होने के वाबजूद भी 'क' क्षेत्र के बैंकों से अधिक सराहनीय कार्य कर रहा है। केनरा बैंक द्वारा किया जा रहा राजभाषा कार्यान्वयन सराहनीय एवं अनुकरणीय है। सेमीनार के आयोजन पर उन्होंने सभी को साधुवाद दिया और आग्रह किया कि राजभाषा कार्यान्वयन को प्रेरणा व प्रोत्साहन से ही आगे बढ़ाया जाए तथा जनमानस की हिंदी का उपयोग किया जाए। बैठक के बाद सुश्री नीता चौधरी केनरा बैंक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, चिक्कबलापुर के प्रशिक्षुओं से मिलीं। उन्होंने संस्थान के पूर्व प्रशिक्षुओं एवं उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित व प्रेरित करने तथा उनमें कौशल विकास करने में केनरा बैंक के प्रयासों की सराहना की।

नराकास (बैंक), केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर समय–समय पर हिंदी माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन करता रहता है। इसी सिलसिले में नराकास (बैंक), बेंगलूर के तत्वावधान में दिनांक 9.8.2014 को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉ. वेद प्रकाश दुबे द्वारा सुझाए गए विषय ''क्या हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं या विदेशी चश्मे से जो हमें दिखाया गया वही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं?'' पर मस्तिष्क मंथन किया गया तथा साथ ही बैंकिंग के दो अन्य विषयों ''गैर निष्पादक आस्तियों पर नियंत्रण–एक चुनौती'' एवं ''खुदरा बैंकिंग–संतुलित सामाजिक विकास का आधार'' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों/अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

दूसरे कारोबारी सत्र में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के श्री अनुप वाजपेयी, केनरा बैंक के श्री जी. अशोक कुमार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मो. आरिफ खान तथा भारतीय स्टेट बैंक के श्री रवीन्द्र हितनल्ली ने ''गैर निष्पादक आस्तियों पर नियंत्रण–एक चुनौती'' विषय पर आलेख प्रस्तुत किए। इस कारोबारी सत्र की अध्यक्षता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महा प्रबंधक श्री अशोक कुमार अग्रवाल ने की।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, राजकोट

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय, राजकोट द्वारा दिनांक 20–08–2014 को एक राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दो विषय थे। राष्ट्रभाषा स्वरूप, चुनौतियां और संभावनाएं तथा राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार की व्यावहारिक समस्या। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक श्री मोहित शर्मा ने की। संगोष्ठी के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री पी वी सिंह, राजभाषा अधिकारी, पश्चिम रेलवे, राजकोट तथा द्वितीय सत्र के अतिथि वक्ता श्री दीपक पंडया, राजभाषा अधिकारी, बी एस एन एल, राजकोट थे। श्री संतोष कुमार शर्मा कायार्लय प्रबंधक, राजभाषा ने इस संगोष्ठी का संचालन किया।

हिंदी दिवस/पखवाड़ा आयोजन

हिंदी दिवस समारोहः राजभाषा पुरस्कारों का वितरण

14 सितंबर, 2014 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के ओडिटोरियम में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के कर–कमलों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ प्रगति हासिल करने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे।

इन्दिरा गांधी मौलिक पुस्तक लेखन में श्री राजीव रंजन प्रसाद की पुस्तक 'मौन मगध में' तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन में डॉ. शुभ्रता मिश्रा की पुस्तक 'भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र' को प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए। विभाग द्वारा चलाई गई अन्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट लेखों में श्री श्याम किशोर वर्मा एवं बी.यू. दुपारे के लेख 'हिंदी का साहित्यिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं वैधानिक स्वरूपः अतीत और वर्तमान परिदृश्य' हिंदी भाषियों की श्रेणी में तथा डॉ. राकेश कुमार शर्मा के लेख प्रकृति का वरदानः गेहूं का ज्वारा को हिंदीतर भाषियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए। गृह पत्रिकाओं में भाषाई क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' के अंतर्गत 'विद्युत स्वर', 'प्रेरणा', स्पन्दन को प्रथम तथा 'इक्षु', 'सेन्ट्रलाइट', और 'सुगंध' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

सचिव (राजभाषा) ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति और गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि भाषा के तीन वाहक होते हैं– संपर्क, संचार और संस्कृति। जहां तक संपर्क का प्रश्न है हिंदी निःसंदेह देश की सबसे बड़ी संपर्क की भाषा है। भारत में आज 85 से 90 फीसदी जनता ऐसी है जो हिंदी भलीभांति बोलती और समझती है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और यहां भी हिंदी चलचित्र को लोग ज्यादा देखते हैं। इससे हिंदी का विस्तार हुआ है। जहां तक भाषा का प्रश्न है, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और सभी भारतीय भाषाएं परस्पर बहनें हैं। भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर प्रेम और सौहार्द रहना चाहिए। इसी भावना के साथ हिंदी आगे बढ़ेगी। स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाने में हिंदीतर भाषियों की अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी निरंतर आगे बढ़ रही है। सिनेमा के जरिए हिंदी का प्रसार विश्व स्तर पर हुआ है। आज तकनीक की भाषा भी हिंदी बनती जा रही है जो हिंदी के बढ़ते प्रभाव और प्रसार की सूचक है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर हिंदी का मान बढ़ाया था। मैंने भी संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण हिंदी में दिया था। उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि हिंदी को सहजता और सरलता के साथ सर्वग्राहय और सर्व स्वीकार किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने उद्‌बोधन में हिंदी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि यदि भारत की अन्य भाषाएं नदी हैं तो हिंदी महानदी है। लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच प्रशासनिक संपर्क को सशक्त बनाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक उनकी अपनी बोली में पहुंचाने में भाषा सहायक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र प्रगतिशील हो तथा विकास योजनाएं जनता तक सुचारू रूप से पहुंचे तो हमें संघ के कामकाज में हिंदी का तथा राज्यों के कामकाज में उनकी प्रांतीय भाषाओं का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उच्च शिक्षा में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग ने सभी विभागों की वेबसाइट को हिंदी में भी सूचना उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। सभी सरकारी कार्यालयों को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेबसाइटों पर नवीनतम सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध हों जिससे कि जनता को उपयोगी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके। माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल होनी चाहिए। राजभाषा हिंदी के विकास को गति देने में राजभाषा विभाग के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरल हिंदी शब्दावली तैयार की है। इससे सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को बढ़ावा मिलेगा। देश के विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति और शिक्षा के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि विश्व के दौ सौ सर्वोत्तम उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। उन्होंने इसका कारण अपनी भाषा में ज्ञान–विज्ञान का न होना बताया। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में ज्ञान–विज्ञान और तकनीकी पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना एक सराहनीय कदम है।

अंत में सचिव (राजभाषा), सुश्री नीता चौधरी ने माननीय राष्ट्रपति, गृह मंत्री, अन्य मंत्री, सांसद, पुरस्कार विजेताओं तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय और गृह मंत्रीजी ने हिंदी दिवस के अवसर पर जो भी कहा है वह हमारे लिए निर्देश है और हम उसका पालन करेंगे।

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में दिनांक 1 सितंबर, 2014 को हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक, श्री प्रद्युमन सिंह रावत के कर–कमलों से संपन्न हुआ। प्रधान कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों, अन्य कार्यपालकों तथा प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में हिंदी की दीपरूपी अलख जलाकर, हिंदी की गूंज को संसार के कोने–कोने में फैलाने के लिए घंटी बजाकर तथा हिंदी में हस्ताक्षर करके हिंदी में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाकर उन्होंने हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा होने के नाते हिंदी में काम करना तथा हिंदी का प्रचार–प्रसार करना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने सभी विभागों को हिंदी पखवाड़े के अवसर पर अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों का स्वागत श्रीमती सुलेखा मोहन, उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग ने किया। इस अवसर पर प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों के लिए "सवाल हमारा, जवाब आपका" नामक दैनिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया।

17 सितम्बर, 2014 को केनरा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री आर. के. दुबे ने इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जीतने पर सभी कर्मचारियों को तहे दिल से बधाई दी। उन्होंने बताया कि बैंक के उत्पादों तथा सरकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जन–धन योजना, वित्तीय समावेशन आदि को सफलतापूर्वक जन–जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाएं अहम भूमिका निभाती हैं।

बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री प्रद्युमन सिंह रावत ने प्रत्येक कर्मचारियों को अपने दैनंदिन कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। श्री अशोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। श्री श्यामलेन्दु साहा, महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। माननीय गृह मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जारी किए गए संदेशों का वाचन भी उक्त अवसर पर किया गया।

केनरा बैंक, दुर्गापुर, अंचल कार्यालय

अपनी अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही हो सकती है। हृदय की व्यथा तभी अभिव्यक्त हो सकती है, जब मातृभाषा में व्यक्त की गई हो। उक्त बातें 20–09–2014 को केनरा बैंक, दुर्गापुर, अंचल कार्यालय की ओर से आयोजित हिंदी दिवस समारोह में विद्यासागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. दामोदर मिश्र ने कही। कार्यक्रम अंचल कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। सहायक महाप्रबंधक श्री पी एस दत्ताचौधरी ने कहा कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में भी अहम है। इस भाषा के सहारे हम किसी भी राज्य में एक–दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों से राजभाषा का अधिक–से अधिक प्रयोग करने की अपील की। मंडल प्रबंधक एस के दास, मंडल प्रबंधक एम के नाथ, प्रबंधक राकेश कुमार, बिमान बोस मुख्य रूप से उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधक अरूण कुमार सिन्हा ने किया, जबकि संचालन राजभाषा अधिकारी शिवानी तिवारी ने किया।

कार्पोरेशन बैंक और मंगलूर टॉलिक

कार्पोरेशन बैंक और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), मंगलूर ने दिनांक 25 सितंबर 2014 को संयुक्त रूप से हिन्दी दिवस समारोह मनाया। श्री एस.आर. बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्पोरेशन बैंक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अमर लाल दौलतानी और श्री बी.के. श्रीवास्तव भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री प्रह्लाद द्वारा ईश्वर वंदना से हुई। श्री बी.के. श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक ने स्वागत भाषण दिया। अपने भाषण में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि दुनिया के विकासशील और विकसित देशों ने अपनी भाषाओं का प्रयोग करके प्रगति की है। अपने अभिभाषण में श्री एस. आर. बंसल ने विभिन्न कंप्यूटर एप्लिकेशनों को द्विभाषी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्तमान में चल रहे राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन अभियान में हिन्दी और भारतीय भाषाओं की भूमिका को रेखांकित किया। डॉ. ज. प्र. नौटियाल, उप महा प्रबंधक कार्पोरेशन बैंक और सदस्य सचिव, टॉलिक मंगलूर ने हिंदी दिवस आयोजित करने की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हिंदी हमारे देश को राष्ट्रीय पहचान देती है और हिंदी वह धागा है जो पूरे विश्व के भारतीयों को जोड़ता है। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी प्रस्तुत किया।

पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

हिंदी माह के अंतर्गत दिनांक 01–09–2014 को मण्डल कार्यालय, धर्मशाला में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विभिन्न

प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 10–09–2014 को पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, धर्मशाला व नराकास के संयुक्त तत्वावधान से होटल कशिश के सम्मेलन कक्ष में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री पीयूष चतुर्वेदी, मण्डल प्रमुख, पंजाब नैशनल बैंक, धर्मशाला ने की। समारोह में श्री जितेन्द्र शर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक, श्री बी एस पठानिया, मुख्य प्रबंधक, अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व निर्णायक मण्डल के सदस्य श्रीमती रेखा डढवाल, प्रसिद्ध साहित्यकार व श्री अजय पराशर, जन संपर्क अधिकारी भी उपस्थित थे। अध्यक्ष नराकास ने अपने भाषण में कहा कि पंजाब नैशनल बैंक में राजभाषा हिंदी का पर्याप्त प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से यूनिकोड फान्ट, ट्रांसक्रिप्शन आदि सुविधाएं प्रदान करके प्रयासों को गति दी है। नराकास की पत्रिका 'धोलाधार श्री' के 12वें अंक का भी विमोचन किया गया।

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, इन्दौर

अंचल कार्यालय, इन्दौर में दिनांक 20–09–2014 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। माता जीजाबाई महाविद्यालय, इन्दौर से हिंदी साहित्य की प्राध्यापक श्रीमती डॉ संध्या गंगराड़े मुख्य अतिथि थीं। उप महाप्रबंधक श्री एल वी आर प्रसाद, सहायक महाप्रबंधक श्री सी पी दीक्षित, मंडल प्रबंधक श्री रंजन प्रसाद भालेराव व मंडल प्रबंधक श्री चन्द्रपाल सिंह समारोह में उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्रीमती डॉ. संध्या गंगराड़े राजभाषा ने हिंदी की दशा और दिशा विषय पर अपने विचार प्रकट किए। समारोह का समापन, मंडल प्रबंधक श्री चंद्रपाल सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, अंचल कार्यालय, औरंगाबाद

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था श्रमण संस्कृति भारत को फिर से जगदगुरु बनाएंगी। दिनांक 19–09–2014 को हिंदी दिवस समारोह के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. शेख लियाकत मियाभाई, सहायक प्राध्यापक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गारखेड़ा, औरंगाबाद को आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर बोलते हुए यह चिंता जताई कि भारतीय संस्कृति एवं भाषाएं आज खतरे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। श्री राजीव गोयल, उप महाप्रबंधन ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि राजभाषा हिंदी की अमलबजावनी में औरंगाबाद अंचल अव्वल स्थान रखता है। सुश्री गरिमा सहायक प्रबंधन ने सूत्र संचालन किया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, नगड़ी, रांची

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, हेहल, रांची में हिंदी दिवस सह पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 01.09.2014 से 15.09.2014 तक किया गया। पखवाड़े का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके केंद्र के वैज्ञानिक–डी डॉ. सीएच. सुधाकर बाबू ने किया। कार्यक्रम में क्षे.रे.उ.अ.के., रांची के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वैज्ञानिक–डी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है जो भारत में सर्वत्र बोली एवं समझी जाती है। केंद्र के वैज्ञानिक–सी डॉ. मो. महजर आलम के द्वारा रेशम बोर्ड के माननीय सदस्य सचिव का संदेश भी पढ़ा गया। केंद्र के वैज्ञानिक–सी डॉ. मो. महजर आलम ने हिंदी दिवस सह पखवाड़ा पर विशेष तौर पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा के विकास पर बल दिया। हिंदी दिवस सह पखवाड़े के दौरान केंद्र में दिनांक 08.09.2014 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची ने तकनीकी कार्य को हिंदी में कैसे किया/लिखा जाए इसके संबंध में विस्तृत रूप में बतलाया।

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची में दिनांक 01.09.2014 से 15.09.2014 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दो हिंदीतर भाषी वैज्ञानिकों को नगद व एकमुश्त पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा संस्थान में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्य करने वाले अनुभागों को राजभाषा चल शील्ड एवं प्रशस्ति–पत्र से सम्मानित किया गया। अधिक पत्राचार करने वाले अनुभागों में पी.एम.ई.सी. अनुभाग को राजभाषा चलशील्ड एवं भंडार अनुभाग को प्रशस्ति–पत्र, कम पत्राचार करने वाले अनुभागों में प्रशिक्षण अनुभाग को राजभाषा चलशील्ड एवं वाहन अनुभाग को प्रशस्ति–पत्र तथा वैज्ञानिक अनुभागों में फार्म प्रबंधन अनुभाग को राजभाषा चलशील्ड एवं रसायन अनुभाग को प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।

डॉ. एस.पी.शर्मा, वैज्ञानिक–डी ने गृह मंत्री, डॉ. ए.के. सिन्हा, वैज्ञानिक–डी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री, डॉ. वरूण कुलश्रेष्ठा,

वैज्ञानिक–डी ने वस्त्र राज्यमंत्री, डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक–डी ने अध्यक्ष, केंद्रीय रेशम बोर्ड, श्रीमती सुष्मिता दास, वैज्ञानिक–सी ने वस्त्र सचिव, भारत सरकार एवं डॉ. ज्योत्सना तिर्की, वैज्ञानिक–डी ने सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त संदेशों का वाचन किया। संस्थान के निदेशक ने मंगलदीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. आलोक सहाय, निदेशक ने राजभाषा हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए संस्थान में हो रहे राजभाषा कार्यों में लगातार वृद्धि की प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉ. अजीत कुमार सिन्हा, वैज्ञानिक–डी सहित संस्थान के अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का प्रारंभ श्रीमती सुनीता मुखर्जी, वैज्ञानिक–सी के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुति के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. वी.पी. गुप्ता, वैज्ञानिक–डी द्वारा किया गया।

आकाशवाणी, पणजी, गोवा

आकाशवाणी, पणजी, गोवा में सितंबर के पहले पखवाड़े को हिंदी पखवाड़ा के रूप में राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए मनाया गया। इस दौरान हिंदी कोंकणी–मराठी में 'विविधा', हिंदी कार्यशाला और हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आकाशवाणी पणजी के कार्यालय अध्यक्ष श्री रवीन्द्र खासनीस ने दिनांक 04.09.2014 को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के संविधान में हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है। आकाशवाणी, पणजी में हिंदी, कोंकणी, मराठी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रसारण होता है, साथ ही राजभाषा समिति के आयोजनों में कोंकणी और मराठी भाषाओं में भी विविध प्रस्तुति की जाती है। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. रवीन्द्रनाथ मिश्र अधिष्ठाता भाषा संकाय गोवा विश्वविद्यालय का स्वागत श्रीमती मनीषा शेट ने किया। 'राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकास' – विषय पर व्याख्यान करते हुए डॉ. मिश्र ने कहा कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। इस अवसर पर श्री विवस्वान आर्य कार्यक्रम निष्पादक और श्री मनोज सोनोने समाचार संपादक ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के साथ राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं को व्यवहार में लाने का अनुरोध किया। समारोह का संचालन श्री खगेश्वर प्रसाद यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया। हिंदी दिवस समारोह को श्री वेणिमाधव बोरकार, श्री रवीन्द्र खासनीस, श्री खगेश्वर प्रसाद यादव, श्री गोपाल चिप्प लकट्टी, श्री विनय खेडेकर और श्री संतोष पांडगांवकर ने संबोधित करते हुए भारत के संविधान की भावना के अनुरूप राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास का आह्वान किया ।

आकाशवाणी, इंदौर

राजभाषा विभाग और आकाशवाणी महानिदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में आकाशवाणी, इंदौर में हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 1 से 15 सितंबर, 2014 तक किया गया। इस दौरान केंद्र में 15 दिवसीय राजभाषा पत्रिका प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के अलावा अन्य केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि की गृह पत्रिकाएं अवलोकनार्थ रखी गईं।

हिंदी पखवाड़े और प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्राध्यक्ष श्री एस.के. कदम, उप निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख डॉ. रेखा वासुदेव, सहायक निदेशक (कार्यक्रम), श्री एल.एल. पटेल, उप निदेशक (अभि.) और श्री सुनील कुमार तिवारी, समाचार संपादक विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री कदम ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि केंद्र में हम अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करते हैं। समारोह में कार्यक्रम प्रमुख डॉ. रेखा वासुदेव, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में अपना योगदान देना चाहिए। श्री रमेश चन्द्र आर्या, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने मंचासीन पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए स्वागत भाषण दिया। इस सुअवसर पर श्री एल.एल. पटेल, उप निदेशक (अभियांत्रिकी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शुभ कामनाएं दीं।

श्री सुनील कुमार तिवारी, समाचार संपादक ने भी हिंदी एकांश के इस आयोजन को एक बगीचे के रूप में होना निरूपित किया, जिसमें भिन्न–भिन्न भाषा–भाषी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हिंदी की सुगंध को चहुं ओर फैलाते हैं। श्री त्रिम्बक वि. चांदोरकर, हिंदी अनुवादक ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए हिंदी पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी और अंत में मंचासीन पदाधिकारियों सहित सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्य अतिथि श्री जे.एस अहिरवाल ने प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के उपरांत संबोधित करते हुए कहा कि जब हिंदी की गंगा ऊपर से बहेगी तो फिर वह सारे देश में बहने लगेगी और अब

इसकी शुरुआत हो चुकी है। अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में श्री एस.के. कदम, उप निदेशक (अभियांत्रिकी) ने कहा कि हिंदी ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है, देश में हिंदी राजभाषा है और अब शीघ्र ही यह पूरी तरह से राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत डोमेन जारी हुआ है, जिसके माध्यम से हमें सारी जानकारी अब हिंदी में उपलब्ध हो सकेगी।

आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी, हैदराबाद के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 12–09–2014 को किया गया। श्री मोहम्मद खमरूद्दीन, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), श्री पी राजेश्वर रेड्डी, सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी) और श्री एस सूर्य नारायण जे, प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में उपस्थित थे। श्रीमती यू गायत्री देवी, सहायक निदेशक, राजभाषा ने पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं एवं विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिए, मल्टी टास्क स्टाफ के लिए और अधिकारियों के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। उप महानिदेशक (कार्यक्रम) महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारत सरकार ने राजभाषा में कामकाज करने के प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं और सभी को इनका पूरा–पूरा लाभ उठाना चाहिए।

दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल

केंद्र में हिंदी पखवाड़ा दिनांक 01–09–2014 से 15–09–2014 तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पखवाड़े का उद्‌घाटन आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री हरीश सिंह चौहान, केन्द्र के निदेशक महोदय, समाचार प्रमुख एवं कार्यक्रम प्रमुख के हाथों दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। पखवाड़े के समापन समारोह में केंद्र के प्रोग्राम अनुभाग से श्री एस एन सिंह ने बताया कि मेरे विचार से हिंदी पखवाड़े के स्थान पर राजभाषा पखवाड़ा लिखना ज्यादा उचित रहेगा। पखवाड़े के उद्‌घाटन में आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री हरीश सिंह चौहान ने बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और साथ ही यह संघ की राजभाषा भी है। हमें अपनी मातृभाषा में कार्य करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पखवाड़े के समापन समारोह में आमंत्रित मुख्य अतिथि श्रीमती प्रतिभा सोम ने बताया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, जिसमें क्षेत्रीय व अन्य भाषाओं के शब्द भी समाहित हैं जैसे तमिल, तेलगु, सिंधी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादी।

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में दिनांक 1 से 15 सितम्बर, 2014 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में आयुध निर्माणी, अंबाझरी के वित्त एवं लेखा नियंत्रक डॉ राजीव चव्हाण मुख्य अतिथि थे। श्री बी बी तुरकर, अभियांत्रिकी प्रमुख, श्री निसार खान, कार्यक्रम निष्पादक तथा डॉ लोकेन्द्र सिंह, विशेष अतिथि ने इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन रवीन्द्र कुमार मिश्रा, प्रभारी हिंदी अधिकारी द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन श्री अतुल भुसारी, कार्यक्रम निष्पादक ने किया।

आकाशवाणी, कोलकाता

उप महानिदेशक (कार्यक्रम) का कार्यालय अकाशवाणी, कोलकाता, अपर महानिदेशक (पू. क्षे.) तथा वि. प्र. सेवा, आकाशवाणी, कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 1–9–2014 से 16–09–2014 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। केन्द्र के उप महानिदेशक (कार्यक्रम), सुश्री स्वप्ना मंडल ने उद्‌घाटन समारोह में उपस्थित तीनों कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बढ़–चढ़कर भाग लेने को कहा तथा राजभाषा में पखवाड़ा के दौरान वर्ष भर कार्य करने का निदेश दिया। श्री एच सी देबनाथ, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) ने कहा कि राजभाषा में कार्यालय के कार्य को अधिक–से–अधिक मात्रा में लिखित रूप से तथा यूनिकोड साफ्टवेयर के माध्यम से करना हर अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग का कर्तव्य है। हिंदी पखवाड़ा 2014 का पूरा कार्यक्रम श्री उत्तम चंद साह, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने श्री अनिल कुमार वरिष्ठ उद्‌घोषक, श्रीमती शिखा भट्टाचार्य, हिंदी अनुवादक, श्री सुबीर दत्त, हिंदी अनुवादक तथा श्री अंजनी कुमार, हिंदी टंकक एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से किया।

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव में राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी सप्ताह का आयोजन 12 सितम्बर, 2014 को किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक (अभियांत्रिकी) एवं केंद्र प्रमुख श्री संजय एम बोदेले ने की। कार्यक्रम विभाग प्रमुख

श्री आर के गोविंदराजन, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि के रूप में अन्नासाहेब जी डी बेंडाले महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख संजय रणखांबे भी उपस्थित थे। डॉ संजय रणखांबे ने हिंदी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का सोदाहरण उल्लेख करते हुए अपने विचार व्यक्त किये। श्री संजय एम बोदेले ने अध्यक्षीय भाषण में कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करना दिन–ब–दिन आसान हो रहा है, से अवगत कराया। 15 सितम्बर, 2014 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला संपन्न हुई । इस कायर्शाला में क्षेत्रीय कार्यालय सेंट्रल बैंक ऑफ इडिया के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

ग्रेफ केन्द्र, दिघी कैम्प, पुणे

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने व कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रेफ सेन्टर एवं अभिलेख कार्यालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 14 सितम्बर 2014 तक हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस/पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिंदी टंकण, कविता पाठ एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस/पखवाड़े के दौरान हिंदी को बढ़ावा देने हेतु स्लोगन एवं अच्छे विचारों से संबंधित बैनर लगाए गए। 15 सितम्बर को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह की अध्यक्षता कर्नल अजय बत्रा, कमान्डेन्ट, ग्रेफ केन्द्र एवं प्रभारी अधिकारी अभिलेख ने की। ग्रेफ केन्द्र एवं अभिलेख कार्यालय में हिंदी का उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम कार्य के लिए राजभाषा चल शील्ड ग्रेफ रिकार्ड को प्रदान की गई।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में दिनांक 1 से 14 सितम्बर, 2014 तक राजभाषा पखवाड़ा और दिनांक 15–09–2014 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। डॉ श्री पी के जैन, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त ने निगम के महानिदेशक द्वारा जारी की गई अपील को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यालयीन काम में हिंदी का ज्यादा–से–ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर पर नगर–द्वय हैदराबाद–सिकंदराबाद के जाने–माने कवियों को आमंत्रित कर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बेल्लारी रोड, बेंगलूर

राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान में हिंदी सप्ताह दिनांक 08 सितम्बर, 2014 से 14 सितम्बर, 2014 और हिंदी दिवस दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को मनाया गया। सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग–अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस कार्यक्रम के लिये मंच पर डॉ विनीत कुमार चड्ढा, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (पीएचसी), मुख्य अतिथि के रूप में श्री रंगा नायाकुलू जी– शिक्षक केन्द्रीय विद्यालय, हेब्बाल, बेंगलुरु एवं डॉ. सी रविचन्द्र, सदस्य सचिव राजभाषा मंच पर मौजूद थे। श्रीमती संगीता एन वरिष्ठ सांख्यिक अधिकारी, डॉ. रविचन्द्र, मुख्य चिकित्सक अधिकारी, डॉ. सनत कुमार त्रिपाठी, क्षयरोग विशेषज्ञ, श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, श्री जमील अहमद एवं श्री जॉयदेव गुप्ता को हिंदी सप्ताह के दौरान सभी प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक दल में शामिल किया गया।

रंगानदी जल विद्युत संयंत्र, याजली अरुणाचल प्रदेश

रंगानदी जल विद्युत संयंत्र के मानव संसाधन विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 1 सितम्बर, 2014 से 14 सितम्बर, 2014 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 1–9–2014 को रंगानदी जल विद्युत संयंत्र के सभागार कक्ष में मुख्य अतिथि श्री मोहन लाल कुम्हार, वरिष्ठ प्रबंधक (वि/या), रेह्प के कर–कमलों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय ने अपने व्याख्यान में कहा कि कार्यालय के कामकाज में हिंदी को अधिक–से–अधिक प्रयोग करना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं प्रबंधक (मा. सं.) रेह्प के उद्बोधन के पश्चात श्री ज्योति प्रकाश मिश्र द्वारा नीपको नामक कविता का सुर–ताल के साथ मंचन किया गया। अंत में, श्री पुरुषोत्तम मिश्र, असिस्टेंट (एस. जी) रेह्प मानव संसाधन विभाग, रेह्प, नीपको लिमिटेड, याजली, अरुणाचल प्रदेश द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

मथुरा रिफाइनरी

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के आदेश के अनुपालन में मथुरा रिफाइनरी में 15 सितंबर से 28 सितंबर, 2014 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा 15 सितंबर को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के साथ प्रारंभ हुआ जिसमें कार्यकारी प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा नियम, अधिनियम व प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर किशोरी रमण महाविद्यालय मथुरा के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

नराकास (उपक्रम), दिल्ली की 39वीं बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली की 39वीं बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 28.7.2014 को पूर्वाह्न 11:30 बजे स्कोप ऑडिटोरियम, लोदी रोड, नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री नीता चौधरी, सचिव (राजभाषा), भारत सरकार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी के प्रख्यात लेखक प्रो. केदार नाथ सिंह तथा प्रसिद्ध उड़िया लेखिका पद्मश्री डॉ. प्रतिभा राय ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। आयोजन में श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, श्री सी.एस. वर्मा, नराकास अध्यक्ष तथा सेल चेयरमैन, श्री एच.एस.पति, समिति के उपाध्यक्ष तथा सेल के निदेशक (कार्मिक) भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम, नराकास के सदस्य सचिव श्री हीरा वल्लभ शर्मा ने मंचासीन सभी महानुभावों तथा विभिन्न उपक्रमों से पधारे उच्चाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन किया और दीप प्रज्ज्वलन के बाद बैठक की कार्रवाई आरम्भ की गई। इसके बाद श्री एस.पी. गुप्ता, महाप्रबंधक (प्रशासन एवं एविएशन), सेल ने स्वागत भाषण दिया और नराकास (उपक्रम), दिल्ली की भावी कार्ययोजना प्रस्तुत की। तत्पश्चात श्री हरिन्द्र कुमार, निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सदस्य उपक्रमों द्वारा नराकास सचिवालय को भेजी गई छ:माही रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत की।

अपने संबोधन में नराकास संरक्षक तथा निदेशक (कार्मिक), सेल श्री एच.एस. पति ने कहा कि नराकास (उपक्रम), दिल्ली हमें एक मंच देता है जहां सभी सदस्य उपक्रम हिन्दी प्रचार-प्रसार की दिशा में किए जा रहे अपने कार्यों और उनसे जुड़े अनुभवों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और साथ ही, उन कार्यों पर भी आपस में विचार-विमर्श कर सकते हैं जो अभी योजना रूप में हैं। उन्होंने कहा कि नराकास (उपक्रम), दिल्ली द्वारा बनाए गए वेबपेज से आपस में विचारों के आदान-प्रदान में काफी मदद मिली है और मिलजुलकर कार्य करना सुगम हुआ है। उन्होंने अधिकाधिक सदस्य उपक्रमों से नराकास गतिविधियों में सहभागिता का आह्वान किया और इस दिशा में एकजुटता से आगे बढ़ने की आशा व्यक्त की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा मंचासीन महानुभावों द्वारा नराकास पत्रिका 'इन्द्रप्रस्थ स्वर' के पंचम अंक का विमोचन भी किया गया। इसी क्रम में हिंदी के प्रख्यात रचनाकार प्रो. केदार नाथ सिंह तथा प्रसिद्ध उड़िया लेखिका पद्मश्री डॉ. प्रतिभा राय को 'नराकास साहित्य सम्मान' से सम्मानित किया गया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रो. केदार नाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि यूँ तो मुझे कई सम्मान मिले हैं पर नराकास साहित्य सम्मान मेरे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह सम्मान मुझे राजभाषा के प्रचार-प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य करने वालों के द्वारा दिया गया है। विडंबना यह है कि लंबे समय से यह कार्य चलने के बावजूद आज भी हिन्दी को हम दिल से राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं और राजभाषा की दिशा में किए जाने वाले प्रयास खानापूर्ति बनकर रह जाते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल हिंदी को सरल और

बोधगम्य बनाने का है। संगठन स्तर पर हमें चाहिए कि हम पूरे देश में हिंदी विभाग में कार्य करने वाले लोगों की प्रतिभा का पूरा दोहन करें। इस लिहाज से नराकास (उपक्रम), दिल्ली की प्रतिनिधि पत्रिका 'इन्द्रप्रस्थ स्वर' एक सराहनीय प्रयास है।

कार्यक्रम की हिन्दीतरभाषी विशिष्ट अतिथि और उड़िया लेखिका डॉ. प्रतिभा राय ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'नराकास साहित्य सम्मान' उनके लिए अनन्य है और उसके लिए वे नराकास (उपक्रम), दिल्ली का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए लेकिन एक संपर्क भाषा की आवश्यकता तो हम सभी को है। अफसोस की बात यह है कि स्वाधीन होते ही हम उड़िया, बांगला, कन्नड़ हो गए। अब हमें एक बार फिर संगठित होने और एक संपर्क भाषा बनाने की जरूरत है। आज भी जब हम विदेश जाते हैं तो वहां के बिल्कुल भिन्न माहौल में अपनी भारतीयता महसूस करते हैं, लेकिन भारत में रहते हुए अपनी राष्ट्रीयता भूल जाते हैं। हमें राजभाषा को शक्तिशाली बनाना होगा।

समारोह की मुख्य अतिथि सुश्री नीता चौधरी, सचिव (राजभाषा), भारत सरकार ने बैठक एवं समारोह के सफल आयोजन के लिए सबको बधाई दी और कहा कि वे राजभाषा के वर्तमान और भविष्य, दोनों को ही लेकर आशान्वित हैं। विभिन्न सरकारी उपक्रम तो हिन्दी में कार्य कर ही रहे हैं, डॉ. प्रतिभा राय जैसे अहिन्दी भाषी रचनाकार भी राजभाषा के कार्य को आगे बढ़ाने में महती योगदान दे रहे हैं। जहाँ लोगों को हिंदी की लिपि नहीं आती, वहाँ भी लोग अब न केवल हिंदी समझ लेते हैं, बल्कि कामचलाऊ बोल भी लेते हैं। हिंदी को सहज बोलचाल का बनाना आवश्यक है तभी हम इसके उन्नयन के अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाएंगे।

इस अवसर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु उत्कृष्ट गृहपत्रिका प्रकाशन के लिए विजेता उपक्रमों को सचिव महोदया तथा उपस्थित गणमान्यों द्वारा नराकास श्रेष्ठ गृह पत्रिका शील्ड से सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार सेल की गृहपत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' को प्रदान किया गया। साथ ही, ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नगर स्तरीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन करने के लिए वर्ष 2013-14 का आयोजक सम्मान भी प्रदान किया गया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में नराकास के अध्यक्ष और सेल चेयरमैन श्री सी.एस. वर्मा ने कहा कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भाषा ही करेगी। बड़े-बडे देशों की सफलता में भाषा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत में भी हमें यही करके दिखाना है। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी राजभाषा के प्रयोग संबंधी नियम-कायदे लागू हों। उन्होंने कहा कि भाषा अपने आप में साध्य न होकर एक साधन है। हमें अपनी कंपनी के उद्देश्य पूरे करने हैं और हमारी डेढ़ लाख की श्रमशक्ति को संगठित करने का कार्य भाषा ही कर सकती है। भाषा ही है जो तमाम विविधताओं के बावजूद हममें एकता का भाव जगा सकती है।

अंत में, सदस्य सचिव, नराकास ने मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यों तथा विभिन्न उपक्रमों से आए प्रतिनिधियों को उनकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और इसके साथ ही बैठक को विराम मिला।

राष्ट्र की रीढ़ की मज़बूती का प्रतिमान - 'सेल '

भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपना भाग्य संवारना आरंभ किया क्योंकि उस समय पूर्वजों के सपने साकार होने आरंभ हो गए थे। 'महारत्न' स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कम्पनी है। घरेलू तैयार इस्पात उत्पादन में इसका हिस्सा करीब 1/6 है। कंपनी का सकल कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपये का है और भारत भर से इसमें करीब 1,00,000 लोग काम करते हैं। सेल के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा संचालित प्रमुख कारखाने भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भद्रावती और सेलम में हैं। ये सभी कारखाने आइएसओ प्रमाणित हैं। सेल का केंद्रीय विपणन संगठन भारत का सबसे बड़ा इस्पात विपणन प्रतिष्ठान है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत भर में इसके पास करीब 131 बिक्री कार्यालयों/गोदामों का वितरण जालतंत्र एवं देश भर में फैला 2,770 डीलरों से अधिक का व्यापक नेटवर्क है।

वर्तमान में सेल अपने चेयरमैन श्री सी. एस. वर्मा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण और विस्तार की व्यापक योजना को मूर्त रूप दे रहा है। लगभग 72,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ यह योजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है। इसके पूरा होते ही कंपनी की तप्त धातु क्षमता 2012–13 के 14.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर विस्तार के बाद लगभग 23.5 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। उत्पादन को बढ़ाने के अलावा, यह बहु–स्तरीय योजना अधुनातन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और प्रौद्योगिकीय बाधाएं दूर करके लागत प्रतिस्पर्धा की जरूरत, ऊर्जा खपत में कमी लाने, उत्पाद मिश्र को समृद्ध करने, प्रदूषण घटाने, खानों और कोयला खदानों को विकसित करने, ग्राहक केंद्रित प्रक्रियाएं आरंभ करने और अनुकूल ढांचागत सुविधाएं विकसित करने पर बल देती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की राउरकेला स्टील प्लांट वाली महत्वाकांक्षी क्षमता विस्तार योजना लगभग पूर्ण हो गई है जबकि बर्नपुर और भिलाई में वृहत विस्तार योजना अगले एक वर्ष के दौरान पूरी हो जाने की संभावना है।

उत्पादन के वर्तमान चरण में वृद्धि के साथ, सेल कुछ नए उत्पादों को भी शामिल करेगी जैसेः फासनर द्वारा प्रयुक्त ग्रेडों में वायर रॉड, एमआइजी इलेक्ट्रॉड्स, हाई कार्बन वायर एप्लीकेशंस इत्यादि। बोकारो इस्पात कारखाने की नई कोल्ड रोलिंग मिल्स वाइट गुड्स, ऑटोमोटिव एवं अन्य अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाली अधुनातन सामग्री का उत्पादन करेगी। सेल अपने इस्को इस्पात कारखाने एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाने कीं अपनी नई मिलों से यूनिवर्सल सेक्शन्स की व्यापक रेंज का उत्पादन करेगी। ये यूनिवर्सल सेक्शन्स पारंपरिक बीमों के स्थान पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनसे इस्पात जरूरतों के मामले में ग्राहक को काफी बचत होगी। राउरकेला इस्पात कारखाने की नई प्लेट मिल अब 100 मिमी मोटाई और 4,200 मिमी तक की चौड़ाई वाली प्लेटों की आपूर्ति कर सकती है जो एपीआई, एक्स 70/80 बॉयलर क्वालिटी इत्यादि सहित सभी तरह की हाई ग्रेड एप्लिकेशन के लिए उपयुक्त हैं।

अपनी आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के एक भाग के रूप में, सेल ने पर्यावरण प्रबंधन पर परिचालन के मुख्य क्षेत्र के रूप में ध्यान केन्द्रित किया है। चूंकि इस्पात बनाना एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें लौह अयस्क, कोयला, चूना–पत्थर, पानी इत्यादि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी भारी मात्रा में उपयोग होता है, अतः कंपनी संबधित नियमों, विनियमों और कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कंपनी हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि विनियामक अपेक्षाओं की विधिवत पहचान की जाए और उनका समुचित अनुपालन किया जाए। सेल केवल वैधानिक अपेक्षाओं का ही अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता रहा हैं बल्कि इस दिशा में और आगे बढ़कर उसने विभिन्न पहलें/कार्रवाइयां की हैं। सेल के कारखानों में नई स्वच्छ और ग्रीन प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल की जा रही हैं जिनसे प्रदूषण, ऊर्जा की खपत घटाने और अपशिष्टों के उपयोग में बढ़ोत्तरी के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। हमारे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पानी और ऊर्जा की खपत में कमी आई है और इस्पात निर्माण से निकले अपशिष्टों का उपयोग बढ़ाने इत्यादि में भी मदद मिली है।

सेल का इस्पात अपनी क्वालिटी, मजबूती, किस्मों की विविधता, मूल्य और निष्पादन के बल पर विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। सेल के टीएमटी रिबार्स एवं सेल ज्योति (गैल्वेनाइज्ड शीट) जैसे ब्राण्डेड उत्पाद देश भर में आम आदमी द्वारा व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। उत्पादों की अपनी व्यापक रेंज के साथ सेल ने राष्ट्र के ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे रेलवे हो या हवाई अड्डे, पुल, बांध हों या बैराज, भवन, वाणिज्यिक इमारतें, परिसर हों या तेल शोधन कारखाने, ग्रामीण सड़कें, राजमार्ग या फिर फ्लाइओवर – इन सभी क्षेत्रों में कंपनी ने अनेकानेक परियोजनाओं में अपना भरपूर योगदान दिया है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैंः मुंबई में बना नया बांद्रा वर्ली सी–लिंक, पटना में गंगा पुल, सीपत में एनटीपीसी पॉवर प्रॉजेक्ट, कोलकाता में गिरीश बाजार फ्लाई ओवर, इलाहाबाद में बना नैनी पुल और कश्मीर में बनी पीर पंजाल रेलवे सुरंग।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की उस समय महत्वपूर्ण जीत हुई जब भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो में सेल के कारखानों में 26,000 टन हाई ग्रेड "वारशिप स्टील" का निर्माण किया गया। इस स्टील का उपयोग 'आईएनएस विक्रांत' (जो कि वर्तमान में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन है) को तैयार करने में किया गया है। 'आईएनएस विक्रांत' भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका जलावतरण अगस्त 2013 में कोचीन शिपयार्ड में किया गया। इसके साथ–साथ, सेल 40 से अधिक अन्य नौसैना परियोजनाओं के लिए भी इस्पात की आपूर्ति कर रही है। हाल ही में, सेल द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने में निर्मित स्पेशल ग्रेड हाई–टेन्साइल स्टील (डीएमआर 249 ए) का प्रयोग आईएनएस कामोर्ता बनाने के लिए किया गया जो पहली स्वदेशी पनडुब्बी–रोधी कॉरवेट के साथ–साथ भारत निर्मित पहला स्वदेशी स्टील्थ कॉरवेट है। इसे 23 अगस्त, 2014 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सेल वर्तमान में दीर्घावधिक सामरिक योजना "विजन 2015" पर भी काम कर रही है जो कंपनी को 50 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के लक्ष्य की ओर ले जाएगी। 'विजन 2015' से न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में सेल का योगदान बढ़ेगा बल्कि इससे सेल का नाम दुनिया की शीर्ष इस्पात निर्माता कंपनियों में शुमार हो जाएगा।

'लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने' के दर्शन और सिद्धांत के साथ सेल अपनी शुरुआत के दिनों से ही निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत नई–नई पहलों को लेते हुए उन्हें कार्यान्वित करता रहा है। कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास की आवश्यकता को समझती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आय–सृजन और महिला सशक्तिकरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भी ठोस कार्य करती रही है। कंपनी की टैगलाइन 'हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सेल' इस तथ्य का प्रतीक है कि पिछले पांच दशकों में यह कम्पनी सुदृढ़ से सुदृढ़तर होती रही है और सेल ब्राण्ड लोगों के दिलों दिमाग पर छाया हुआ है।

कंपनी की व्यावसायिक दार्शनिकता तिहरे आधार दृष्टिकोण पर टिकी है जिसमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयाम शामिल हैं। इससे प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक पूंजी का निर्माण करने और भारत के विकास तथा प्रगति में मज़बूत आधार प्रदान करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

पाठकों के पत्र

'राजभाषा भारती' का अंक 139 पाठकों के लिए सुंदर उपहार है। इसे आकर्षक एवं रोचक प्रस्तुत करने वाले संपादक मण्डल बधाई के पत्र हैं। विविध विषयों पर लेख पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं। सुझाव है कि मुख पृष्ठ में भी विविधता हो।

बी जयकुमार, कॉर्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली

राजभाषा भारती का जुलाई 2013–जून 2014 वार्षिकांक में बहुत अच्छी और सामयिक जानकारी मिली। सारगर्भित और प्रासंगिक जानकारी के लिए धन्यवाद। बिजली की बचत और सौर ऊर्जा के बारे में लेख बेशक सराहनीय और उल्लेखनीय हैं क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरत के लिए अधिक उत्पादन के साथ बचत की भी जरूरत है। ऊष्मा की रोचक बातें सचमुच रोचक लगी ही ज्ञानवर्धक भी हैं। कंप्यूटर पर शब्द संसाधन लेख भी अच्छा है। इसकी जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से यूनिकोड, एक्टिव करने जैसे कुछ काम खुद भी किए जा सकते हैं। पुनः बधाई।

प्रदीप कुमार, उप संपादक,
मनोरमा इयर बुक, केरल

मैं विगत 30 वर्षों से राजभाषा भारती पढ़ता रहा हूँ। मुझे इस बार राजभाषा भारती अंक 139 को पढ़कर विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हुई, चूंकि पत्रिका का कलेवर, साज–सज्जा, गुणवत्ता पूरी तरह बदली हुई मिली है। जगह–जगह राजभाषा के निर्देश तथा सभी समसामयिक लेख, जैसे–शिक्षा का अधिकार, वैश्वीकरण और हिंदी, समय प्रबंधन तथा कम्प्यूटर पर शब्द संसाधनः भारतीय भाषा संदर्भ लेख– विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। पत्रिका की गुणवत्ता में निखार देखकर हृदय गदगद हो गया। इसके लिए आपको और आपके संपादक मंडल को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

वेद प्रकाश गौड़, निदेशक राजभाषा,
संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली

आपके कार्यालय की त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का 138वां अंक (अप्रैल–जून 2013) प्राप्त हुआ। एतदर्थ धन्यवाद। राजभाषा भारती पत्रिका वास्तव में हिंदी के साथ अन्य सामयिक विषयों में नवीनतम जानकारी प्रदान कर रही है। इसमें समाविष्ट सभी सामग्री पठनीय, ज्ञानवर्दक एवं उच्च स्तरीय है। राजभाषा संबंधी गतिविधियों से ज्ञात होता है कि राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार व्यापक स्तर पर हो रहा है। पत्रिका के श्रेष्ठ संपादन, संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई का पात्र हैं। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

एम ए आब्दी, उप महालेखाकार,
मध्य प्रदेश,

आपके कार्यालय से प्राप्त त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका राजभाषा भारती 138वां अंक (अप्रैल–जून 2013) की प्राप्ति से सुखद अनुभूति हुई। पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन श्रेष्ठ होने के साथ–साथ इसमें समाहित लेखों, रचनाओं का संकलन भी अत्यंत प्रभावी एवं ज्ञानवर्द्धक है। संपादक मंडल बधाई के पात्र है।

अंकिता बनर्जी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
नई दिल्ली

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका राजभाषा भारती 138वां अंक (अप्रैल–जून 2013) की एक प्रति प्राप्त हुई। इसमें प्रकाशित प्रत्येक लेख स्तरीय एवं संग्रहणीय हैं। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियां भी अत्यंत सराहनीय है। इसके प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बधाई।

आर महेश्वरी अम्मा, विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम, केरल

राजभाषा भारती वर्ष 36 अंक 138वां (अप्रैल–जून 2013) की प्रति प्राप्त हुई। यह अंक बेहद सूचनापरक है। पत्रिका के मुखपृष्ठ के रंग का चयन उत्तम एवं मनमोहक है। पत्रिका में छपे चित्र, भाव संप्रेषण में लेखों से समकक्ष बैठते हैं। उत्कृष्ट लेखों के चयन, संयोजन एवं समावेशन से पत्रिका अपने राष्ट्रीय स्तर को कायम रखने में सफल है। पत्रिका के आगामी अंक की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकाश चन्द्र मिश्र, आयकर भवन,
इलाहाबाद

राजभाषा भारती 138वां अंक (अप्रैल–जून 2013) प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विधाओं की रचनाएं स्तरीय एवं संग्रहणीय होने के साथ–साथ राजभाषा प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण नियम, उपनियमों के बारे में बॉक्स में दी गई जानकारी कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा राजभाषा से जुड़े सभी पदाधिकारियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। विभिन्न कार्यालयों की राजभाषा संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी तथा राजभाषा प्रयोग संबंधी उपयोगी कार्यालय ज्ञापन, आदेश, परिपत्र आदि के नियमित प्रकाशन से हम पाठकों को नई–नई जानकारियां प्राप्त होती हैं।

रामलाल शर्मा, प्रधान मुख्य आयकर
आयुक्त का कार्यालय, गुवाहाटी

राजभाषा के क्षेत्र में सर्जनात्मक सक्रियता की प्रतिकृति राजभाषा भारती के अंक 138 की नवीनतम प्रति प्राप्त हुई। यह पत्रिका निःसंदेह भारत भारती के भाल की बिंदी हिंदी को झिलमिल सितारे की तरह आर्यावृत के अखण्ड नभमंडल को प्रोदभासित करती रहेगी। पत्रिका की साहित्यिक सुवास से पूरा वातावरण सुवासित है, इसका पूरा श्रेय संपादक मंडल का है, अस्तु बधाई। मेरी शुभकामना है कि यह पत्रिका इसी तरह अनवरत साहित्य पिपासुओं की ज्ञान पिपासा को तृप्त करती रहेगी।

डॉ. बी एम तिवारी, भिलाई इस्पात संयंत्र

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका, 138वां अंक (अप्रैल–जून 2013) की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका में प्रकाशित लेख विश्व में मदारिन नहीं, हिंदी है पहले स्थान पर तथा दैनिक जीवन में उर्जा संरक्षण के उपाय ज्ञानवर्द्धक हैं। इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं राजभाषा को एक नई उंचाई प्रदान करेंगी। आवरण पृष्ठ काफी आकर्षक है। पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई।

महेश्वर घनकोट,
मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन

विभाग की त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती अंक 138 प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। इसमें समाविष्ट सभी लेख अत्यंत रोचक, एवं पठनीय होने के साथ–साथ हिंदी के प्रचार–प्रसार में पूर्णतया सहायक है। पी आर वासुदेवन शेष का लेख राजभाषा के रूप में हिंदीः दिशा और दशा एवं डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल का विश्व में मदारिन नहीं हिंदी है पहले स्थान पर तथा अशोक कुमार चौहान का दैनिक जीवन में उर्जा संरक्षण के उपाय जैसी रचनाएं विशेष रूप से ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय है। पत्रिका के विकास की कामना करते हुए हम आशा करते हैं कि भविष्य में पत्रिका की प्रतियां हमें मिलती रहेंगी।

मोहन झा, पेपरनगर, तुली,
मोकोकचुंग, नगालैंड

मज़बूती और भरोसे की शुरूआत...
सेल टीएमटी रीबार के साथ

भरोसा है तो रिश्ता है...और जहाँ रिश्ता है, वहाँ मज़बूती

सेल टीएमटी ई क्यू आर
500 D
में उपलब्ध

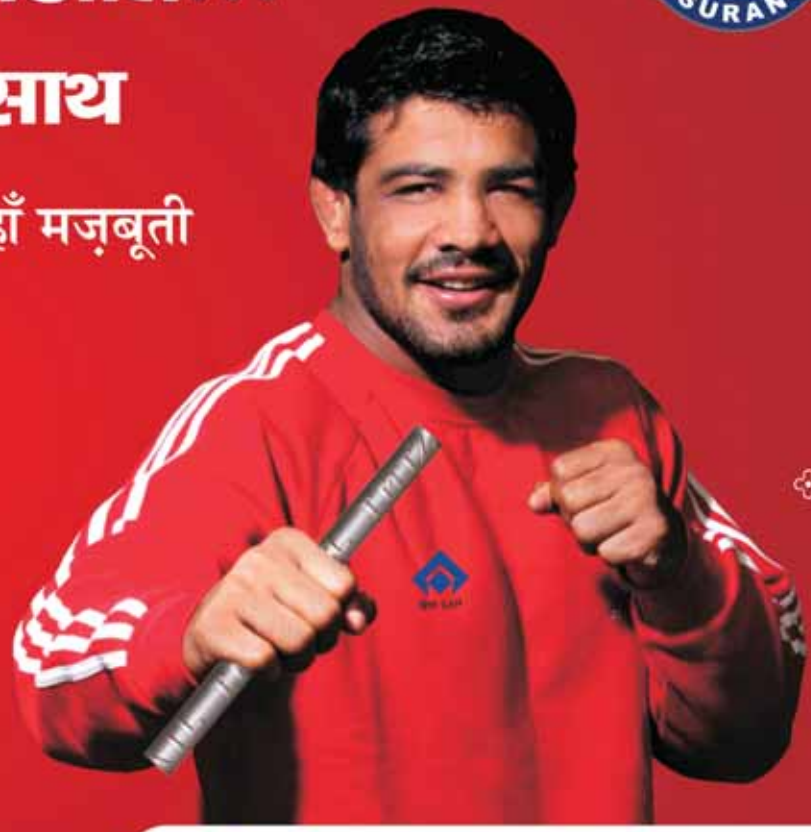

शुद्ध स्टील के लिए सल्फर और फॉस्फोरस कंट्रोल्ड

आज ही अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करें

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

www.sail.co.in

adsyndicate

पं. सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

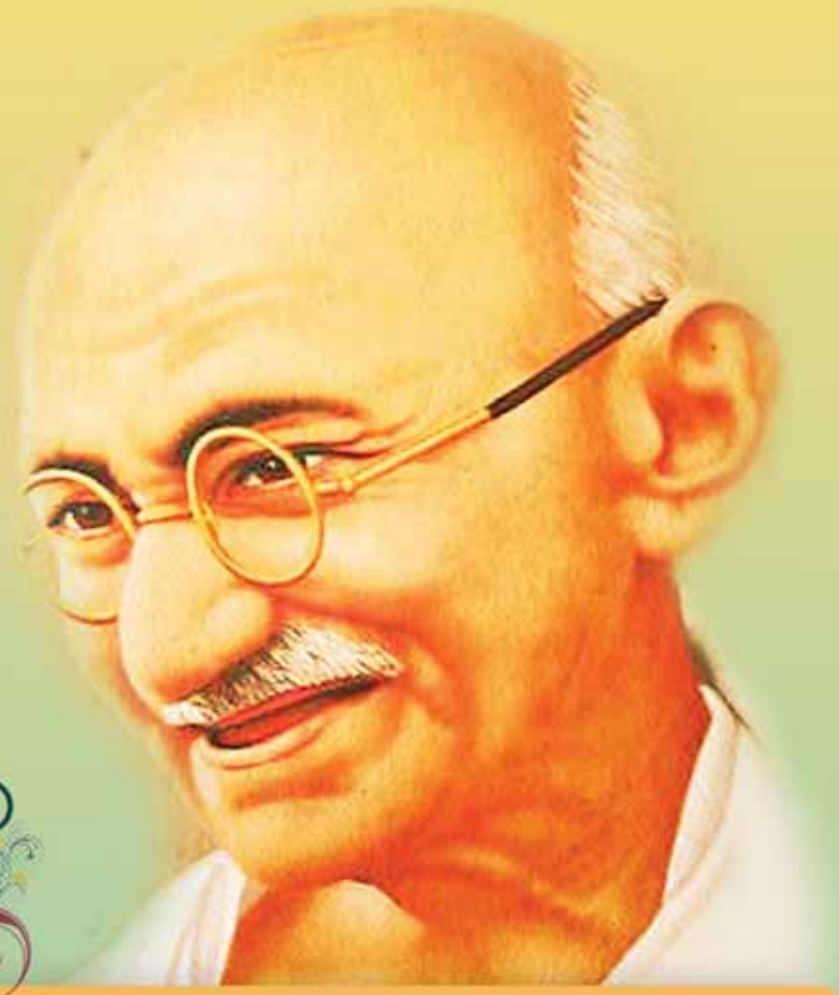

''यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते, तो यह समझने में देर नहीं लगती कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने से हमारी बौधिक चेतना जीवन से कट कर दूर हो गई है। हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। जो विरासत हमें अपने-अपने बाप-दादा से हासिल हुई, उसके आधार पर नवनिर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक का विषय है। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़े और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें।''

– महात्मा गांधी

Contad

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 के लिए राकेश शर्मा 'निशीथ' सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा पारस ऑफसेट द्वारा मुद्रित

सौजन्य
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED